खण्ड-268, अंक-4
शुक्रवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1888
(29 जुलाई, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २९ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्बुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमदबख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्यनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खर्बासिंह, श्री
खेमचन्द्र, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्दजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुलगकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोतमसिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर, मिश्र
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विज, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजविहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनाबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
बह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रतनसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनार्यासिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रावेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल, सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूप सिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीलकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसेन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा नन्द, श्री
शिवब्रतलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनार्यासिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

श्रोपत मिश्र, श्री
श्रोपालसिंह, कुंवर
श्रोराम, श्री
श्रोराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, तथा शिक्षा उप मंत्री, श्री राम नारायण पाण्डेय, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ जुलाई, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीमेंट

**१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार राज्य में सीमेंट के अत्यन्त अभाव को दूर करने के लिये और इसके अतिरिक्त सीमेंट के डीलर्स के द्वारा जखीरान्दोजी, चोर बाजारी तथा सीमेंट में मिलावट को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय कर रही है ? यदि अब तक कोई उपाय नहीं किया है, तो क्या कुछ विशेष उपाय इस संबंध में करने पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देगी ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

कथित दोषों को दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । प्रश्न के शेष भाग का सवाल नहीं उठता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है किन्तु मंत्री जी ने उत्तर यह दिया कि सरकार प्रयत्नशील है । क्या मैं मंत्री जी से मालूम कर सकता हूं कि आज जब कि प्रदेश के कोने-कोने में सीमेंट का अभाव है और १५ रुपये से ले कर २० रुपये प्रति बोरी तक बिक रही है, तो सरकार किस तरह से प्रयत्नशील है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

स्थिति यह है कि सीमेंट पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। पहली जनवरी, १९६६, से भारत सरकार ने सब प्रकार का कंट्रोल हटा दिया और सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स असोसियेशन को यह अख्तियार दे दिया कि इसके वितरण वगैरह का इन्तजाम करे। डिकंट्रोल के बाद शुरू में तो हालत अच्छी रही लेकिन दूसरी तिमाही से हालत बिगड़ना शुरू हो गयी और कम हो गयी। इस की कोई लिखित शिकायत तो हमारे पास आयी नहीं लेकिन मौखिक शिकायतें आयीं और उस पर एक मीटिंग १४ जुलाई को मंत्री महोदय ने बुलायी जिसमें सीमेंट वालों का भी एक प्रतिनिधि बुलाया गया। उसमें कुछ बातें तय हुईं। यही सब किया जा रहा है। और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जो चोरबाजारी हो रही है, जो सीमेंट में मिलावट की जा रही है इसके संबंध में वे क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी उनके शब्दों को ध्यान में रखें "जखीरान्दोजी, चोरबाजारी तथा सीमेंट में मिलावट को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय कर रही है।" तो आप प्रयत्न बताइये।

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जैसा मैंने पहले जवाब में कहा, एक मीटिंग काल की गयी थी जिसमें सीमेंट वालों का एक रिप्रेजेन्टेटिव भी बुलाया गया था और दो, तीन बातें तय पायी गयीं, जिनमें से एक यह भी है कि इस प्रकार की जो शिकायतें होंगी उनको सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन को रेफर की जायंगी और जो डीलर इस प्रकार का काम करेगा उसका लाइसेन्स जब्त किया जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मंत्री जी का विभाग और मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि वे सीमेंट के बढ़ते हुये दाम को न रोक सके और न रोक पायेंगे जब तक कोई सख्त कदम इन होर्डर्स और प्राफीटियर्स के खिलाफ उठाने को तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष--

सख्त कदम की व्याख्या आप कर दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, जेलखाना, हथकड़ी आदि जैसा कि पंजाब में किया जा रहा है।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, जहां तक कंट्रोल और डिकंट्रोल का संबंध है, उससे स्टेट गवर्नमेन्ट का कोई संबंध नहीं है। जहां तक प्राइस फिक्स करने की बात है वह भी स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में नहीं है बल्कि उनका एसोसियेशन प्राइस फिक्स करता है। जो ज्यादा कीमत पर बेचता है उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की जाती है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो सीमेंट एसोसियेशन को रिफर की जाती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या-क्या स्टेप्स आपने लिये हैं ? क्या एसोसियेशन को आपने कुछ कहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यह जो उनका बम्बई में एसोसियेशन है वही प्राइस फिक्स करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का इन्तजाम करता है। जब कोई शिकायत आती है तो उनको ही रिफर की जाती है कि आपका फलां डीलर इस तरह से कर रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जहां तक कंट्रोल का सवाल है, इसका संबंध सेंट्रल गवर्नमेन्ट से है और जहां तक बढ़ती हुई प्राइसेज का सवाल है, उसका संबंध स्टेट गवर्नमेन्ट से है। सीमेंट का डिकंट्रोल इसलिये किया गया था कि जनता को आसानी से सीमेंट मिलने लगे। लेकिन आज सीमेंट की कीमत १५।१६ रुपये बोरी हो गई है, तो कैसे स्टेट गवर्नमेन्ट कहती है कि उसका संबंध प्राइसेज से नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, प्राइस पर कंट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इस समय सीमेंट की बोरी १५।१६ रुपये में बिक रही है। यह आपको मालूम है या नहीं ? अगर मालूम है तो इन कीमतों को व्यवस्थित करने के लिये किन उपायों को अंगीकार किया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इस प्रकार की लिखी हुई शिकायत नहीं आई है और यह मालूम हुआ है कि सीमेंट की कमी है और ज्यादा दाम में बिक रही है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जला मेरठ)---

श्रीमन्, मैं जानना चाहती हूं कि डिकंट्रोल होने के बाद सीमेंट डीलर्स को राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस नहीं दिया जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस नहीं दिया जाता है। एजेंट्स एसोसियेशन ही मुकर्रर करता है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह एक अध्यादेश बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये निकाला है जिससे बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल कर सकें। जो कीमत से ज्यादा पर बेचते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सके। इसमें सीमेंट शामिल नहीं है। इसको देखते हुये क्या मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि सीमेंट को इसमें शामिल कर लिया जाये जिससे सीमेंट की चोर-बाजारी बंद हो जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, उस सूची में सीमेंट का दाम बढ़ा देने का अधिकार भी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

जैसा मंत्री जी ने कहा, हम सब यह जानते हैं कि प्राइस निर्धारण का काम स्टेट गवर्नमेन्ट का नहीं है। हम सब यह जान कर ही आप से पूछ रहे हैं कि जो प्राइस बोर्ड ने तय कर दिया है, उससे अधिक पर बेचने को चेक करने को आपको कोई अधिकार है या नहीं ? और यदि है, तो आप कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं ? प्राइस जो बढ़ रही है उसके बारे में आपने कहा कि, लिखित सूचना नहीं है, तो यह जरूरी नहीं है।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जहां तक अधिकार की बात है, वह है नहीं । मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन शिकायत करती जाएं तो कुछ हो..... (व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, आप इसे पोस्टपोन कर दीजिये । यह बड़ा अहम प्रश्न है, सभासचिव जी इसका ठीक से उत्तर नहीं दे सकते हैं । खाद्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, उनके आने तक आप इसे बिलकुल पोस्टपोन कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग बैठ जाइये, शोर मत कीजिये । एक-एक कर के प्रश्न पूछ सकते हैं । मंत्री जी, आप अभी उत्तर न दें जब तक सब चुप न हो जाएं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जैसा मैंने अर्ज किया, जिन खामियों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है उनकी सूचना मौखिक रूप से आती रही है । और उनको मद्देनजर रख कर ही एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह तय किया गया है और जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसे जनता से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हों तो उनकी जांच करवाने के बाद उन केसों को वह सीमेंट मैनुफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली, के पास भेज दें, जो उस स्टाकिस्ट की एजेन्सी को समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी इस स्थिति में बताने को हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ और कितनी डिमाण्ड है ? मेरा अनुमान है कि यह जो स्थिति आई है यह बढ़ी हुई डिमाण्ड के कारण नहीं है ।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जहां तक प्रोडक्शन का ताल्लुक है, इसे हम नहीं बता पाये लेकिन एराइवल जो इस सूबे में हुआ है, उसे मैं बता सकता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या यह ठीक है जितनी मांग है, उससे कम उत्पादन उसका हुआ, इसका ज्ञान आपको है ?

(व्यवधान)

श्री हरीदत्त कांडपाल---

स्थिति यह है कि पहले प्रति तिमाही एक लाख ७४ हजार टन सीमेंट आती थी और डिकन्ट्रोल होने के बाद पहले तिमाही में २ लाख ४६ टन करीब आई और दूसरी तिमाही में घटकर १,०५,८४६ टन आई और यह इतना कम हो गई.....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो सीमेन्ट बराबर बार्डर लाइन से बाहर जा रहा है, उसको रोकने का क्या आपने कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐसी सूचना तो कुछ है नहीं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर के स्पष्टीकरण में कहा कि जो दुकानदार सीमेंट के निर्धारित मूल्य से अधिक लेंगे उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जायगा तो क्या इस निर्णय की व्यापक जानकारी जनता को कराई गई है, जिससे वह ऐसे व्यापारियों के खिलाफ अधिकारियों के पास शिकायत भेज सकें ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

माननीय सदस्यों का खयाल है कि सीमेंट की कमी हो गयी है और मिलावट की जा रही है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, जनता भी शिकायत करती जरूर रहती है चाहे वह हो या न हो ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने सदन में उत्तर दिया है कि वे करप्शन को रोकने में असमर्थ है। लेकिन पंजाब की सरकार ने अपने यहां के ट्रेडर्स को बन्द किया। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने यहां कुछ नियम अविलम्ब लगाकर सीमेंट के भ्रष्टाचार को रोकेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

माननीय सदस्यों ने पंजाब का हवाला दिया है। यहां तो सवाल सिर्फ सीमेंट के सिलसिले में है, तमाम और कमोडिटीज के लिये नहीं है ।

श्री राजनारायण मिश्र---

क्या हम माननीय सदन के सदस्य और प्रदेश की जनता यह समझें कि सीमेंट के दाम लोग ज्यादा लेंगे उनको रोकने में यह सरकार असमर्थ है सिवाय इसके कि यह सरकार उनके लाइसेंस कैंसेल करने के लिये लिख दिया करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजनारायण जी, यह तो आप अपने अनुमान से राय कायम कर सकते हैं और जो चाहे समझ सकते हैं। (श्री शिवराजसिंह तथा अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय शिवराजसिंह जी, अब सब लोगों को इसके उत्तर से असंतोष है तो उसके लिये दूसरे तरीके है, नियम ५० है और तरीके हैं ।

तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में मालगुजारी की वसूली

*१---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में खरीफ १३७३ फसली में किस-किस तहसील में कितनी-कितनी छूट लगान में दी गई ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)---

खरीफ १३७३ फसली में मुरादाबाद जिले की किसी तहसील में मालगुजारी अथवा लगान में छूट नहीं स्वीकार की गई।

*२---श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मंत्री जी को यह मालूम है कि तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद के अन्दर उस दी गई छूट को वसूल किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि एक ही जिलाधीश की सिफारिश के ऊपर तहसील हसनपुर में उस छूट को मान लिया गया और तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद की छूट को नहीं माना गया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

खरीफ १३७३ फसली में ठाकुरद्वारा एवं सदर तहसीलों में मालगुजारी की वसूली का स्थगन स्वीकार किया गया था एवं स्थगन की अवधि के समाप्त होने के बाद वसूली होना नियमानुसार है।

तहसील हसनपुर में सहायता स्वीकार किया जाना अभी विचाराधीन है।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री जी को यह मालूम है कि तहसील मुरादाबाद और ठाकुरद्वारा में कलेक्शन अमीनों ने ९० फीसदी छोटे खाते में साल तमाम के वसूल पर बेबाकी की रसीद क्यों काट दी गई है? यदि हां, तो अगर छट नहीं थी तो बेबाकी की रसीद क्यों काटी गई?

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्योंकि तहसील ठाकुरद्वारा तथा मुरादाबाद में स्वीकृत स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद मालगुजारी न तो स्थगित रही और न ही उसकी छूट थी, अतएव जिन काश्तकारों ने पूरी धनराशि दी, तो उन्हें पूरे साल की रसीद दिया जाना नियमानुसार ही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या कलेक्टर मुरादाबाद और कमिश्नर बरेली ने १९६६ रिकार्ड मेनुअल के अनुसार १३७३ फसली के बारे में जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उन्होंने कहा है कि हसनपुर, ठाकुरद्वारा और सदर तहसीलों में छूट मिलनी चाहिये और क्या सरकार उसके अनुसार सब इलाकों में छूट देने पर विचार करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिलाधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसके अनुसार सूखा हो जाने की वजह से जिले मुरादाबाद में तीनों तहसीलों में ४ लाख ६३ हजार रुपये की छूट की सिफारिश थी। सदर तहसील के लिये २ लाख २८ लाख रुपये का स्थगन था जिसकी तारीख ३०—४—१९६६ तक थी। अब उसका स्थगन समाप्त हो गया है। हसनपुर तहसील के लिये भी ऐसा ही था। २ लाख ३३ हजार के लगभग हसनपुर के लिये था। इन तीनों तहसीलों में कुछ अन्तर है। हसनपुर तहसील के लिये विचाराधीन प्रश्न है। उन दोनों तहसीलों में स्थगन समाप्त हो गया है। अब स्थगन समास्त होने के बाद वसूली हो रही है।

श्री रियासत हुसैन—

यह बात सही है कि मुरादाबाद जिले के लिये ४ लाख के ऊपर की छूट देने की जिलाधिकारियों ने सिफारिश की थी। मेरा यह अनुरोध है कि उस सिफारिश के अनुसार पूरे जिले के लिये उस रिपोर्ट के अनुसार छूट देने की कृपा करेंगे जो विचाराधीन थी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ठाकुरद्वारा, सदर और हसनवुर, इन तीनों तहसीलों में कुछ अन्तर है। ठाकुरद्वारा तहसील के लिये स्थगन तय किया गया और यहां के लिये चूंकि जमीन में कुछ अन्तर है इस लिये शासन के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी अपने लैंड रिकार्ड मैनुअल की धारा १६६ को सामने रख कर जिसमें खरीफ की छूट उन इलाकों में दी जाती है जहां पर मुख्य पैदावार खरीफ हो और आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हो और १० आने से ज्यादा नुक्सान हो तो उसी आधार पर जिलाधिकारियों ने जो रिपोर्ट बना कर भेजी है उस पर छूट देने के सवाल पर सरकार विचार करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सारे कायदे सामने रखकर ही छूट दी जाती है। जहां पर ५० पैसे से ज्यादा नुक्सान होता है, वहां स्थगन ज्यादा-ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें तीनों तहसीलों का जिक्र है। वहां की स्थिति भिन्न-भिन्न है। इन रिपोर्ट के मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत पूछ-ताछ राजस्व परिषद् से शासन कर रहा है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जिन कायदे कानूनों का हवाला दिया है वह बहुत बने हुये हैं कि जहां पर खरीफ में ५० पैसे से अधिक नुक्सान हो वहां आप स्थगन करेंगे। अब इन १८ वर्ष में बहुत विकास हुआ है। ट्यूबवेल लगाये गये हैं, नहरें खोदी गई हैं। उनके परिणामस्वरूप उन इलाकों में थोड़ी बहुत दूसरी फसल होने लगी है। तो इन बातों को देखते हुये इन कानूनों को संशोधित करेंगे जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके?

श्री अध्यक्ष—

कानून के सम्बन्ध में पुनर्विचार कर लीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय सदस्यगण की सलाह से ही कानून बनता है। जब कानून का प्रश्न आये तो उस समय इस पर विचार किया जायगा।

*४-५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।)

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना

*६—श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना (सीनियर बेसिक स्कीम) को सरकार द्वारा स्थायी किया जा चुका है अथवा नहीं? यदि किया जा चुका है, तो कब?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

जी हां।

१ अप्रैल, १९६५ से।

*७—श्री मुकुट बिहारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित योजना को स्थायी किये जाने के बाद उस योजना के अधीन काम करने वाले प्रसार अध्यापकों को स्थायी करने का क्या आधार रखा गया है, ३१ मार्च, १९६६, तक कितने प्रसार अध्यापक स्थायी किये जा चुके हैं तथा योजना को स्थायी किये जाने के समय जो प्रसार अध्यापक काम कर रहे थे उसके स्थायीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रसाराध्यापकों की ज्येष्ठता, गोपनीय आख्या, उत्पादन क्षमता आदि का विवरण विभागीय चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा तथा समिति की संस्तुति के आधार पर स्थायीकरण किया जायगा।

समस्त विवरण एकत्रित हो जाने पर यथाशीघ्र स्थायीकरण की कार्यवाही पूर्व की जावेगी। अभी तक कोई प्रसाराध्यापक स्थायी नहीं किया गया है।

*८-१०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

(४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।)

*११--श्री रघुनाथ राम (जिला बलिया), झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) तथा रघुबीर राम (जिला गाजीपुर)

(४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।)

बदायूं-बबराला सड़क पर महोबा नदी का पुल

*१२--श्री सूरजपाल सिंह (जिला बदायूं) तथा श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायूं)

(अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के ६वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री उल्फतसिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से सम्बन्धित क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बदायूं जिले की बदायूं बबराला रोड पर महोबा नदी का पुल बनबाने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (जगन प्रसाद रावत)--

सड़कों व पुलों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तथा उसका आकार अभी निश्चित नहीं है। कथित पुल का निर्माण उक्त योजना की रूप रेखा तथा उसके आकार और जिला परिषद्, बदायूं, द्वारा दी गयी प्राथमिकता पर अधिकतर निर्भर करेगा।

*१३--श्री झारखण्डे राय, श्री रघुनाथ राम, श्री रामसुन्दर शास्त्री, तथा श्री रघुबीर राम--

(स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया ।)

बिठूर क्षेत्र में भूमि का दोषपूर्ण अध्यासन

*१४--श्री रघुनाथ राम--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर तहसील के क्षेत्र बिठूर की गंगा की कटरी में सन् १३७३ फसली में कितने व्यक्तियों ने कितने एकड़ भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करके खेती की और सुपरवाइजर कानूनगो ने अपने पड़ताल के समय नियमानुसार कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट धारा ११६-डी के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार कानपुर को की तथा उससे राजस्व की कितनी धनराशि का लाभ हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कानपुर तहसील के क्षेत्र बिठूर की गंगा की कटरी में सन् १३७३ फसली में ४२ व्यक्तियों ने २२ एकड़ भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कर के खेती की और सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा ११५-डी की रिपोर्ट ४२ व्यक्तियों के विरुद्ध की गई। कितनी धनराशि का लाभ होगा, यह तो न्यायालय के आदेश होने पर ही पता चल सकेगा।

श्री रघुनाथ राम--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं।

रायपुर कठार ग्राम में भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन

*१५--सर्वश्री रघुनाथ राम, झारखण्डेराय, रामसुन्दर शास्त्री तथा रघुवीर राम--

क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि रायपुर कठार परगना व जिला कानपुर की गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले जिन व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में न्यायालय से बेदखल किया जा चुका है प्रधान गांव सभा भ्रष्टाचार के बल पर उन्हीं

व्यक्तियों से उसी गांव की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कराके सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचा रहा है? यदि हां, तो सरकार ऐसे अवैधानिक ढंग के कार्य करने वाले प्रधान को पदच्युत करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं। वर्तमान फसली साल की खरीफ फसल की पड़ताल नियमानुसार १५ अगस्त को प्रारम्भ होगी और तब इस फसल में कब्जे की स्थिति का ज्ञान हो सकेगा।

*१६—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर), श्री झारखण्डे राय, श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच) तथा रघुवीर राम—

(४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।)

डेरापुर तहसील में कानूनगो का स्थानान्तरण न होना

*१७—सर्वश्री रघुवीर राम, झारखण्डे राय, प्रेम सिंह तथा दीपनारायण सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर जिलान्तर्गत ऐसे कितने सुपरवाइजर, कानूनगो हैं जिनको एक ही तहसील में कार्य करते हुये निर्धारित समय से अधिक व्यतीत हो चुका है और उनका स्थानान्तरण आज तक नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर में केवल एक कानूनगो ऐसे हैं जिन्हें उस तहसील में कार्य करते १ जून, १९६६, को तीन वर्ष से अधिक हुआ है। सरकारी कार्य की सुगमता के कारण इनका स्थानान्तरण अभी तक नहीं हुआ है।

श्री प्रेम सिंह—

मान्यवर, इस राजस्व विभाग में अनेक कानूनगो उस स्थान पर काम चला सकते हैं फिर क्या कारण है कि उनको रोक रखा गया है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

एक कानूनगो एक हल्के में ज्यादा से ज्यादा ३ वर्ष तक रह सकता है। उनकी वह अवधि समाप्त हो चुकी है और जल्दी ही उनका स्थानान्तरण होने वाला है।

श्री प्रेम सिंह—

जब सब लोगों का ट्रान्सफर हो गया है और जो नये लोग आते हैं वे काम चला लेते हैं तो किस आधार पर उनको रोक रखा गया है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

काम चलाने का प्रश्न नहीं है। सुगमता में भी कुछ कार्य ऐसे रहते हैं कि जो बाकी रहते हैं।

श्री प्रेम सिंह—

क्या सरकार बतलायेगी कि उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं तब उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया? अगर उनका काम अच्छा हो तो उनको तहसीलदार बना दीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

वह उस स्थान पर कितने समय से हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उसमें अवधि दी हुई है। जिन कानूनगो का जिक्र है —श्री चन्द्रपाल सिंह—इन्होंने तहसील बिल्हौर के कानूनगो हल्का बिल्हौर में १६-६-१९६३ को कार्यभार ग्रहण किया था और २७-१०-१९६४ तक उस पद पर रहे। और दूसरे हैं राम निवास। ये तहसील डेरापुर में १-६-१९६३ से काम कर रहे हैं। तहसीलदार तथा परगनाधिकारी की अनुशंसा पर तथा कार्य की सुगमता के विचार से इनका स्थानान्तरण अभी नहीं हुआ है, जुलाई के अन्त तक हो जायगा।

श्री प्रेमसिंह—

कब तक ट्रांस्फर करने जा रहे हैं, यह बता दीजिये?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह तो बता दिया कि जुलाई के अन्त तक हो जायगा।

*१८-१९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

मानिकपुर ग्राम हरिजन आबादी

*२३—श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हंडिया तहसील,ग्राम मानिकपुर,जिला इलाहाबाद, में काशीदीन,दुखरन,सुखदेव ,मेवालाल, विशेष कर हरिजन सन् १९४८ की बाढ में जहां बसे है और वहीं पर सरकार ने पक्का कुआं पानी पीने के लिये बनवा दिया है और आम, महुआ नीम भी उसी जमीन में उपयुक्त नाम के हरिजन आदमियों ने लगा लिये हैं,किन्तु अभी तक उस जमीन की आबादी लेखपाल ने कागजात में दर्ज नहीं किया जबकि उनको बसे हुये १८ वर्ष हो गये?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ग्राम मानिकपुर, तहसील हंडिया ,जिला इलाहाबाद, में स्थित भूमि नम्बर ३५९ के कुछ भाग पर घर व पानी पीने के लिये पक्का कुआं बना है। इस भूमि पर कुछ पेड़ भी खड़े हैं। यह भूमि सर्व श्री बहादुर सिंह,क्षत्रधारी सिंह के भूमिधरी खाते में अंकित है। जिस भी अंश पर आबादी है ,वह नियमानुसार खसरे के स्तम्भ १८ में दर्ज है। आबादी पर नाम अंकित करने का नियम नहीं है। पेड़ भी खसरे के खाना २० में दर्ज हैं।

*२४—श्री बैजनाथ पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम मानिकपुर, तहसील हंडिया ,जिला इलाहाबाद में पुच्छन, बच्चा, हवई, राजनारायन ,यह लोग जिस भूमि पर आबाद है लेखपाल ने कागजात में अभी तक दर्ज नहीं किया? इसका कारण क्या है जबकि यह बाप –दादों से बसे हुये हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री —

ग्राम मानिकपुर, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद, में स्थित भूमि नम्बर ३४३/१ के कुछ अंश पर मकान बने हये हैं । जितने अंश पर मकान इत्यादि बने हैं ,उतना अंश सही तरीके से खसरे के खाना १८ में आबादी दर्ज है। आबादी पर नाम दर्ज नहीं किया जाता है। यह पूरी भूमि श्री हरीमंगल सिंह, पुत्र हरिशरन सिंह, निवासी प्रतापगढ़, के नाम भूमिधरी दर्ज है ।

* २५—श्री बैजनाथ पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि तहसील हंडिया, ग्राम कन्सोधन उर्फ लक्षागृह में देऊ वल्द देवी के परिवार खिलाड़ी वल्द शिवटहल, जोखन वल्द दुबरी पंचम आदि आबाद है, सैकड़ों वर्ष से और अभी तक इनका नाम भी लेखपाल ने कागजात में दर्ज नहीं किया है ? सरकार के अनुदान से इन लोगों का कुआं भी बना है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ग्राम संसोधन उर्फ लक्षागृह, परगना केवाई, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद, में स्थित नम्बर ४०८ के कुछ अंश पर मकान है और वह खसरे के खाना १८ में आबादी दर्ज है । आबादी में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता । पूरा नम्बर श्री कन्हैयाप्रसाद के भूमिधरी खाते में है ।

श्री बैजनाथ पांडेय —

जबसे वह हरिजन बसे हैं तब से दूसरे का नाम जब आया है खाते में तो उनके बसने के पहले आया है या बाद में आया है –राम बहादुर का ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उसकी तो, अध्यक्ष महोदय, जानकारी नहीं है कि पहले के है या बाद के लेकिन ये जो बसने वाले लोग हैं वह बहुत पुराने बसे हुए हैं।

श्री बैजनाथ पांडेय—

जिन आदमियों के नाम दर्ज नहीं है क्या सरकार उनके नाम दर्ज कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसके कुछ तरीके और नियम बने हुये हैं जिसके अनुसार काम होता है ।

श्री बैजनाथ पांडेय—

यह इसलिये नहीं हुये हैं कि पटवारी मौके पर जाकर पड़ताल नहीं करता । पटवारी की गलती के कारण नाम दर्ज नहीं हुये है । इसलिये सरकार क्या वहां के लोगों की शिकायतें दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जाब्ते के अनुसार जो भी शिकायतें हैं उनको दूर किया जायेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

जो लोग जमींदारी उन्मूलन के पहल से, यानी काफी समय से वहां बसे हुये हैं, जैसे हरिजन लोग हैं, क्या सरकार उनको संरक्षण देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

परगना अधिकारी हंडिया इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार कानून में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था करेगी कि जो लोग काबिज हैं उनके नाम दर्ज हो जायं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस प्रदेश में करीब ४० जिलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है। कहीं कहीं वह काम पूरा भी हो गया है। उसके अन्तर्गत यह कार्य भी किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

माननीय मंत्री जी को शायद मालूम नहीं, चकबन्दी वाले इस आबादी वाले केस को टच तक नहीं करते हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या कारण है कि १८ वर्षों से वह लोग वहां रह रहे हैं और अभी तक उनके नाम दर्ज नहीं किये गये हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस संबंध में मैंने अभी बताया कि परगनाधीश हंडिया देख भाल कर रहे हैं।

श्री ऊदल—

प्रश्न संख्या २४ के बारे में माननीय मंत्री का कहना है कि इस जमीन में प्रतापगढ़ के एक आदमी का भूमिधरी दर्ज है और दूसरे प्रश्न संख्या २५ का भी उत्तर मंत्री जी ने दिया कि एक व्यक्ति के नाम से भूमिधरी दर्ज है जब कि पांडे का कहना है कि सैकड़ों वर्ष से काश्तकारी दर्ज है। क्या मंत्री जी इस बात को जांच करने के लिये तैयार हैं कि आबादी बहुत पुरानी है और यह जो भूमिधरी है वह इनके नाम पटवारी ने गलत तरीके से कागजात में दर्ज करके भूमिधरी दर्ज कर दी गयी है, क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

अध्यक्ष महोदय, पटवारी ने गलत दर्ज कर लिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी यहां पर दिक्कत है उसको सुधारने के लिये परगना हाकिम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री ऊदल—

जो जमीन बंजर या परती है जिसमें नाम दर्ज नहीं होते तो पटवारी से मिलकर नाम दर्ज करा लेते हैं। इस बात को क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि ये लोग बाद के भूमिधरी दर्ज हैं या काश्तकारी या आबादी पहिले से है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच करने का कोई प्रश्न उठता नहीं और परगना हाकिम स्वयं जांच पड़ताल कर रहे हैं और मैंने आदरणीय सदन को सूचना दे दी है। नये सिरे से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

दोहरीघाट में सरजू पर पीपे का पुल

*२६—श्री झारखण्डेराय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरी घाट में सरजू पर स्थायी पक्का पुल बनने के पहले गैर बरसाती दिनों के लिये जो पीपे का पुल बनने वाला था वह कब से शुरू होगा ?

*२७—क्या आगामी बरसात के पहले इस पीपे के पुल के निर्माण का कार्य समाप्त हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस वर्ष की वर्षा के समाप्त होने पर तथा नदी में वर्षा का पानी कम होने पर इस पीपे के पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा और संभवतः अक्तूबर ६६ तक पूरा हो जायगा।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यहां पर जो पैन्टून ब्रिज बना दिया गया है यह कब तक के लिये रहेगा और कब तक स्थायी पुल बनेगा ? इसमें क्या योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पैन्टून पुल अक्तूबर ६६ तक बन जायगा। पक्के पुल की स्वीकृति के लिये मामला केन्द्र में गया हुआ है। वहां से स्वीकृति आने पर उसे लिया जायगा। तब पैन्टून की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री झारखंडेराय—

क्या सदन में पहले सरकार की ओर से यह स्पष्ट कहा गया था कि वहां स्थायी पुल की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार की हो चुकी है और १ करोड़ ५६ लाख रुपया मंजूर भी हो गया है, एस्टीमेट भी तैयार हो गया है, टन्डर इनवाइट किये जा चुके हैं, मंजूरशुदा टैन्डर की शर्तों में कुछ दिक्कत पैदा हो रही है इसलिये काम शुरू होने में देरी हो रही है ? यदि हां, तो आज के उत्तर में और इसमें विरोधाभास क्यों है ? कौन सा उत्तर सही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई विरोधाभास नहीं है। टेन्डर की स्वीकृति भी केन्द्र के हाथ में है। वह मंजूर करले और हमें आज्ञा दे दे तो हम बनाना शुरू कर देंगे।

श्री झारखडे राय—

मंत्री जी कोई अनुमान दे सकते हैं कि कब शुरू होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई अनुमान नहीं बता सकता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार ने दोहरीघाट पुल के लिये अयोध्या से पीपे और दूसरा सामान ले जाने के आदेश दे दिये हैं? यदि हां, तो कब दिये गये और उनका पालन हुआ या नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पीपे ले जाने का अप्रैल में आदेश दिया था और पालन हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कहीं छितौनी की तरह दोहरीघाट का भी हाल न हो जाय, मंत्री जी स्पष्ट बतावें कि क्या चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार ने १,५६,००० रुपये की मंजूरी देकर उस पैसे को प्रदेशीय सरकार को दे दिया है कि पुल बना दो ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार की ओर से क्या देर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१,५६,००० नहीं १,६३,००० की स्वीकृति मिली है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

कितनी बार केन्द्रीय सरकार से आवरण की स्वीकृति के लिये यहां से लिखा पढ़ी हुई है और यह विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

इसका जवाब तो केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह देखते हुए कि दोहरीघाट में और गाजीपुर के सैदपुर तथा कुछ अन्य स्थानों में भी पीपे के पुल बननेवाले हैं और इलाहाबाद में इस समय बहुत बड़ी संख्या में पीपे पड़े हुए हैं, माननीय मंत्रीजी कोई व्यवस्था करेंगे कि इलाहाबाद के फालतू पीपे ले जाकर वहां पुल बनवा दिये जावें और पीपे बनाने की कोई फैक्टरी अलग से कायम करने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री झारखंडेराय —

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उस पुल के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए कि वह नेशनल हाई वे पर पड़ता है और हमारी उत्तरी सरहद को छूता है अवमूल्यन या किसी भी क्राइसेस की वजह से वह पुल बनने से नहीं रुकेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

जहां तक हमारे सूबे की सरकार का ताल्लुक है वह बराबर प्रयत्नशील है और केन्द्र को चिट्ठियों से तथा टेलीफोन से भी और पर्सनली मिल कर भी जल्दी कराने की कोशिश कर रही है और हम यह भी कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत में यह कटने न पावे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या दोहरीघाट में पक्का पुल बनने पर वे पीपे अयोध्या या फैजाबाद जिले को वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

अगर अयोध्या में आवश्यकता होगी तो कहीं से भी मंगाकर दिये जा सकते हैं।

श्री कल्पनार्थासिंह—

पक्का पुल बनवाने के लिये टेंडर किस तारीख को आमंत्रित किये गये और मंजूर करने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नवम्बर, ६५ में हमने यहां से टेंडर रेकमेन्ड करके भेजे । उसके बाद कुछ लिखा-पढ़ी हुई लेकिन ६,६ महीने से हमारे पास कोई उत्तर नहीं आया है ।

फर्रुखाबाद जिले से सब-रजिस्ट्रार का स्थानातन्रण न होना

*२८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित) तथा मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फर्रुखाबाद की विभिन्न तहसीलों में ऐसे कितने सब-रजिस्ट्रार हैं जिनको एक ही तहसील में कार्य करते तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश —

फर्रूखाबाद जिले में केवल एक ही सब–रजिस्ट्रार ऐसे हैं जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते तीन वर्ष से अधिक हो गया है।

*२९—श्री मुहम्मद रफी खां (अनुपस्थित), तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि एक सब–रजिस्ट्रार एक जिलें में तीन वर्ष से अधिक नहीं रह सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सब रजिस्ट्रारों का, जिनको तीन वर्ष से अधिक समय हो गया शीघ्र अन्य जिलों को स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश —

जी नहीं। एक सब रजिस्ट्रार एक जिले में तीन वर्ष से अधिक रह सकता है।

*३०—श्री मुहम्मद रफी खां (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ के सब रजिस्ट्रार को अब तक न स्थानान्तरण करने का क्या कारण है जबकि तीन वर्ष से अधिक समय हो गया ? यदि हां , तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश —

जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ के सब रजिस्ट्रार को कार्य करते अभी तीन वर्ष पूरे नही हुए हैं ।

दारुलशफा से बरसाती पानी निकलने की व्यवस्था

*३१—श्री केशरी प्रसाद पांडेय तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दारुलशफा की ब्लाक में जो मोटर गैरेज सड़क की ढाल म बने हैं उस ढ़ाल में पानी निकासी के लिये व्यवस्था न होने की वजह से बरसात का गन्दा पानी इतना अधिक भर जाता है कि वहां तालाब का सा दृश्य हो जाता है, दस-दस घंटे तक पानी नहीं निकल पाता है और मोटर गैरेजों में चार-चार फुट तक गन्दा पानी भरने से मोटर इत्यादि के सामान का नुकसान होता रहता है ? यदि हां तो क्या सरकार ढाल के किनारे-किनारे पानी निकासी हेतु कोई गहरा नाला बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री राम कुमार शास्त्री—

दारुलशफा बी ब्लाक में जहां गैरेज बने हैं, उस स्थान के पानी के निकास के लिये एक नाली बनी हुई है। दारुलशफा की चहारदीवारी के पास नगर महापालिका का बड़ा नाला है जिसमें इस नाली का पानी गिरता है। नगर महापालिका का यह नाला अधिक बरसात में जब ऊपर तक पानी भर जाता है तो उक्त नाली का पानी उल्टा बहने लगता है और कभी-कभी गैरजों में भी थोड़ा पानी भर जाता है। इस क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था में नगर पालिका द्वारा सुधार होने पर इस कठिनाई का निराकरण हो सकता है।

*३२—श्री केशरी प्रसाद पांडेय तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दारुलशफा के किनारे से जो गन्दा नाला खन्धारी बाजार की ओर से होकर आता है उस नाले का गन्दा बरसाती पानी (ओवर लो) होने से इस ढाल में बह कर आ जाता है जिसकी वजह से और अधिक गन्दा पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाले का बरसाती पानी रोकने की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में नगर महापालिका के जिस नाले का जिक्र है उसमें अधिक पानी भर जाने पर कन्धारी लेन से आने वाले नाले में भी पानी उल्टा बहने लगता है जिससे दारुलशफा के गैरेजों की ओर पानी भर जाता है । इस कठिनाई का हल नगर महापालिका द्वारा इस पूरे क्षेत्र की ड्रेनेज ठीक करने पर ही हो सकता है ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी नगर महालिका से, जो इत्तफाक से उन्हीं के कब्जे में है, प्रयत्न करेंगे कि इस नाले को जल्दी रिमाडिल करा दिया जाय ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

गैरेजों में पानी न भरे और इमारत को नुकसान न पहुंचे इसके बारे में प्रयास किया गया और पी० डब्ल्यू० डी० से भी पूछताछ की गयी । उसने बताया कि उस क्षेत्र के सारे नालों को नीचा करना होगा जिसमें बहुत धन लगेगा । जहां तक नगर महापालिका का सरकार से संबंध की बात है, यहां से उनको १-२ पत्र भेज दिये जायेंगे कि जितनी जल्दी कोई सुधार किया जा सकता हो वह कर दें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

क्या सरकार को विदित है कि मोटर गैरेज के सामने जो पानी का तालाब सा बना हुआ है इसका कारण यह है कि वहां की जमीन नीची है, इसी प्रकार से असेम्बली के सामने से जो दारुलशफा को रास्ता जाता है, वहां की जमीन भी नीची है, इसलिये पानी भरता है ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

यह तो मैंने अपने उत्तर में ही बताया कि जमीन नीची है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि सर्वेक्षण कराया गया था तो उसमें पी० डब्ल्यू० डी० ने कितने खर्चे की रिपोर्ट दी है ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

सर्वेक्षण पी० डब्ल्यू० डी० ने किया था लेकिन एक्चुअल एमाउन्ट इस समय मालूम नहीं है ।

श्री सत्य नारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी लंबी स्कीम के अलावा कोई अस्थायी उपाय इसके लिये निकालेंगे और तत्कालिक इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई प्रबन्ध करायेंगे ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

उसका भी प्रबन्ध करने की कोशिश की गयी । गैरेजों की प्लिन्थ ऊंची की गयी लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं हुई ।

*३३---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला वस्ती) श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

इलाहाबाद, बांदा तथा मिर्जापुर जिले में पानी की कमी

*३४---श्री कल्याण चन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) ---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद, बांदा तथा मिर्जापुर में पानी की कमी के कारण कितने गांव प्रभावित हैं तथा उन गांवों में सरकार की ओर से कौन-कौन से प्रबन्ध किये गये ?

श्री राम कुमार, शास्त्री—

इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में इलाहाबाद जिले के ८५ गांव, बांदा जिले के १८ गांव तथा मिर्जापुर जिले के १७ गांव प्रभावित हुये थे। इन प्रभावित ग्रामों में पीने का पानी रेल तथा सड़क के रास्ते ढो कर वितरण हेतु ले जाया गया। इलाहाबाद जिले में ४७ मील लम्बी अस्थाई पाइप लाइन भी वितरण की सुगमता हेतु बिछाई गई थी। इसके साथ ही कुओं की सफाई, मरम्मत और गहरा करने का कार्य भी किया गया। जहां आवश्यक समझा गया वहां पशुओं के पीने के लिये तालाबों में सरकारी ट्यूब वेलों द्वारा पानी भरा गया।

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पानी की कमी के कारण अब तक उपरोक्त जिलों में कितने आदमी भूख तथा पानी न मिलने से मरे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

भूख अथवा पानी न मिलने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ४७ मील की जो पाइप लाइन दौड़ाई गई है, उस पर कितना व्यय हुआ और वह कब बनकर तैयार हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, इस पाइप लाइन को मैंने स्वयं देखा है, टोंस नदी से निकाल कर इसे बिछाया गया और जब गर्मी में धूप और लू की प्रचंडता देखी गई और इलाहाबाद जिले के जो मेजा और करछना का इलाका है वहां देखा गया कि यहां पानी का अभाव नार्मल ईयर से अधिक हो जायगा तो कुम्भ में जो हमारे पास पाइप था उस को काम में लाया गया। सही तिथि तो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि जब पानी का अभाव महसूस किया गया और देखा गया कि वहां जमीन पथरीली है और इस में से रिस रिस कर पानी निकलता है वहां पर जहां खयाल भी नहीं किया जा सकता है पाइप से पानी पहुंचा दिया गया। जिस अवधि में पानी की आवश्यकता पड़ती है उसी समय यह व्यवस्था की गई। इसमें १६ लाख रुपया व्यय हुआ।

*३६—श्री रघुनाथराम, श्री झारखंडेराय, श्री रामसुन्दर त्रिपाठी तथा श्री रघुवीर राम—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आदरणीय सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा २१ जुलाई, १९६६ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २८ जुलाई, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

साप्ताहिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, हमें अगले सप्ताह का कार्यक्रम नहीं बताया गया है। हमको मालूम हुआ है कि चर्चा कुछ ऐसी है कि विधान सभा की कार्यवाही आज शाम के बाद बन्द हो रही है। इस पर सरकार की ओर से सूचना मिल जाय तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—

मेरी सूचना में ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

सोमवार को कौन काम होगा यह तो बता दिया जाय, केवल सोमवार का बता दें ताकि हम तैयार होकर आयें ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं पूछ लूंगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, दो सप्ताह हो गये कार्य मंत्रणा समिति की कोई बैठक नहीं हुई है, क्या यह निलबति हो गई है ?

श्री अध्यक्ष—

हम सोमबार को जब हमारे पास बिल आ जायेंगे तो बैठ जायेंगे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह कहां तक उचित है कि सरकारी बिल पहले से विभा । को नहीं भेजे जाते और हमारे पास भी कोई सूचना पहले से नहीं आती ?

मुख्य मंत्री द्वारा क्रोधित होकर सदन से चले जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास बिशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं, उनको मैंने देखा नहीं है, यह श्री रामसुन्दर पाण्डेय और कमला सिंह जी के हैं, इनको मैं देख लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन सी देखने की बात है, सब चीज आपके और सदन के सामने हुई है, आप के सामने ही माननीया मुख्य मंत्री ने सदन का अवमान किया है और हमारी नियमावली कहती है कि सदन के सामने घटी घटना पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये इसलिये आप को फौरन इस पर कार्यवाही करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उतनी ही बात है जितनी कि कल आपने कही थी तो उसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यह तो प्रस्ताव बहुत बड़ा, लम्बा सा २ सफों पर दिया है ?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, छोटे-छोटे सफे होने के कारण २ पन्नों पर है, पर जो नकल है यदि आप उसको देखें तो पायेंगे कि वह केवल एक पन्ने पर ही है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना निश्चय व्यक्त करूं तो मैं कम से कम इसे पढ़ तो लूं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भीखा लाल जी ने एक प्रश्न दिया था । आपने कहा था कि उस पर सोचगे । मुझे आशा है आपने उस पर सोच लिया होगा । अतः अब आप उस पर भी अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या बात थी, मैं भूल गया हूं। कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, यही बात थी।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं माननीय राम सुन्दर पाण्डेय जी द्वारा दिये गये प्रश्न को पढ़ लूं, जो इस प्रकार है :

"कल दिनांक २८ जुलाई को क्रम संख्या ६ पर निर्धारित नियम ५२ के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चारों विधायकों की ओर से जिला जेल आजमगढ़ में अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्नोत्तर हो रहा था। माननीया मुख्य मंत्री मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर न देकर गुस्से में होकर सदन से चली गयीं। क्रोधित होने का मैं तथा मेरे ऐसे अनेकों सदस्यों ने कारण जानना चाहा पर जानकारी नहीं हो सकी।

महोदय, आप द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने पर मैंने दो बार प्रश्न किये और मुख्य मंत्री तथा उनके सभा सचिव श्री बंशीधर पाण्डेय आपस में बात करने में मशगूल थीं। जिस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि माननीया मुख्य मंत्री को सदन में आपस में बात न करके अपने कक्ष में करनी चाहिये। सदन में सदस्यों के प्रश्नों को सुन करके उत्तर देना चाहिये। इस पर वे उत्तर न देकर चिढ़कर सदन के बाहर चली गयीं, इस प्रकार उन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि सदन का अपमान किया"। माननीय कमला सिंह जी, कदाचित् आपका भी इसी तरह का मजमून है ?

श्री कमला सिंह यादव—

श्रीमन्, हमारा यही विषय नहीं है, हमारा कुछ और है।

श्री अध्यक्ष—

हम लोग बड़े क्षुब्ध वातावरण से गुजर रहे हैं। इतनी नाराजगी दिल में नहीं रखनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसमें आदरणीय सदन की इज्जत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

परन्तु आप भी तो कभी-कभी नाराज होकर चले जाते हैं, तो हम किस से लड़ते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीया मुख्य मंत्री सदन की सदस्या के अतिरिक्त सदन की नेता भी हैं। उनको इस प्रकार से नहीं जाना चाहिये। आप कृपया उन्हें बुलाकर पूछ तो लीजिये कि क्या कारण है जिसकी वजह से वे यहां से चली गयीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा था कि मैंने अभी देखा नहीं है।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन, हम या तो आपकी व्यवस्था के विरुद्ध वाक आउट करते हैं या सरकार के कामों के विरुद्ध वाक आउट करते हैं, तो संभव है कि माननीया मुख्य मंत्री ने भी किसी बात के विरोध में इस सदन मे वाक आउट किया हो।

श्री अध्यक्ष—

हम लोगों में आप आदर के पात्र हैं आपने हमारे राष्ट्र के संग्राम में और अभी तक जो भी तरीके रखे हैं, चाहे जो कुछ हों आप परेशानी बर्दाश्त करते रहे हैं लेकिन आप भी कभी-कभी नाराज हो जाते हैं। इतनी यंत्रणा सहन करने के बाद भी कभी आप नाराज हो जाते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक बात कहना चाहता हूं, श्रीमन्। यह कोई नाराजगी का प्रश्न नहीं है। यह सभा माननीय मुख्य मन्त्री जी की खुद की सभा नहीं है। इसकी कुछ मर्यादा और प्रतिष्ठा है। क्या तुनक मिजाजी से यह सदन चलेगा? इस पर आप को संजीदगी से सोचना है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप सक्षम हैं निर्णय करने के लिये। मैं नहीं चाहता कि अपनी बात आप से कहलवाऊं, लेकिन यदि मुख्य मन्त्री इस प्रकार से तुनक मिजाजी में, गुस्से में होकर सवालों का उत्तर न दे कर भाग जायें तो यह सदन की अप्रतिष्ठा है और वह गृह मंत्री हैं। माननीय बंशीधर पाण्डेय उत्तर दे रहे थे जब कि माननीय शिव प्रसाद गुप्त मौजूद थे तो उनसे उत्तर न दिला कर माननीय बंशीधर पाण्डेय जवाब दें इस की भी आप की ओर से, सरकारी की तरफ से सफाई होनी चाहिये कि जिस समय संबंधित मंत्री मौजूद हैं तथा दूसरा मंत्री उत्तर देता है तो क्या यह उचित है? और जब उत्तर देता है तो आप अनेक बार चेतावनी दे चुके हैं कि हाउस में बैठ कर के आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिये और सदन का जो नेता है वह स्वतः माननीय बंशीधर पाण्डेय से बात करे और आप के कहने पर गुस्से में आ जाये, तुनक कर के बाहर चला जाय, उत्तर में जवाब न दे, नियमावली में है कि हम किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते कि वह कैसा जवाब दे, लेकिन उत्तर उनको देना है, उत्तर देने से भागना मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है। जो मंत्री संबंधित प्रश्नों का उत्तर न दे कर भाग जाता है सदन को छोड़ कर के वह सदन का अपमान करता है। माननीया मुख्य मंत्री सदन से गुस्से में भाग गयीं और सवाल का जवाब नहीं दिया। माननीय बंशीधर पाण्डेय इसमें नहीं आते हैं। इसलिये अगर माननीया मुख्य मंत्री खेद नहीं प्रकट करती हैं तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस कार्य का हमें दुख है और रोजाना जो आप के फैसले के खिलाफ हम सदन को छोड़ते हैं तो आप हमको टोकते हैं, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बात करते हैं तो आप ने उन को इंगित भी किया है। माननीया मुख्य मन्त्री इस प्रकार की कार्यवाही करें और हंस कर आप उसे भुलवा दें मैं समझता हूं यह आप की और सदन की प्रतिष्ठा के लिये ठीक नहीं है। आप को उनसे कहना चाहिये कि वह इस आदत को छोड़ें और उनसे कहना चाहिये कि वह खेद प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक प्रश्न तो यह है कि मुख्य मंत्री ने मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर न दे कर गुस्से में हो कर सदन से बाहर चली गयीं, क्रोधित होने का कोई कारण नहीं था। दूसरा यह है कि आपस में माननीय बंशीधर पाण्डेय तथा मुख्य मंत्री बातें कर रहे थे जब कि उनका कर्त्तव्य यह था कि वह मेरे प्रश्नों को सुनतीं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

बिना आप से पूछे चली गयीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह था कि सभा सचिव उनके इस सदन में उत्तर दे रहे थे.....

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, अगर हम को सुन लें तो अच्छा रहता।

श्री उग्रसेन--

इन्होंने जो प्रश्न दिया उसमें कुछ विशेष बातें हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह भी देख लेंगे।

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, अगर आप निर्णय दे देंगे तो वह रेसजुडिकेटा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

तो आप कौन सी बात कहना चाहते हैं, कह दें।

श्री कमला सिंह यादव--

पहली बात यह है कि जिस वक्त माननीय राम सुन्दर पाण्डेय प्रश्न कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने बात करना शुरू कर दिया जब कि उनका आचरण यह होना चाहिये था कि कोई बातचीत न करके उस वक्त वह उनके प्रश्न को सुनतीं, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि शुद्ध वातावरण में बहुत छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बातें आप भी करते हैं और वह भी करते हैं।

*श्री कमलासिंह यादव--

सदन में वैसे तो कोई भी बात कर सकता है उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन जो मंत्री संबंधित हैं प्रश्नों से और जिस समय प्रश्न किये जायं और वह बातचीत शुरू कर दें तो वह एक तरह से अवहेलना है क्योंकि प्रश्नों के मुताल्लिक उसे उत्तर देना है और अगर वह उत्तर न देकर बात करता है तो यह एक प्रकारका अवमान है।

दूसरी बात यह है कि इस समय गृह मंत्री बीमार हैं और मुख्य मन्त्री के चार्ज में वह विभाग भी इस समय है और उन्होंने बंशीधर जी से उसका उत्तर दिलवाया। ऐसे समय जब कोई प्रश्न कोई भी सदस्य करता है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी उसके लिये जिम्मेदार हैं कि वह प्रश्नों का उत्तर दें या अगर किसी से उत्तर दिलवायें भी तो सही और उपयुक्त उत्तर प्राप्त हो। लेकिन बात करने पर जब माननीय राम सुन्दर जी ने उनको टोका तो वह रंज होकर और झुंझला कर बाहर चली गयीं जब कि हम लोगों को अधिकार है कि हम अपने प्रश्नों का सही तथा उपयुक्त उत्तर पायें लेकिन उससे उन्होंने हम को वंचित कर दिया।

तीसरे केशव सिंह जब सदन में उपस्थित हुए थे तो श्रीमन् के प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया जिसके नतीजे में श्रीमन् ने उनको सजा दी। इसी तरह का आचरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया कि उत्तर न दे कर झुंझला कर वह चली गयीं और एक तरह से सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

का अवमान किया। सदन का नेता होने के नाते जो उनका कर्तव्य है उसको उन को निभाना चाहिये था और इस तरह से वाक आउट नहीं करना चाहिये था। इस तरह के आचरण से उन्होंने सदन का अवमान किया है। इसलिये इस पर कोई व्यवस्था दी जाय ताकि भविष्य में ऐसा आचरण वह न कर सकें और इस तरह से सदन का अवमान न हो सके।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी विशेषाधिकार का प्रश्न कल ही उपस्थित कर दिया था। उस में दो बातें कहनी हैं। वैसे जो कुछ हुआ है उसके लिये तर्क पेश करना तथा सबूत पेश करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि यह बात निर्विवाद सत्य है कि पुलिस विभाग का चार्ज मुख्य मन्त्री ने लिया है। फिर पुलिस सम्बन्धी विवाद चल रहा था और वह उस समय बंशीधर पाण्डेय जी से बात कर रही थीं और उस समय पाण्डेय जी ने मुख्य मन्त्री को इंगित कर के जोर से कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं आप से पूछना चाहता हूं, लेकिन मुख्य मन्त्री का ध्यान बातचीत करने की तरफ ही था। राम सुन्दर पाण्डेय जी ने जब उन का ध्यान अपने प्रश्न की ओर आकृष्ट किया तो वह उठ कर और कुछ शब्दों को कहती हुई चली गयीं जिनको मैं नहीं सुन सका। तो यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि मुख्य मन्त्री होने के नाते और पुलिस मन्त्री होने के नाते जो कार्य उन्होंने ले रखा है उसका उत्तर देने से उन्होंने साफ साफ इन्कार किया। हम अपेक्षा करते थे कि आप उन को विधान सभा के सामने फिर बुलावेंगे और इस तरफ आप का ध्यान दिलाया भी गया और समाचार पत्रों के जो सम्वाददाता यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने भी इस चीज को अनुभव किया और नेशनल हेराल्ड ने तो निश्चित रूप से यह छापा है कि वे नाराज हो कर चली गयीं। तो इस तरह की स्थिति है जो बिलकुल स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि माननीया मुख्य मन्त्री का पद बड़ा है फिर भी वह सदन के नीचे ही हैं और सदन का किसी प्रकार से अपमान करने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिये मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उपस्थित करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, और इतना न हो सके तो आप अध्यक्ष पीठ से माननीय मुख्य मंत्री की भर्त्सना ही कर दें क्योंकि राजमंत्री को गम्भीर होना चाहिये। वे आदरणीय सदन की नेता हैं, और राजपुरुष के ओहदे की तरह से वे राजनेत्री हैं और राजनेत्री को कितना गम्भीर होना चाहिये वह कोई आप से छिपा नहीं है। कल उस गम्भीरता का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। कल जो उन्होंने व्यवहार किया वह छिछलापन और ओछेपन का किया और इस तरह से छिछलेपन और ओछेपन का व्यवहार कर के उन्होंने आदरणीय सदन, विधान सभा का अपमान किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर प्रिविलेज मोशन के लिये आप एग्री न करें तो उस पीठ से उनकी भर्त्सना अवश्य कर दें जिससे कि भविष्य में वे इस तरह का व्यवहार फिर न करें।

(व्यवधान)

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आज आपके सामने उपस्थित किया गया है वह आश्चर्यजनक है। इसका माने तो यह हुआ कि अगर मंत्री लोग आपस में परामर्श करते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर देने की बात करते हैं तो वे यहां बैठ ही नहीं सकते हैं। एक बात और कही गयी जिसके लिये मुझे यह कहावत याद आती है कि "जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं वे दूसरे पर पत्थर न फेंकें।" कहा जाता है कि वे सदन छोड़ कर चली गयीं लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के भाई लोग अक्सर सदन छोड़ कर चले जाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं। इसलिये अगर आप इस चीज को सदन के अवमान की बात स्वीकार करते हैं तब तो सदन का काम एक दिन भी नहीं चल सकता है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह प्रश्न सदन के सामने आना ही नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में और बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---

मुझे दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से दो मिनट तो सब लोग बोलने के लिये कह सकते हैं। अब इस पर बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको समाप्त किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जिस तरीके से कल सदन छोड़ कर चली गयीं, उस पर आपको व्यवस्था दे देनी है। आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक बार जब पंडित जवाहर लाल जी सदन से उठकर जा रहे थे तो उसी वक्त डाक्टर लोहिया ने पीठासीन अध्यक्ष का ध्यान उस तरफ आकृष्ट किया और उनके ध्यान आकृष्ट करते ही पंडित जवाहर लाल जी तुरन्त ही वापस आ गये और अपनी जगह पर बैठ गये .....

श्री अध्यक्ष---

पंडित जवाहर लाल नहीं, वह श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

ठीक है, श्रीमन्। श्रीमती इन्दिरा गांधी अपनी जगह पर आकर बैठ गयीं। तो यह सदन भी उसी तरह का है और एक ऐसी महिला को जो माननीया मुख्य मन्त्री के पद पर आसीन हों, उन्हें ऐसा व्यवहार और आचरण नहीं बरतना चाहिये था। आप इस पर व्यवस्था दें कि उनका इस तरह का आचरण उचित नहीं था या अनुचित था।

श्री यादवेन्द्र दत्त---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस पर दो बातें मेरी भी आप सुन लें फिर अपना निर्णय दें, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष---

महत्वपूर्ण है लेकिन इस पर अब बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त---

आप दृष्टिकोण तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

कुछ विशेष नई बात कहना चाहें तो कहें।

श्री यादवेन्द्र दत्त---

नई बात ही कहना चाहता हूं। इस प्रश्न के अन्दर जो एक निहित प्रश्न है वह यह है कि मुख्य मन्त्री का जो व्यवहार हुआ, उठकर चिड़चिड़ाते हुये तमक दमक के साथ जाना, यह प्रश्न

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

सीधा इस बात में आता है कि क्या नेता सदन के लिये यह शोभनीय था ? दूसरी बात यह कि यदि आप इस व्यवहार का काग्नीजैन्स नहीं लेंगे तो इसका यह स्पष्ट अर्थ हुआ कि इस सदन के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के ऊपर नेता सदन का व्यवहार, यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो उनका पीविश व्यवहार उसके ऊपर हो जायगा। आप इस सदन की मर्यादा के रक्षक हैं। आप इस बात के ऊपर निश्चित विचार करें कि क्या इसकी मर्यादा के ऊपर इस प्रकार की ठेस लगने देना चाहिये या नहीं। तीसरी बात यह भी है कि जब प्रिविलेज का मोशन चल रहा है तो वह जिस माननीय सदस्य के ऊपर हो--मुख्य मंत्री भी इस सदन के सदस्य हैं--तो क्या उनकी यहां उपस्थिति अनिवार्य थी या नहीं। ये तीन बातें आप विचार कर लें। यह जरूर मैं मानता हूं कि यह अप्रिय घटना है। इसलिये आप इसको अच्छी तरह से गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें। फिर व्यवस्था दें।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन के सदस्य जिनको इसमें बैठने का हक है वे तो इस सदन का त्याग करते हैं, यह तो अब तक परम्परा रही है, लेकिन क्या सरकार के लोग, खास कर मुख्य मन्त्री भी इस सदन का त्याग कर सकते हैं ?

श्री उग्रसेन--

जब आपने खुद घटना को देखा है तो हमारी वकालत की क्या जरूरत है। आप उसी पर निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी ने जो संकेत किया है .....

श्री चन्द्रबली सिंह--

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ....

श्री अध्यक्ष--

वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रबली सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, नहीं तो फिर मुझे आपसे कहना पड़ेगा....

(व्यवधान)

वस्तुतः बहस के सिलसिले में मेरे सामने किसी माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कौन सा विशेषाधिकार है कि जिसका इससे अवमान हुआ या अवहेलना हुई। इसी वजह से माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि यदि आप यह न स्वीकार करें कि अवमान अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना हुई तो भी आपके द्वारा ऐसे व्यवहार के औचित्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाय, कि आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। अब यह निर्विवाद है कि सभा सचिव या कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर इस सम्बन्ध में आप विविध निर्णयों को देखें तो आपको स्पष्ट हो जायगा कि कोई भी मन्त्री सरकार की तरफ से उत्तर दे सकते हैं। यही नहीं, बल्कि पिछले ३० वर्षों से जो हमारे इस सदन की परम्परा रही है वह यह कि किसी मन्त्री के होते हुए भी और उनकी व्यक्तिगत जानकारी में कोई बात होते हुए भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह उत्तर

दें। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान १९३७-३९ के बीच में दिए गए निर्णय के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं--

"Mr. Mubashir Husain Kidwai said that the question related to Minister himself and is in his personal knowledge. It would be better if the Minister himself gave reply to the question."

आपत्ति यह थी कि मन्त्री महोदय स्वयं उपस्थित हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी में यह बात है। वे उत्तर दें।

"The Hon'ble Minister—It has been decided that the Parliamentary Secretary can reply on behalf of the Government.

Later on the Hon'ble the Speaker said :

That is not the point of order. It is left to the Government to choose any agent to reply a question. The Speaker cannot say that the question should be replied by this individual or that individual."

अर्थात् यह कि सभा सचिव अधिकृत किए गए हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह मन्त्री की तरफ से उत्तर दें और स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार से कहे कि अमुक मन्त्री या विशेष व्यक्ति उत्तर दे, दूसरा न दे। ऐसे निर्णयों की मौजूदगी में यह नहीं कहा जा सकता है कि सभा सचिव उत्तर दे रहे थे किन्तु हमें मन्त्री द्वारा उत्तर मिलना चाहिए था। यह आपत्ति नहीं लगा सकते हैं। एक बात जिसके प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है वह यह है कि वह सदन छोड़कर चली गईं और साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि....

श्री उग्रसेन--

जिस मुद्रा में वे गयीं उसको आपने देखा है ?

श्री अध्यक्ष--

मुद्रा तो आपकी जब मैं देखता तो परेशानी होती है। मुद्रा का जहां तक प्रश्न है कभी कभी छोटी सी बात मुझे उद्विग्न करती है और बहुत ज्यादा सख्त बात भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। तो इसे छोड़िए। वे चली गयीं, यह ठीक है, और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि कदाचित् वे न जातीं तो अच्छा था। लेकिन कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, ऐसा मेरा निवेदन है।

बनारस विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब कामरोको प्रस्ताव कई मेरे पास आए हैं। एक तो माननीय झारखंडे राय, ऊदल जी और रघुनाथ जी का है। एक माननीय रामसुन्दर पाण्डेय, राधेश्याम जी और भगवानदीन जी का है। मैं पढ़ दूं ताकि विषय आपको मालूम हो जाय। "२८ जुलाई से बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी कतिपय उचित मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है, जुलूस निकल रहे हैं, सभायें हो रही हैं, स्थिति विषम सम्भावनाओं से पूर्ण हैं। अभी तक सरकार की ओर से स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस असाधारण अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया गया है"।

मेरा निवेदन यह है कि एक तो आप देखेंगे कि स्थिति विषम सम्भावनाओं से पूर्ण है तथापि काल्पनिक हैं, हाइपोथेटीकल है। दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं कदाचित् आपको याद हो....

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, जब मैं लिख रहा था तो मुझे याद आया कि आप यही कहेंगे। लेकिन वहां सभाएं हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, नारे लग रहे हैं और लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है और इसी यूनिवर्सिटी में एक अप्रिय घटना हो चुकी है जिसकी चर्चा यहां हो चुकी है। इसको देखते हुए इसका महत्व जरूर है।

श्री अध्यक्ष---

मेरा निवेदन यह है कि आपको खयाल होगा कि कुछ वर्ष हुए जब इस विश्वविद्यालय में कुछ झगड़े हुए थे। उस समय भी हमने बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो लड़कों की मांग थी या आंतरिक क्या व्यवस्था थी उस सम्बन्ध में हमने दो कारणों से विचार नहीं किया। एक तो यह कि वह केन्द्र के अधीन है, दूसरे यह कि वह आटोनोमस बाडी है। जहां तक यूनिवर्सिटी का संबंध है वह स्वतन्त्र स्वशासित संस्था होने के कारण वह स्वयं ही आंतरिक व्यवस्था देख सकती है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है ....

तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रश्न इसमें नहीं है जिसके आधार पर यह प्रस्ताव स्वीकार हो सके।

श्री झारखंडेराय---

ला एंड आर्डर का सवाल है इसमें या नहीं, इसे आप देखें।

श्री अध्यक्ष---

जब वह स्थिति स्पष्ट हमारे सामने आ जायेगी तब हम देख लेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

जब मार पीट शुरू हो जायेगी तब आप देखेंगे। आप चाहते हैं कि लाठी चल जाये, गोली चल जाये, तभी आप देखेंगे, इसके पहले आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बुरी स्थिति आने से पूर्व आप सावधान नहीं करने देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें लिखा है कि हाल की घटित घटना के संबंध में। इसलिये अब आप बैठें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट कल परसों से विद्यार्थियों द्वारा बन्द कर दिया गया है। उसका नतीजा यह है कि हजारों-लाखों जनता के लोगों को उसके कारण से परेशानी है, क्योंकि वह मार्ग भी है। इसलिये वहां पर किसी भी समय घटना घट सकती है। इस कारण इस सबकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है।

बलिया जिले में घाघरा नदी पर बने एक ठोकर के बह जाने के सम्बन्ध नियम ५२ के अन्तर्गत सचना

श्री अध्यक्ष---

श्री काशीनाथ मिश्र की नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आयी है, जिसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। उसमें यह है कि बलिया जिलान्तर्गत श्रीनगर, तुर्तीपुर बांध को बचाने के लिये चांदपुर बलुवा गांव के सामन घाघरा नदी पर जो बल्लियों वाला लकड़ी का ठोकर बना था, बह गया। घाघरा नदी में भयावह कटाव से बांध का क्षेत्र कट रहा है। बांध के अन्दर हजारों लोग जो बसे हैं, उनमें भगदड़ मच रही है। जिलाधीश, बलिया और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों में बांध के अन्दर बसे लोगों की कटाव से रक्षा कर सकने में अपनी

असमर्थता लिखित नोटिस के जरिये जारी कर दी है । सैकड़ों एकड़ में खड़ी खरीफ की फसल बरबादी के कगार पर है।"

मंत्री जी, इस पर आप कब वक्तव्य देंगे ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

मंगलवार को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---

मंगल के लिये बहुत हो गये हैं, इसलिये बुध के लिये रखिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अच्छा, बुध को दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह अवश्य है कि इसके कारण वहां पर स्थिति बहुत नाजुक है इसलिये आप जिला अधिकारियों को इन्सट्रक्शन दे दीजिये कि वहां पर वह पूरी सावधानी बरतें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वह हमने पहले ही भेज दिये हैं ।

नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब शेष तो नियम ५२ में नहीं लिये जा सकते। और ५३ का देखा नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरा भी एक था, सूचना विभाग का जो पंचांग हजारों लोगों में बंटा है, उसके सम्बन्ध में मैंने दिया है । हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसके पंचांग में कुम्भ का प्रचार और तीर्थों का प्रचार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

पहली बात तो मैं निवेदन कर दूं । पर्व और त्यौहारों की यदि आप सूची देखें तो उसमें 'बारावफात' 'बड़ा दिन, "अंग्रेजी नववर्षारम्भ" "शबेबरात" और ईद आदि भी हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह-

किसी भी धर्म के प्रचार और प्रसार पर जनता का पैसा धर्म निरपेक्ष राज्य में नहीं खर्च किया जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें राष्ट्र गान भी गलत छपा है ।

श्री अध्यक्ष---

हम आप से सहमत हैं, यह उनसे कह दीजिये । सूचना विभाग जरा ऐसी चीजों का ध्यान रखे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी कहा कि मैंने जो कहा वह अव्यवस्थित है ।

श्री अध्यक्ष---

किस चीज के बारे में ?

श्री चन्द्रबली सिंह---

वही पंचांग के बारे में ।

श्री अध्यक्ष---

वह प्रश्न अब समाप्त हो चुका, आप बैठ जाइये ।

देहरादून एवं सहारनपुर जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

आइटम नम्बर ७। अब माननीय राजस्व मंत्री का वक्तव्य होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

कब्ल इसके कि माननीय मंत्री जी वक्तव्य दें आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि सर्वश्री राधेश्याम जी और उग्रसेन का सवाल इसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, नहीं । माननीय उग्रसेन जी, जरा देखिये । वह विषय आपका अलग है ।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर एवं टम्बेश्वर प्रसाद ने जिला देहरादून एवं सहारनपुर में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया । इस सम्बन्ध में जो कुछ सूचना अभी तक मिल पाई है उसके अनुसार स्थिति इस प्रकार है:---

देहरादून:---जुलाई के तीसरे सप्ताह में देहरादून में १२१.७ मिलीमीटर वर्षा हुई थी । २४ तथा २५ जुलाई, १९६६ को २४ घंटों की अवधि में ३२०.२ मि०मी० वर्षा हुई। भारी वर्षा होने के कारण गंगा और जमुना तथा उनकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गयी । जिले के प्रतीतनगर तथा घोरीमाफी गांवों के ८० परिवार बाढ़ में फंस गये थे । परगनाधिकारी तथा तहसीलदार ने घटनास्थल पर पहुंच कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उन्हें दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें दे दीं । पास में स्थित रायवाला सैनिक कैम्प के अधिकारियों द्वारा २५ जुलाई, १९६६ को बाढ़ पीड़ितों के भोजन की भी व्यवस्था की गई। सहायता के लिये लोगों से प्राप्त ३०० रु० की राशि ग्राम प्रधान को पीड़ितों की सहायता हेतु सौंप दी गयी है । पीड़ितों को अहेतुक सहायता तथा तकावी आदि देने का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है ।

२---इस अप्रत्याशित बाढ़ से देहरादून नगर की जल व्यवस्था को भी क्षति पहुंची और अब राजपुर नहर से पानी पम्प करके नगर में दिया जा रहा है ।

३---हरिद्वार तथा ऋषिकेश के बीच रेलवे लाईन को क्षति पहुंची थी तथा सौंग नदी और बंगाली नाला की बाढ़ के कारण देहरादून-ऋषिकेश-हरिद्वार सड़क को खतरा हो गया था । इन दोनों भागों को ठीक करने के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

४---जिलाधिकारियों ने यह सूचित किया है कि इस अप्रत्याशित बाढ़ में फंस जाने के कारण ऐसा भय है कि ६ या ७ व्यक्ति बह गये हैं । इनमें से एक वृद्ध, एक बालक और एक बालिका सौंग तथा सुसुवां नदी की बाढ़ में बहे बताये जाते हैं । शेष ३-४ व्यक्तियों के असन नदी की बाढ़ में बहने की सूचना मिली थी, इसकी जांच की जा रही है । इनके अतिरिक्त

कुछ पशुओं के भी बहने की सूचना प्राप्त हुई है। शासन द्वारा जिलाधिकारी को १०,००० रु० की राशि पीड़ितों को सहायता दिये जाने के लिये प्रदान कर दी गयी थी, यदि आवश्यक हुआ तो जिलाधिकारी की मांग पर और राशि भी दे दी जायेगी।

सहारनपुर---इस जिले में भी २४ और २५ जुलाई, १९६६ की अवधि में १४१.३ मि० मी० वर्षा हुई थी। भारी वर्षा के कारण यमुना तथा गंगा नदियों में बाढ़ आ गयी और इनका तल ऊंचा हो गया। यमुना नदी में निम्न बाढ़ तल तथा गंगा नदी में उच्च बाढ़ तल तक पानी का स्तर उठ चुका था। इसके साथ ही पावधोई तथा धवौला नदियों में भी बाढ़ आई थी। सहारनपुर नगर के लगभग २०० व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुये तथा थोड़े से मकान क्षतिग्रस्त हुये। बाढ़ से किसी भी जीवन हानि होने की सूचना नहीं मिली है।

पीड़ितों की सहायता हेतु शासन ने जिलाधिकारी सहारनपुर को १०,००० रु० अहेतुक सहायता तथा १५,००० रु० तकावी वितरण हेतु अबंटित कर दिये थे। प्रशासन द्वारा पीड़ितों को आवश्यक सहायता दी जा रही है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के सम्बन्ध में जिन क्षेत्रों को खाली करने की व्यवस्था की गई है उनको हटाने के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गई थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

बाढ़ से जो पानी आ गया था उससे रक्षा करने के लिये जरूरी व्यवस्था की गई थी ताकि वह अपने जीवन को बचा सकें ?

श्री अध्यक्ष---

क्या क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री राम कुमार शास्त्री---

वे जरूरी व्यवस्थायें जिलाधिकारियों ने की थीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

देहरादून के जिन गांवों में यह बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और कुछ व्यक्ति बह गये हैं और वहां पर उन लोगों को ऊंची जगह पर ले जाने के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ? क्या उनके खाने पीने और वस्त्र का भी इन्तजाम किया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

देहरादून जिले में रायवाला के पास प्रतीतनगर गांव में एक नदी का पानी घुस गया था, उन लोगों को वहां से हटाया गया और हाथियों पर उनको ला कर एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। उस बक्त वहां पर एक मिलिटरी का कैम्प लगा था। उस मिलिटरी कैम्प से उनके खाने का इन्तजाम किया गया। उनको ३०० रुपया भी दिया गया। उनको मकान बनाने के लिये ऊंचे पर जमीन दे दी जायेगी जहां पर वे अपने छप्पर ले आयेंगे। यही वह चाहते थे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

उन लोगों को मकान बनाने के लिये कारुगेटेड शीट और सीमेंट का प्रबन्ध किया गया है या नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

वहां पर पहले भी कच्चे मकान थे। हमने जमीन देने का इन्तजाम किया है। गांव सभा की जमीन उनको दे दी जायगी और कुछ उनको लकड़ी भी दिला दी जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

सहारनपुर नगर के आसपास जितने लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वह सब हरिजन और गरीब लोग हैं जिनके मकान गिरे हैं और जिनका नुकसान हुआ है । उनको बसाने के लिये सरकार ने तुरन्त क्या इन्तजाम किया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिलाधिकारियों को १० हजार रुपये की मदद और १५ हजार रुपया इन सब सुविधाओं को पहुंचाने के लिये शासन द्वारा दिया गया है । अब वहां पर स्थानीय अधिकारी सुविधाजनक प्रबन्ध करेंगे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्षा में खेती योग्य कितनी भूमि कट गई है ? जैसा शान्ति प्रपन्न जी ने कहा कि उनको जमीन देने की व्यवस्था की गई है तो क्या जंगल से उनको निःशुल्क लकड़ी भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

उनकी कितनी जमीन बह गई यह अन्दाजा अभी लगाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ हिस्से में पानी अब भी है । पानी खत्म होने पर पता चलेगा कि कितनी जमीन कटी है । जहां तक जंगल से लकड़ी देने का सवाल है इसका कोई नियम नहीं है । जहां वह मकान बनायेंगे तो उनको कुछ लकड़ी दे दी जायगी । जैसा मैंने कहा कि उनके कच्चे मकान थे तो वे अपने कच्चे मकान की झोपड़ी ले आयेंगे । इतना ही वह चाहते थे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां जहां पर बाढ़ के कारण मकान बह गये हैं अत्यन्त वर्षा के कारण, उनको जमीन और लकड़ी सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

बाढ़ के समय जो आवश्यक सामान होता है, माननीय सदस्य को अनुभव होगा कि जो आवश्यक सामग्री होती है सरकार के द्वारा और जिलाधिकारियों के द्वारा देने की व्यवस्था होती है । तो इस में भी जहां तक सम्भव होगा व्यवस्था की जायगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं माननीय शान्ति प्रपन्न जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र के पास भी और स्टेट की सरकार के पास भी पहाड़ पर नैनीताल में एक वेधशाला है । श्रीमन्, कहा जाता है कि वर्षा एक ब एक हो गयी । तो अगर लखनऊ में वर्षा हो तो उसके नीचे १० मील दूर बाढ़ आ सकती है, जौनपुर में बाढ़ आ सकती है । तो इस बाढ़ को किसी वेधशाला ने उन ग्रामीणों को चेतावनी दी थी अथवा नहीं ताकि वे अपना इन्तजाम कर सकते ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

कुछ समझ का फेर है । वहां गंगा और जमुना की बाढ़ से कोई परेशानी नहीं हुई । एक छोटी नदी थी, उसका पानी एक दूसरी नदी में चला गया और पानी गांव के बीच से निकल गया इस वजह से नुकसान हुआ । यह नुकसान एक छोटी नदी से हुआ, बड़ी नदी से देहरादून में नुकसान नहीं होता ।

श्री उग्रसेन---

मेरा प्रश्न दूसरा था । जब गांव से एक आध मील पानी रह गया था तो उस गांव के रहने वालों को जिलाधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गयी अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि चेतावनी नहीं दी गयी ।

श्री उग्रसेन--

तो मैं बतलाना चाहता हूं कि चेतावनी देने का बाढ़ विभाग के पास कोई यंत्र ही नहीं है ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

जब वहां थोड़ी-सी बारिश भी होती है तो शहर का बहुत नुकसान होता है । तो क्या पामाबोही को भगोली नदी में डाल दिया जाय इसकी कोई योजना है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

माननीय सदस्य इसके बारे में और ज्यादा जानते होंगे । यदि इस योजना से कोई कल्याण उस क्षेत्र का हो सकता है तो वे इसके लिये सुझाव दें । उस पर विचार किया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

पिछले वर्ष १७ जुलाई को एकाएक बारिश हुई और उस नदी में बाढ़ आ गयी । उसमें वही परिवार और वही मुहल्ले बह गये जो इस बार बहे । इस साल १२ बजे रात्रि के बाद इतने जोर की बारिश हुई कि मिनटों में पानी चढ़ गया और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया जिस से काफी नुकसान हुआ । मैं जानता हूं कि उनको बचाने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहायता दी गई है वह केवल एक सेर आटा ही है प्रति परिवार के लिये, तो क्या यह उचित है ? यदि उचित नहीं है, तो क्या और सहायता दी जायगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैंने निवेदन किया कि इस विभाग के पास रुपये की कमी नहीं है । १०,००० एक दिया गया है, १५,००० की रकम एक दी गयी है । अगर माननीय सदस्य के और सुझाव आयेंगे तो जितना भी संभव होगा, अवश्य सहायता दी जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

डाक्टर सीताराम जी यहां बैठे हुये हैं । दो साल पहले मैंने हरिजन कल्याण विभाग से यहां हरिजन बस्ती बनाने की प्रार्थना की थी, लेकिन वह स्कीम नहीं चल पायी और वही लोग आज बारिश से त्रस्त हो रहे हैं । तो क्या मंत्री जी उनसे सलाह मशविरा करके उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कहा कि सुझाव आ जायं तो करेंगे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वहां बाढ़ आयी तो कितना जलस्तर एक दम से बढ़ गया और उससे कितनी ऊंचाई तक के मैदान क्षति-ग्रस्त हुये ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

माप तो इसकी नहीं बतलायी जा सकती, लेकिन इतना स्तर जरूर बढा कि जिसकी वजह से गांव वालों को क्षति पहुंची ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बतलायेगी कि सिंचाई विभाग की ओर से जो गांव नीचे रहे हैं उनको ऊंचा किया गया है और इस प्रदेश के सारे गांव ऐसे ऊंचे किये गये हैं,तो इन गांव को ऊंचा न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

वहां नदी के पेटे में ही लोग बस गये थे। अगर नदी के नीचे जाकर लोग बस जायं तो उनको ऊंचा उठाने का सवाल नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

इस प्रदेश में नदी के पेटे में गांव हों अथवा कहीं भी बसे हों, आपकी योजना यह है कि अगर कहीं बाढ़ से या बरसात से पानी लगता है तो उन गांवों का धरातल ऊंचा कर दिया जायगा। इस प्रदेश में हजारों गांवों का धरातल ऊंचा किया गया है तो इस गांव का क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

ऐसा नहीं है।

श्री शिव चरण (जिला आगरा)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बाढ़ का असर कितने परिवारों पर पड़ा है और कितने लोग बेघरबार हो गये ? क्या यह सही है कि वे सब हरिजन थे और उन्हें क्या सहायता दी जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह ८७ घर हैं और इनमें हरिजन नहीं हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद---

देहरादून की जल व्यवस्था कब तक सामान्य हो जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

देहरादून शहर में जो पानी आया करता था उसका पाइप इन फलड्स की वजह से टूट गया। कोई दूसरा उपाय संभव नहीं था इसलिये हमने यह उपाय किया कि एक दूसरी नहर जो आती थी उसमें पंप लगाकर हम पानी देने का इन्तजाम कर रहे हैं। हम यह भी इन्तजाम कर रहे हैं कि जमुना में हमारी योजना है और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि दूसरी जगह से पानी लावें। यह टेम्पोरेरी व्यवस्था है और हम कल तक काफी पानी दे सकेंगे।

श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून)---

उत्तर में बताया गया है कि देहरादून को अहेतुक सहायता १० हजार दी है और सहारनपुर के लिये १० हजार अहेतुक सहायता और १५ हजार तकावी दी जायगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि देहरादून के लिये भी तकावी की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

देहरादून को भी जरूर दी जायगी, मांग आवेगी तो व्यवस्था की जायगी।

प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष जी, अनेक बार इस अवर्षण के सम्बन्ध में यहां पर दफा ५२ के नोटिस दिये गये और हम लोग समझते थे कि वक्तव्य जब होगा तो उस पर हम सप्लीमेंटरी कर सकेंगे, लेकिन एजेंडे में देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सप्लीमेंटरी करने के आदेश आप हम लोगों को न दें। यदि ऐसा है तो इस वक्तव्य के पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। हम तो सही मानों में प्रदेश की जो स्थिति है उसे जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह गलती से हो गया है। यह नियम ५२ के अन्दर ही होना चाहिये। ऐसा है कि कई प्रश्न आये थे, मैं भेजता था, पहले वक्तव्य लिख दिया होगा, खयाल नहीं रहा। इसमें प्रश्न होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है कि हमने नियम ५२ का प्रस्ताव देवरिया इत्यादि के विषय में दिया था उसकी तो कोई चर्चा इसमें है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उसमें होगा। आप वक्तव्य हो जाने दीजिये।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

सर्वश्री टम्बेश्वर प्रसाद, जगन्नाथाव, रामसुन्दर पांण्डेय, राधेश्याम शर्मा, दौलत लाल, सुरेन्द्र विक्रम श्री कमलासिंह यादव

उपरोक्त विधान सभा के माननीय सदस्यों ने प्रदेश में सूखे की दशा व्याप्त होने, पौधों के सूखने, चारे की कमी तथा अन्न संकट व सरकारी गल्ले की दूकानें बन्द किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

इस वर्ष वर्षा जून के तीसरे सप्ताह से आरम्भ हो गई और जुलाई के शुरू तक जारी रही। जून के माह के साप्ताहिक औसत वर्षा का ब्यौरा नत्थी † 'क' में दे दिया गया है। वर्षा लगभग सभी जगह औसत से अधिक रही। इस वर्षा के उपरान्त जुलाई के पहले पखवारे में वर्षा की कुछ कमी रही यद्यपि जिलों में वर्षा यदाकदा होती रही है। जुलाई के पहले तीन सप्ताहों की वर्षा का विवरण नत्थी * 'ख' पर दिया हुआ है।

जून में शीघ्र तथा पर्याप्त वर्षा हो जाने से खेती का कार्य समय पर आरम्भ कर दिया गया। किन्तु जुलाई के पहले पखवारे में अपर्याप्त वर्षा के कारण बोई हुई खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी। जुलाई के तीसरे सप्ताह में वर्षा आरम्भ से यह आशंका बहुत हद तक दूर हो गई है। इधर हाल ही में तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो रही है और आशा है कि यह खरीफ की फसलों के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी।

प्रदेश में खाद्य स्थिति सन्तोषजनक है और प्रदेश में इस समय गल्ला वितरण हेतु ५,०८८ सरकारी गल्ले की दूकानें खुली हुई हैं जिनकी जिलेवार संख्या नत्थी **'ग' में दी हुई है। अक्तूबर, १९६६ तक नैनीताल को छोड़ कर छः पहाड़ी जिलों में गल्ले के माहवारी कोटा में २० प्रतिशत की वृद्धि करने का सरकार का विचार है।

चारे की कमी के बारे में इलाहाबाद को छोड़कर अन्य जिलों में स्थिति इस समय सामान्य है। एक सरकारी ठेकेदार को भूसा देने के लिये नियुक्त कर दिया गया है और जिला अधिकारी अपनी आवश्यकतानुसार रु० १२.१२ पै० प्रतिक्विंटल की रियायती दर के हिसाब से भूसा मंगवा सकते हैं इलाहाबाद जिले में १ जून, १९६६ से ५६ वैगन भूसा अब तक आ चुका है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२२—३२४ पर)

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२५—३२६ पर)

** (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

लोगों को काम देने क लिये इलाहाबाद में ४७ टेस्ट वर्क्स खोले गये थे। वर्षा के आरम्भ हो जाने पर उनको बन्द कर देना पड़ा और इस समय ३ टेस्ट वर्क करछना तहसील तथा एक टेस्ट वर्क मेजा तहसील में चल रहा है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर जिले में ४ टेस्ट वर्क्स तथा झांसी जिले में २ टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं।

इस वित्तीय वर्ष में शासन ने लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को निम्नलिखित धनराशियां प्रदान कर दी हैं–

	रुपया
टेस्ट वर्क्स	१०,०१,६००
अहेतुक सहायता	१७,९१,५००
अन्य प्रकीर्ण कार्य	२,३८,०००
तकावी (राजस्व परिषद् को दी गयी)	१,००,००,०००
गैर खेतिहरों की ऋण (राजस्व परिषद् को दी गयी)	१,००,०००

श्री सुरेन्द्र विक्रम, सदस्य, विधान सभा, ने अवर्षण के कारण तिलहर तथा जैतौपुर ब्लाक में बोए हुए चारे में जहर पैदा होने की बात का जिक्र किया था और श्री जाहिदहुसैन, मुहल्ला नितगजा के दो भैंसों के इसी कारण मर जाने के भी बात बताई थी। जिलाधिकारी शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस जिले में किसी पशु की मृत्यु जहरीला चारा खाने से नहीं हुई। जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि इस जिले में चारे की अभी कोई कमी नहीं हैं और इस कारण पशु अन्य स्थानों में नहीं जा रहे हैं।

श्री कमला सिंह ने गाजीपुर के अवर्षण क सम्बन्ध में जमानिया और भगरी गांव के पास की नहर में पानी न दिये जाने की बात उठाई थी। ये नहरें पानी की कमी के कारण चालू न की जा सकी थीं। जमानिया नहर मे २५ जुलाई १९६६, से पानी देने क. प्रबन्ध कर दिया गया है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में हुई वर्षा के कारण यहाँ की फसलों की दशा में भी सुधार हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांण्डेय–––

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त सरकारी दूकानों पर किस-किस किस्म का गल्ला दिया जा रहा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री ––

जहां पर टेस्ट वर्क्स हो रहे हैं इलाहाबाद में मैंने देखा कि वहां पर बजरी दी जा रही थी और बाहर का गेहूं भी दिया जा रहा था।

श्री रामसुन्दर पां डेय––

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गल्ले की सरकारी दूकानों पर इस वक्त किस-किस प्रकार का गल्ला आप देते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री––

सूचना की आवश्यकता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)––

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाडी क्षेत्र विशेषकर पूर्वी जिलों में जिनका मुख्य खाद्य चा ल है वह कितना प्रति व्यक्ति गल्ले की दूकानों पर दिया जाता है ?

श्री रामकुमार शास्त्री–

इसकी भी मुझे को जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे के भीषण प्रभाव के कारण अगहनी की जड़हन की फसल प्रायः मर चुकी है वहां पर जिलेवार कितनी अहेतुक सहायता, टैस्टवर्क और तकावी की सहायता देने का प्रबन्ध माननीय मंत्री ने किया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

माननीय सदस्य कहते हैं कि जड़हन की खेती और फसलें मर चुकी हैं। परन्तु मेरी जानकारी यह है और मैं भी खेती करता हूं और यह जरूर है कि पांच दस रोज तक वर्षा नहीं हुई थी, पौधे मर जाने लगे थे लेकिन वे इतने नहीं मर गये कि वहां की स्थिति खराब हो गई हो।

श्री उग्रसेन---

इसके माने यह हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को इसलिये मदद नहीं दी गई कि माननीय शास्त्री की नर्सरी में जड़हन ठीक है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कमला सिंह याद (जिला गाजीपुर)---

मगारी मौजा के पास श्रीमन्, एक नहर है, वहां पर पानी नहीं आया है और न ही सरकार ने कोई व्यवस्था की है। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर अवर्षण है और सरकार नहर से पानी की व्यवस्था नहीं करती तो और कौन सी व्यवस्था इस सम्बन्ध में सरकार कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जमानिया के पास नहर में पानी था नहीं। २५ जुलाई से व्यवस्था की गई है उस नहर से पानी देने की।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, ये तो उलटी बात कह रहे हैं। मगारी में पानी अब तक नहीं दिया गया है, क्या उसके बारे में कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

इसकी मुझको जानकारी नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के साथ जो लिस्ट नत्थी की है उसके अनुसार देहरादून में ६२ दूकानें, रामपुर में ५९ दूकानें, बांदा में ७२, इलाहाबाद में २७८, वाराणसी में ३२७, अल्मोड़ा में ३४३ परन्तु झांसी में केवल ३७ ही दूकानें हैं। वहां पर इतनी कम दूकानें खोलने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कारण नहीं मालूम है। अगर माननीय सदस्य वहां की संख्या कम समझते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाएगी।

श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)---

नैनीताल को छोड़ कर माननीय मन्त्री जी ने जो ६ पहाड़ी जिले बताए हैं क्या उनमें देहरादून भी शामिल है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

देहरादून भी है।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि फतेहपुर में जून और जुलाई में बिलकुल वर्षा नहीं हुई है और पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में वहां से बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन उन जिलों में सैकड़ों दूकान तथा फतेहपुर में, पिछड़ा जिला होते हुए भी, केवल ६ दूकानें ही क्यों खोली गयी हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अभी तो वर्षा काल का प्रारम्भ ही है। पश्चिमी जिलों से तो अत्यधिक वर्षा की सूचना आ रही है और रफ्ता-रफ्ता पूर्वी जिलों की ओर बढ़ रहा है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन जिलों में जुलाई के तीसरे हफ्ते तक वर्षा नहीं हुई है, अर्थात् मेरठ, मथुरा, मैनपुरी, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, खीरी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ़, इन जिलों में खेत सूखने न पायें, इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गोरखपुर में परसों ही दो इंच वर्षा हुई है और अभी यह क्रम जारी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

करछना और मेजा तहसीलें सूखाग्रस्त हैं। वहां पर अभी तक २५० दूकानें खुली हुई थीं। पुरुष भले ही काम पर लग गए हैं लेकिन स्त्रियों को अब भी काम की आवश्यकता है क्योंकि कोई नयी फसल नहीं आयी है। फिर भी टेस्ट वर्क क्यों बन्द कर दिए गए हैं ? क्या सरकार उनको पुनः चालू करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सही है कि अभी तक वहां १४–१५ सौ लोग काम कर रहे थे जिनमें अधिकांश स्त्रियां थीं। पुरुषों को काम मिल जाने से संकटपूर्ण स्थिति नहीं रही है, इधर बरसात के कारण काम भी बन्द कर देने पड़े हैं। फिर भी जहां बहुत आवश्यकता है—मिर्जापुर और इलाहाबाद में टेस्ट-वर्क अभी चल रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

खरीफ की फसल असाढ़ में बोकर समाप्त कर दी जाती है। क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि सूबे की कितनी फसल सूख गयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। लेकिन प्रदेश में जहां-जहां मैं गया, यह मालूम हुआ कि पिछले वर्ष से स्थिति बहुत अच्छी है, अधिक फसल बोयी गयी है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या ये टेस्ट वर्क भी राजनीतिक आधार पर खोले जाते हैं ? वह मेजा और करछना में चल रहे हैं लेकिन वह मंझनपुर में क्यों नहीं चलाए गए ? जब वहां भी स्थिति विषम थी तो वहां क्यों नहीं चलाए गए ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हमारी ओर से इलाहाबाद की कई तहसीलों में प्रयास किया गया कि टेस्ट वर्क चलाए जायं लेकिन बहुत सी जगह मजदूर आए ही नहीं तब वहां २ दिन चलाकर बन्द करना पड़ा। मैं खास तौर से आपकी तहसील के बारे में नहीं कह सकता कि चला या नहीं चला।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

फतेहपुर के बारे में अभी रामकिशोर जी ने ध्यान आकृष्ट किया कि वहां जितनी वर्षा होती थी उससे कम हुई है और धान तो बिलकुल बोया ही नहीं गया है। यदि मन्त्री जी को इसकी जानकारी है तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो पुरानी नहर या रामगंगा की नई नहर है उसमें शीघ्र पानी दिया जाय ताकि फसल खराब न हो?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जहां पर नहर है और पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर उन की जानकारी के अनुसार व्यवस्था करने की कोशिश की जायगी।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो राजस्व परिषद् के नाम जो धनराशि रखी गई है उसका उपयोग हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो कितना, और किस-किस जिले में?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अभी रुपया भेजा गया है, उसका ब्योरा तो स्थानीय अधिकारियों से ही मिल सकता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मेरी सूचना है कि उसका कोई उपयोग हो ही नहीं रहा है। वह बतायें कि कितने प्रतिशत उपयोग अभी तक उसका हुआ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपकी इत्तिला है यह हो सकती है, लेकिन हमारी इत्तिला यह है कि उसका उपयोग किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांण्डेय—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सदस्य शाहजहांपुर ने बताया कि तिलहर तहसील में एक गांव में २ बैल मरे लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि जिलाधीश की सूचना के अनुसार यह गलत है, तो क्या जिलाधीश ने या जिस अधिकारी ने जांच कों उसने माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी से या जिस किसान के बैल मरे उससे भी जानकारी की या उन्होंने अपने मन से ही लिख दिया कि नहीं मरे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अपने मन से लिखने का तो दस्तूर नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह जो रामगंगा के बांध की नहर निकली है और जिसकी नालियां भी बन गई हैं उसमें पानी देने की कृपा करेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मुझे तो उस नहर और नाली का ज्ञान नहीं है और माननीय सदस्य ज्ञान करायेंगे तो व्यवस्था करने की कोशिश की जायगी।

(श्री लखपतराम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री लखपतराम शर्मा जी, आप बैठ जायं। बार-बार इस तरह से खड़े होना उचित नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जब मन्त्री जी से मगारी नहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई सूचना नहीं है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी सूचना प्राप्त कर के बतायें कि पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है और वह कब तक दिया जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वहां तो पानी है ही नहीं।

श्री उग्रसेन—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे समूचे प्रदेश के बारे में नहीं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या किसी एक जिले के लिए बतायें कि कितनी क्षेत्रफल भूमि सूखे से प्रभावित हुई है या वहां पर फसल नष्ट हुई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों की फसलों के खराब होने के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था। इतनी थोड़ी अवधि में सारे प्रदेश में सर्वेक्षण कराकर मैं माननीय सदस्य की सेवा में उपस्थित करूं यह असम्भव है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय मन्त्री जी ने जहां टेस्ट वर्क कराने की सूचना दी है, मैं जानना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में जबकि साधारण तरीके से एक मजदूर को २ १/२ और ३ रुपए मिल जाते हैं, आप हर मजदूर को, अर्थात् मर्द, औरत और बच्चे को प्रति दिन के हिसाब से कितनी मजदूरी देते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, हमने पुरुष के लिए ९० पैसे, स्त्री के लिए ७५ पैसे और बच्चों के लिए ५० पैसे निश्चित किए हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब इस विषय पर समय समाप्त हो गया।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपके पास सूचना आ गयी है। आप प्रश्नों द्वारा जो और सूचना मांगना चाहें, मांग सकते हैं। यदि आप अल्पसूचित प्रश्नों द्वारा भी पूछना चाहें तो उन्हें भी एलाउ किया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इसके लिए तो आपको बहस के लिए कम से कम २ दिन का समय देना चाहिए ?

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने का कारण यह है कि जो डिप्लोमा दिया जाता है उसके बारे में माननीय मन्त्री जी इस विधेयक के अन्दर संशोधन ला रहे हैं। इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तरह की वे शिक्षा संस्थाएं हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं और एक वे हैं जो प्रदेशीय सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं जो शरणार्थियों की हैं। हल्द्वानी में एक संस्था चलायी जा रही है जिसमें सारा धन केन्द्रीय सरकार से मिल रहा है और उन्हीं के आदेश के अनुसार वे संस्थाएं चलायी जा रही हैं लेकिन जो डिप्लोमा इन संस्थाओं द्वारा जारी किया गया है वह मान्य नहीं है। न तो हमारे प्रदेश का उद्योग विभाग ही और न दूसरा विभाग ही उसे मान्यता देता है, तो इस तरह से जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसमें इस संस्था का भी जिक्र किया गया है। अतः चूंकि यह केन्द्रीय सरकार के धन से चलाया जा रहा है तो जब तक राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन इसके लिए न हो तब तक इस विधेयक को माननीय मन्त्री जी इस सदन में नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारी वैधानिक क्षमता से परे हैं। हम ऐसी संस्थाओं पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप संविधान का कोई अनुच्छेद बता सकते हैं?

डाक्टर सीताराम—

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को भ्रम है। हल्द्वानी में, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने कहा, आर० आर० डिपार्टमेंट, से यानी केन्द्रीय सरकार से मतलब है। उनकी जो संस्था है उसको मान्यता देने के लिये एक विधेयक लाया गया है, ऐसी बात नहीं है। प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत पोलिटेक्निक्स इंस्टीट्यूशन्स आते हैं, उस के साथ-साथ जूनियर पोलिटेक्निक्स भी आते हैं। तो ऐसी हालत में जैसा उन्होंने कहा आई० टी० आई० इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में है, वह इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते। इसलिए विरोधाभास का प्रश्न यहां पर उठाना असंगत है।

श्री कमलासिंह यादव—

मन्त्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि हल्द्वानी में जो प्रशिक्षण केन्द्र है जिस के बारे में भी यह विधेयक बनाया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार के खर्चे से इन के विभाग द्वारा चलाया जा रहा है उस का डिप्लोमा इस के अन्तर्गत आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो कहां उस का रिकग्नीशन मिला है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२८–३३१ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा विरोध है। अभी तक हमें इस की प्रतियां नहीं मिली हैं जो विधेयक मन्त्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह लोग कह रहे हैं कि पिजन होल में रखी हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

दो मिले हैं लेकिन तीसरा नहीं मिला है जो मन्त्री जी रखने जा रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

यही नहीं है। जब तक हमको प्रति न मिल जाय तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

यह नहीं मिला है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सब रख दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३२–३३४ पर।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, नियम १३१ की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें है कि जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनसे संबंधित पत्र हमें दिलवा दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अगर कोई संबंधित पत्र हों तो सदन की मेज पर रखे जायं।

प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में संकल्प

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाय जो शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे ।"

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव, पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आज जो स्थिति प्रदेश में शिक्षा की है उसकी ओर में शिक्षा मंत्री और सरकार का ध्यान इस संकल्प के द्वारा आकर्षित करूं । आप जानते हैं कि किसी भी राज्य की शक्ति तथा उन्नति उस देश की शिक्षा पर निर्भर है । वहां के नागरिकों को जो शिक्षा मिलती है उसी के अनुरूप उस देश का समाजिक और शैक्षिक वातावरण बनता है, खास तौर से उस देश के लिये जो कि हजारों वर्षों तक गुलाम रहा हो और उसे अपने देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिये विशेष रूप से आगे बढ़ने की जरूरत हो । ऐसी स्थिति में यह सब भी आवश्यक हो जाता है कि हम शिक्षा जैसे विषय पर गहन दृष्टि से कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारी शिक्षा में जो गिरावट आ रही है उसे दूर किया जा सके । देश में काफी समय तक विदेशियों का शासन रहा । किन्तु आज लगभग १९ वर्ष हो रहे हैं फिर भी शिक्षा की प्रणाली में हमने कोई सुधार नहीं किया । १८१३ में चार्टर आफ एजूकेशन के मुताबिक शिक्षा का यह उद्देश्य था कि देश में सरकारी कार्यालयों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जाय ताकि शासन का राज काज चलाया जा सके । आजादी के बाद एक यह जरूरत महसूस हुई कि पुरानी शिक्षा प्रणाली में पुनर्विचार किया जाय और १९४४ में एक सेंट्रल ऐडवायजरी बोर्ड आफ एजूकेशन की स्थापना हुई जिसने सिफारिश की कि ६ वर्ष से १४ वर्ष के बालक तथा बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाय । इसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान में भी यह समावेश किया गया कि १० वर्ष की अवधि के अन्दर संविधान लागू होने के बाद केन्द्र तथा प्रदेशीय सरकारों को ठोस कदम उठाना चाहिये और यह अपेक्षा की गयी कि १४ वर्ष की आयु के जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाय । लेकिन संविधान के अन्दर यह व्यवस्था होने के बावजूद भी सन् ६१ की जनगणना के आधार पर शिक्षा के सम्बन्ध में जो सर्वे हुआ है उस ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप देखें कि आन्ध्र में २१.२, आसाम में २७.४, बिहार में १८.४, गुजरात में ३०.५, जम्मू तथा काश्मीर में १०.०, केरल में ४६.८, मध्य प्रदेश में १७.१, मदरास में ३१.४, महाराष्ट्र में २९.८, मैसूर में २९.४, उड़ीसा में २१.७, पंजाब में २४.२, राजस्थान में १५.२, उत्तर प्रदेश में १७.६, तथा पश्चिमी बंगाल में २९.३ परसेंट शिक्षा है । सन् ६१ के सर्वे के अनुसार केवल जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान को छोड़ कर आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश, जो प्रत्येक कार्य में अग्रणी रहा है शिक्षा के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी कि अपेक्षा की जाती थी । हमारी शिक्षा के दो उद्देश्य रहे हैं । वह यह है कि एक तो निरक्षरता का निवारण किया जाय ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लिखना पढ़ना सिखाया जाय । इसका जो दूसरा उद्देश्य रहा है वह है जीविकोपार्जन, देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान देने के लिये अच्छे नागरिक तैयार करना । इस प्रकार से हमारे सामने शिक्षा के दो पहलू हैं ।

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है, मैंने अभी आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये जिनसे यह प्रतीत होता है कि जो प्रगति इस क्षेत्र में करनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी । इसका मुख्य कारण यह रहा है कि अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा आधार प्रत्यक्ष रूप से बुनियादी शिक्षा का नहीं आया है कि किस प्रकार के उद्देश्य को मान कर हम उसे आगे बढ़ावें और किस प्रकार से आज जो शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिर रहा है उसे ऊंचा उठाने के लिये आगे बढ़ें । इस सम्बन्ध में अभी तक हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । खास तरीके से एक बात की ओर आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आज जो हमारा बुनियादी सवाल है वह यह है कि आया देश में अंग्रेजी शिक्षा हो या हिन्दी शिक्षा, जिसे मुख्य रूप से कार्यान्वित किया जाय । इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर ली गयी है, लेकिन आज भी हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिये, वह उसे नहीं मिल पाया है । इसका एक ही कारण है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अन्तर है । हम इस बात की चर्चा तो करते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, लेकिन प्रयोग के रूप में हम इस पर कोई अमल नहीं करते हैं । आज भी बराबर सरकारी काम-काज जो दफ्तरों में होता है, अदालतों में होता है वह उसी अंग्रेजी भाषा में होता है । कहने का तात्पर्य यह कि जब तक हमारे देश में एक भाषा न होगी, जब तक हम स्थायी रूप से अमली रूप में एक भाषा को मान्यता नहीं देते हैं कि उसी भाषा में पढ़ाई होगी, क्योंकि जो भी यह भाषा होगी वह सारे देश में, सारे प्रदेशों में अनिवार्य रूप से पढ़ायी जायेगी । अगर ऐसी कोई भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही हो सकती है जिसे हमारी केन्द्रीय सरकार ने और हमारे प्रदेश की सरकार ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है । उसी आधार पर सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी माध्यम से शिक्षा देते हों, उन में हिन्दी के विषय को लाजमी तौर पर लागू किया जाय ताकि उस से हमारे प्रदेश का लाभ हो सके और उस के माध्यम से हमारे सारे देश को एक दिशा मिले और उससे मानवमात्र का कल्याण हो ।

आपका ध्यान मैं रूस में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं । वहां पर सारे देश में जहां अनेक भाषायें पढ़ाई जाती हैं, वहां उन्होंने एक भाषा को प्राथमिकता दी है और वह है रूसी भाषा । उसी आधार पर सभी स्कूलों में चाहे वे जिस प्रकार के हों, वहां रूसी भाषा पढ़ाई जाती है । वहां बोलचाल की भाषा भी रूसी ही है । इसके साथ ही साथ जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आज हमारे यहां चल रही है उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

आज हमारी शिक्षा को चार भागों में बांटा गया है । एक तो पूर्व प्रारम्भिक, २--प्रारम्भिक, ३---माध्यमिक और ४---उच्च शिक्षा । इस प्रकार से आप देखें कि हमारे प्रदेश में चार भागों में सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का विभाजन किया गया है और उन्हीं के माध्यम से हम तमाम प्रदेश में शिक्षा का संचालन करते हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि इस विषय में सरकार को बहुत गहराई के साथ विचार करना होगा कि जो हमारा यह विभाजन है और जो हमारे देश में शिक्षा का मौजूदा स्वरूप है उसमें क्या परिवर्तन या इसके स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है । मैं शिक्षा मंत्री को इन विषयों को चार भागों में विभक्त करने के बजाय दो भागों में विभक्त करने का सुझाव देना चाहता हूं । प्राइमरी शिक्षा का अर्थ आज जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है वह कक्षा ५ तक है । कक्षा ६ से ८ तक माध्यमिक शिक्षा में आता है । उसके बाद उच्च शिक्षा में शामिल करते हैं । सरकार को प्राइमरी और उच्च शिक्षा, केवल दो भागों में विभक्त करना चाहिये और इसके अनुरूप हमें भविष्य में एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसके आधार पर हम लोगों का बौद्धिक और शैक्षिक विकास कर सकें और उनको स्वावलम्बी बना सकें । मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जो महात्मा गांधी ने १९३५ के इंडिया ऐक्ट के बाद १९३७ में स्वदेशी सरकार के समक्ष दो तरह की

शिक्षा प्रणाली को रखा था । उन्होंने कहा था कि ७ वर्ष की जो शिक्षा हो उसमें कम से कम मैट्रिक तक प्राइमरी शिक्षा मानें । प्राइमरी शिक्षा हम उस स्टेज तक मानें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पढ़-लिख कर शैक्षिक ज्ञान प्राप्त कर सके और आगे उच्च शिक्षा के लिये परिपक्व हो सके । दूसरा सुझाव उन्होंने यह दिया था कि हम मैट्रिक के बाद इस प्रकार की व्यवस्था करें कि छात्र ऐसे कामों की भी जानकारी करें कि उन्हें केवल कार्यालयों में नौकरी तक ही सीमित न रहना पड़े बल्कि वह स्वावलम्बी हों और उसके आधार पर यदि उसे कोई शासकीय कार्य न मिले तो भी वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान विख्यात साहित्यकार माननीय सुमित्रा नन्दन पंत, जो एक सांस्कृतिक डेपुटेशन पर रूस गये थे उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं उनकी ओर आकर्षित करूंगा । उन्होंने बताया है कि वहां उच्च शिक्षा योग्य व्यक्तियों को ही दी जाती है । योग्य व्यक्ति से उनका तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा ग्रहण करता है उसकी प्रवृत्ति को शुरू से ही वाच किया जाता है कि उसका रुझान किस प्रकार की शिक्षा की ओर है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि रूस में ८५ प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जिन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाती है । यही नहीं, वहां जिस प्रकार राष्ट्र की पूंजी में अनेक बातें आती हैं उसमें छात्रों को भी राष्ट्र की पूंजी माना जाता है और उनकी सुख-सुविधा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि आगे चल कर जो उन पर जिम्मेदारियां आने वाली हैं उनको वे अच्छी तरह से निभा सकें । श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी से यह कहना है कि इन सुझावों को ध्यान में रख कर ऐसी व्यवस्था करें जिससे आज जो हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसको भविष्य में ऊंचा उठाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से एक बात कही ज ती है कि हमारे सामने आर्थिक समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके आधार पर हम इन बातों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वास्तव में हमारे सामने आर्थिक समस्या है अवमूल्यन की, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि शिक्षा में सुधार किया जाय । मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस दिशा में वह सोचें कि हमें देश में बौद्धिक विकास के लिये, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये तथा अच्छे नागरिक बनाने के लिये एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे हमें अच्छे नागरिक मिल सकें ।

दूसरी मांग यह है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाये जिससे हमें ऐसे व्यक्ति मिल सकें जो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में, टेकनीकल क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति हों जिनके द्वारा हम विभिन्न फार्यों में परिवर्तन ला सकें । मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से दो बातों की ओर और दिलाना चाहता हूं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी हालत यह है कि हम खाने भर को भी अनाज पैदा नहीं कर पाते । दूसरे हमारे देश में २० वर्ष के बाद भी इंडस्ट्रियल माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिससे हम पढ़ने के बाद छोटे-छोटे उद्योग चलाकर एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें जिसके द्वारा देश की दशा में सुधार हो सकें । आज ऐसे व्यक्ति तैयार करने की जरूरत है जो कृषि एवं टेक्नीकल क्षेत्र में तरक्की कर सकें ।

आज शिक्षा की क्या स्थिति है ? आये दिन प्रदर्शन होते हैं, झगड़े होते हैं, तमाम कठिनाइयां सरकार के और उच्च शिक्षा संचालक के सामने हैं । हो सकता है कि छात्रों के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ी हों जिनके आधार पर वह विवश हो जाते हों । लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां उनके सामने अन्य बातें हो सकती हैं वहां उनके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि पढ़ने के बाद वह क्या करेंगे । शिक्षा के बाद किसी छात्र को श्योरिटी नहीं है कि वह क्या करेगा । किसी विभाग में यदि कुछ जगहें निकलीं तो उसके लिये सीमा से अधिक प्रार्थना-पत्र आते हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि कोई छात्र सिवाय नौकरी के और कोई काम नहीं कर सकता है वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है ।

इसके साथ-साथ आज जो आये दिन संघर्ष होते हैं उसमें यूनियनों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सबसे बड़ी कमी जो इसमें है, वह यह है कि काम के अभाव में, शिक्षा जो

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

दी जाती है, उसकी रुचि के विपरीत होने के कारण आप देखें वहां पर आये दिन यूनियनों द्वारा हड़ताल हुआ करती हैं, प्रदर्शन हुआ करते हैं और यह इस बात का द्योतक है कि यूनियनों के माध्यम से जो एक अच्छा वातावरण शिक्षा के लिये उत्पन्न होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो कि आज की जो यूनियनें हैं उनकी व्यवस्था में परिवर्तन हो। इसके लिये आवश्यक है कि यूनियनों में विद्यार्थियों के, अभिभावकों के और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के प्रतिनिधि भी रहें और यूनियन इस प्रकार की हो जिसमें छात्र, अभिभावक और अध्यापक बैठकर अपने से सम्बन्धित समस्याओं पर गहराई से विचार कर सकें। उस विचार के पश्चात् कोई रास्ता निकाला जा सके, जिससे जो अनुशासनहीनता आज बढ़ गई है वह रोकी जा सके। नित्य प्रति जो अनुशासनहीनता की घटनायें होती हैं और सरकार की ओर से जो लाठी चार्ज किया जाता है उसे इस व्यवस्था द्वारा रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं इन सब परिस्थितियों में इससे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। आज हमारे सामने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके द्वारा स्कूल से निकलने के बाद हम कोई धंधा कमा सकें। इस सम्बन्ध में मैंने कई उदाहरण दिये उन पर सरकार को विचार करना चाहिये और उसके अनुसार सरकार को कोई प्रोग्राम बनाना चाहिये जिससे आज की दुर्व्यवस्था दूर की जा सके और शिक्षा के गिरते हुये स्तर को उठाया जा सके।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान प्राइमरी शिक्षा की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। इस के बारे में मेरा यह कहना है कि जो शिक्षा कक्षा पांच तक दी जाती है उसमें बच्चों को ७-७ विषय पढ़ाये जाते हैं। ५–७ साल के बच्चे के लिये ७–७ विषयों का पढ़ना, समझ सकना और उनका समावेश अपने मस्तिष्क में करवाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को सोचना ही पड़ेगा। खास करके पांचवीं कक्षा तक हमें इतने विषयों का निर्धारण करना चाहिये जो कि उनकी क्षमता के अनुरूप हों, जिनका विद्यार्थी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से अध्ययन कर सकें और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें।

इसी बारे में एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ५० बच्चों पर आज एक अध्यापक की व्यवस्था है। क्या प्राइमरी शिक्षा जिसका आशय अबोध व्यक्ति को बोध कराना होता है, उसमें एक व्यक्ति ५० बच्चों को पढ़ा सकता है? सरकार की ओर से जो नियम बने हैं, उन्हें जहां तक मैंने समझा है, उसमें ३० बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है, लेकिन प्रेक्टिस में यदि देखा जाय तो चाहे जिला परिषद् का स्कूल हो या अन्य प्रकार के स्कूल हों, उनमें एक, एक टीचर के पास ५०–५० विद्यार्थी रक्खे जाते हैं।

श्रीमन्, कहने का मतलब यह है कि हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिये क्लासवाइज न हो सके तो पूरे प्राइमरी स्कूल में ३ टीचर्स तो अवश्य रखे जायें जो सभी कक्षाओं में कंट्रोल कर सकें, जो सभी बच्चों को सही रूप में शिक्षा दे सकें।

इसके अलावा यह भी व्यवहार में देखा गया है कि जिला परिषद् के स्कूलों में किसी-किसी स्कूल में एक अध्यापक है और किसी में १०–१० अध्यापक हैं.....

(लालबत्ती होने पर।)

मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, आप २ बजे तक खत्म कर दीजिये।

श्री राम किशोर त्रिपाठी—

एक आवश्यक बात यह है कि सारे प्रदेश के लिये जहां आपने एक सिलेबस रखा है वहां जिला परिषदों में एक, हायर सेकेन्डरी स्कूलों में दूसरी, और ऐंग्लो सेकेन्डरी स्कूलो में तीसरी तरह की, भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न प्रकार की पुस्तकें चलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा

कार्यक्रम तैयार करें जिसके आधार पर प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर में और हर दिशा में उनमें एकरूपता आ सके और सभी स्कूलों में एक ही प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जायं ।

माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा के स्तर गिरने का एक कारण यह भी है कि हमारे शिक्षक पोलीटिकल कार्यों के शिकार हैं । उनकी दिलचस्पी शिक्षा में जो होनी चाहिये थी वह नहीं है । शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

शिक्षा उपमंत्री जी तो हैं, आपकी बात पहुंच जायगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मैं शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश जी के लिये कह रहा था कि उन्होंने बाराबंकी में एक वक्तव्य में कहा था कि आज हमारा शिक्षक राजनीतिक फुटबाल के रूप में प्रयोग में आ रहा है । इस सब के रहते शिक्षा का स्तर गिरता ही रहेगा । इसलिये आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई एजेंसी लाई जाय जिससे वहां से पालिटिक्स का प्रभाव दूर हो जाय ।

शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर स्वायत्त शासन संस्थाओं के हाथ में है और जब तक उनके हाथ में रहेगी शिक्षक इंडिपेंडेंट हो कर कार्य नहीं कर सकता । इसी को ठीक करने के लिये मेरा सुझाव है कि कोई ऐसी एजेंसी बनाई जाय जिसके द्वारा नियुक्ति ट्रान्सफर का कार्य लिया जाय । कोई ३ आदमियों की कमेटी गवर्नमेन्ट ने बनाई है, उसका कुछ जिलोंमें पालन हो रहा है, लेकिन बहुत से जिलों में पालन नहीं हुआ है । शिक्षकों की नियुक्तियां एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सूची द्वारा हों और ६ वें, ७ वें पास लोग न रख लिये जायं, इस पर नियंत्रण हो तभी काम-चल सकता है और हमारे एस० डी० आईज० जो लुंज बने बैठे रहते हैं उनको अधिकार मिलना चाहिये । सरकार द्वारा डाइरेक्ट या कोई बोर्ड बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रान्सफर्स और कार्य संचालन आदि पर नियंत्रण होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव रखे हैं उनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी उन पर विचार करें।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु यह कहना है कि इस सम्बन्ध में कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी । उसने जो सुझाव दिये हैं उन्हें सरकार को लागू करना चाहिये । प्राइमरी टीचर को १५० रुपया से कम तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये । इस आयोग ने जो सिफारिश की है उसके आधार पर ही उनको पे स्केल मिलना चाहिये । इसलिये इन सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि एक समिति इस तरह की नियुक्त की जाय जो सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखे ।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत संकल्प की दूसरी पंक्ति में 'के स्तर' तथा 'शिक्षकों की' के बीच अधोलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"का भारतीयकरण करने एवं उसे जीवनोपयोगी बनाने" ।

श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने जो महत्वपूर्ण संकल्प सदन के समक्ष रखा है उसमें मैंने अपना यह संशोधन रखा है । यह मैंने कोई चीज बदलने के लिये नहीं रखा है । मुझे ऐसा लगा कि सम्भवतः इसमें कुछ चीज जोड़ दी जाय तो वह समिति और अधिक उपयोगी काम करेगी । मेरा सुझाव यह है कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिये । दूसरा सुझाव यह है कि जो शिक्षा हमारे विद्यालयों के द्वारादी जाती है वह इस तरह की निर्धारित होनी चाहिये जो दैनिक जीवन के लिये उपयोगी हो सके और उससेकिसी प्रकार बेरोजगारी को बढ़ावा न मिले ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रक्षपाल सिंह]

जो मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में संक्षेप में २, ३ बातें सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं । यह सत्य है कि हमारे देश में जो इस समय शिक्षा पद्धति चल रही है वह उसी समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था । उन्होंने अपना उपनिवेश बनाने के लिये, अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिये उस प्रकार की शिक्षा पद्धति को चलाया था । उसका नतीजा यह है और यह देखने में आता है कि हाई स्कूल पास तो न मालूम कितने बेकार हैं, एम० ए० पास भी बेकार मारे मारे फिरते हैं । यह इस प्रकार की शिक्षा है जो बेकारी को पैदा करने वाली है । यदि कोई प्राविधिक शिक्षा पा लेता है तो उसके लिये कुछ गुंजायश हो सकती है, नहीं तो जो दूसरी शिक्षा विद्यालयों में चल रही है उससे बेकारी ही बढ़ती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उसमें सुधार होना चाहिये और वह इस तरह से निर्धारित होनी चाहिये कि जिससे हमारे कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थी अच्छे भारत के नागरिक बनें और देश भक्ति के वातावरण को लेकर वह आगे जीवन में बढ़ें। उनका ऐसा जीवन बने जिससे वह देश की रक्षा कर सकें।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह अंग्रेजी के सम्बन्ध में है। इस देश की सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिये। मैं उनको नहीं कहता लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार ने हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये अंग्रेजी को हटाने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार उससे पीछे चली गई। सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि छोटे दर्जे से अंग्रेजी का पाठन होगा लेकिन अब उसने उसको तीसरे दर्जे से कर दिया है। तीसरी श्रेणी से छठे तक ३० या ५० या ७५ पैसा लिया जाता है और विदेशी भाषा के पढ़ाने के नाम पर लिया जाता है। प्रारम्भिक कक्षा से विदेशी भाषा को पढ़ाने के लिये यह शुल्क लगाया गया है। यह हिन्दी का प्रोत्साहन नहीं है बल्कि हिन्दी को पीछे ले जाने वाला है । हाई स्कूल में जो प्रश्न पत्र अंग्रेजी में आते थे उनका उत्तर हिन्दी में देने की छूट रहती थी। अब वह छूट समाप्त हो गई है। उसको हटाने से क्या हिन्दी को प्रोत्साहन मिलेगा? अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना अनिवार्य होगा। अगर अंग्रेजी के प्रश्न का उत्तर हिन्दी में दे सकते थे तो उनको अनुवाद आदि लिखने की छूट थी, लेकिन थोड़े दिन पहले सरकार ने अंग्रेजी का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करने का आदेश लागू कर दिया है। नतीजा यह है कि अंग्रेजी, जिसे देश में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उसके नाम पर हजारों विद्यार्थी हर साल फेल होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी आदि सभी ने कहा कि अंग्रेजी को यहां से हटना चाहिये। हमारे देश की शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि अंग्रेजी न जानने पर भी विद्यार्थी स्नातक हो सके, लेकिन आज तक यह सम्भव नहीं हुआ। कोठारी आयोग ने शायद यह सिफारिश की है कि अंग्रेजी बनी रहनी चाहिये। यह देश हित में नहीं है। थोड़े से लोग जो हम पर अंग्रेजी लादे रखना चाहते हैं उनकी बात को सरकार को नहीं मानना चाहिये और कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को तो जो देश में एक आदर्श उपस्थित करना चाहती है कि हम सारा काम-काज हिन्दी में ही कर सकते हैं उसको तो इस सिफारिश को मानने का कोई औचित्य ही नहीं है । उसे अपने यहां हिन्दी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये। अगर सरकार ने ऐसा किया तो हम अंग्रेजी हटा कर हिन्दी को स्थापित करने के प्रयत्न में सफलीभूत होंगे

श्रीमन्, शिक्षा के क्षेत्र में चारित्रिक अथवा धार्मिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारे यहां धर्म न्याय और व्यवस्था का दूसरा नाम है। वह हमारे नैतिक जीवन को चलाने वाली व्यवस्था है। उस की शिक्षा अवश्य होनी चाहिये। उसके लिये आवश्यक नहीं है कि हम कहीं जाकर माला जपें अथवा मन्दिर में जाकर जल ही चढ़ायें। हमारे यहां मर्यादा का पालन करने वाले, देश में आदर्श उपस्थित करने वाले लोग हैं उनके जीवन से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। मैं अपने छुटपन की याद करता हूं कि जब मातृभूमि की और ईश की बन्दना पुस्तक में सब से पहले होता थी। आज हर पुस्तक में गांधी जी और नेहरू जी का नाम ही देखने को मिलता है। हमारी शिक्षा से इस प्रकार के संस्कार बच्चों में पैदा होने चाहिये कि जिससे उनका

जीवन सुधार हो सके। हमारी शिक्षा प्रचारात्मक नहीं होनी चाहिये। ऐसा करना देश हित में न होगा। इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षा संस्थायें ट्रेड यूनियन की भावना से काम कर रही हैं। यह भावना उनमें बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी और गुरु में पहले जैसा सम्बन्ध नहीं है। वह समझता है कि हम फीस देते हैं और इसलिये गुरुजन हमारे नौकर हैं। अगर हमारी अटेंडेंस पूरी है तो हमको पास होना ही चाहिये। यह भावना मिटनी चाहिये और ट्रेड यूनियन की भावना को रोकने का हमको प्रयास करना चाहिये। वेश भूषा को आप देखें। आज मिशन के स्कूल चलते हैं, उनका शिक्षा प्रसार तो ठीक है, लेकिन जीवन बनाने और चलाने का जो प्रयत्न है यह तो एक प्रकार की दिशा में उनको डालने का एक प्रकार चल रहा है। यह कितना उचित है, कितना नहीं है उसमें मैं नहीं, जाता, लेकिन वेश-भूषा के बारे में सरकार कोई निर्धारण करती है और उसके अनुसार सब ऊंच-नीच के भेदभाव को उठाते हुए हमारे बच्चों में एक प्रकार के अच्छे संस्कार भरती है तो यह उचित कदम होगा।

संस्कृत के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि प्रदेश में व्यवस्था है कि हिन्दी के साथ संस्कृत का ज्ञान होगा, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। संस्कृत की शिक्षा सारे देश में कम्पलसरी होनी चाहिए। जनसंघ का ऐसा कहना है कि संस्कृत तो राष्ट्रभाषा है, हिन्दी राजभाषा है। क्योंकि जितनी देश की १४ भाषाएं हैं सब संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत के शब्द सब भाषाओं में हैं। तो सबको एक लिंक करने वाली भाषा संस्कृत ही हो सकती है और धीरे-धीरे उसको उसका स्थान देना चाहिए। सेरेमोनियस अकेजन्स पर जैसे कि पूना यूनिवर्सिटी में होता है, संस्कृत में कार्यक्रम होना चाहिए, उससे मातृभाषा संस्कृत को ऊंचा स्थान मिलेगा और संस्कृत के बारे में सब लोगों का एक विशेष प्रेम होगा और उसको जानने की उत्सुकता होगी।

औद्योगिक शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि अभी तक इंटर पास करने के बाद ही कुछ विद्यालयों में प्रवेश मिलता है। होना यह चाहिए कि हाई स्कूल से पहले ही इन विषयों का समावेश शिक्षा में होना चाहिए और विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पढ़ने का अवसर देना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे शिक्षा विभाग में यह होता है कि बच्चों को श्रम करने से दूर भागने की मनोवृत्ति पैदा हो गयी है, उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर टेक्निकल एजूकेशन इस तरह की हो कि हाई स्कूल का विद्यार्थी है तो हाई स्कूल पास करने के बाद भी उसको किसी न किसी काम में लगाया जा सके, चाहे जूता बनाने का काम हो, किसी प्रकार का काम हो, तो ज्यादा मुनासिब होगा। हाई स्कूल पास जो तृतीय श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनको तो प्राइमरी अध्यापक जिला स्तर पर भी नहीं बनाया जाता। यहां पर दो-चार नाम आ जाते हैं विधायक महोदय के हस्ताक्षर से और मंत्री जी की कृपा हो गयी तो वह हो जाते हैं।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमान् जी, जितने बच्चे गये होंगे, सब हो गये होंगे।

श्री रक्षपाल सिंह—

उसके लिए मैं बधाई देता हूं।

आर्थिक स्थिति के बारे में यह कहना है कि योग्य शिक्षा मंत्री महोदय का अध्यापकों की दशा सुधारने का प्रयत्न सराहनीय है। अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास वित्त का कार्य रहा तो उनके वेतन में वृद्धि की जो सिफारिश है उसको भी वह इम्पलीमेंट कर देंगे, ऐसी आशा है हमारी दूसरी शिक्षण संस्थाएं हैं वह वेतन कम करने के प्रयास में रहती हैं, तो उस चीज को खत्म करने का उपाय करना चाहिए। इससे हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होगा और रोजगको बढ़ सकेगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि त्रिपाठी जी का जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका मान कर एक सम्पूर्ण निश्चित रूप से आयोजन करें जिसके आधार पर सब बातों पर विचार हो सके और प्रदेश में एक अच्छे प्रकार की शिक्षा हो सके।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा के लिए हमारे यहां एक बहुत बड़ी रुचि है। उसी का कारण है कि शिक्षा आज बहुत तेजी से फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शिक्षा संस्थाएं बढ़ रही हैं, नयी-नयी संस्थाओं को खोला जा रहा है। गांव-गांव में स्कूल स्थापित हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल बढ़ रहे हैं और काफी बच्चे शिक्षक होते जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन जो भी शिक्षा थी उसका स्तर बहुत ऊंचा था और जो उस समय शिक्षक लोग थे वे भी आज के मुकाबले में बहुत योग्य थे। राष्ट्र का भविष्य ही वास्तव में शिक्षा पर निर्भर है। अगर शिक्षा का स्तर गिरता है तो यह हमारे लिये बहुत ही अफसोस की बात है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बराबर गिरता जा रहा है। इसलिये यह गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात है कि इसका कारण क्या है। शिक्षा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर स्तर गिरता जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है।

कुछ समय पूर्व शिक्षकों की भी कमी थी, पर वे योग्य होते थे। आज शिक्षकों की कमी नहीं है, पर उनको जितनी योग्यता होनी चाहिए, उसका अभाव है। इसलिये यह संकल्प यहां पर आज आया है। आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में भी अनुशासन का अभाव है। अध्यापकों में भी जो गुण होने चाहिये वे नहीं हैं। इसलिये हमें यह देखना चाहिए कि इस सब का कारण क्या है। आज शिक्षक लोग यही केवल समझते हैं कि वे नौकरी कर रहे हैं और उस का वे वेतन पाते हैं। वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझते। बहुत थोड़े से ऐसे होंगे जिन को अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान होगा। इसलिये इस प्रश्न पर भी विचार करना है।

इस के अलावा मान्यवर, आज शिक्षा का विस्तार करना ही काफी नहीं है। देखना तो यह होगा कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उसका स्तर कैसा है, उसका बच्चों के दिमागों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाई स्कूल में आज देखिये कि ५० प्रतिशत से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, मां बाप का तमाम रुपया खराब होता है। ५–७ फी सदी लड़के ही उसमें फर्स्ट क्लास होते हैं और बाकी थर्ड डिवीजन ही पास होते हैं, कुछ से किन्ड आते हैं। इसके अलावा जब वे पढ़ कर स्कूल से निकलते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि उनको कहीं किसी प्रकार की नौकरी मिले। इसी में उन का भविष्य निहित रहता है। उन के सामने यह नहीं होता कि वे क्या करेंगे। उन में काफी से ज्यादा निराश होकर यह सोचकर कि यदि हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें तो हमारे लिये जिन्दगी में कोई अवसर निकले, वे उच्च शिक्षा के लिये दाखिला ले लेते हैं और उन्हें दाखिल कर लिया जाता है। यही हाल इन्टरमीडियेट और यूनिवर्सिटीज की शिक्षा में होता है। गर्ज कि, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक यही हालत रहती है।

सबसे पहिले तो आपको प्राइमरी शिक्षा को ठीक करना होगा। वही बुनियाद है एक विद्यार्थी के लिये। यदि वह उचित है तो आप यह समझ लीजिये कि विद्यार्थी आखिर तक कामयाब होता रहेगा, योग्य होता रहेगा। और यदि प्राइमरी शिक्षा खराब है, गलत है या उसमें कोई कमजोरी है तो वह कभी नहीं पनपेगा, कभी उसकी शिक्षा ठीक नहीं होगी। बुनियाद को ही मजबूत बनाना चाहिये। आज प्राइमरी शिक्षा की क्या हालत है, उसके अध्यापक कैसे हैं। मैंने खुद जिला परिषद् में अध्यापकों के चुनाव के समय जो उम्मीदवार आते हैं उनको देखा, जिनको कुछ नहीं आता। वही हमारे बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देंगे। तो यह कैसी शिक्षा होगी। उनमें से ज्यादातर केवल इसी वजह से आते हैं कि उनको रोजगार मिल जाय। उनका यह दृष्टिकोण नहीं होता कि उन्हें कोई विशेष रुचि शिक्षा के प्रति है। वे केवल रोजगार के लिये शिक्षा को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब हमारे बच्चे ऐसे अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो यह स्पष्ट है कि वे उनसे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कोशिशें करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं कि किसी तरीके से उनको अध्यापक चुन लिया जाय। वह यह भी कोशिश करते हैं कि उनकी नियुक्ति होने के बाद उनको कहीं उनके घर के करीब, उनके गांव के निकट, उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पोस्टिंग हो जाय और वहां सुबह जायं और शाम को वापिस आ जायं और अपने घर का काम-काज थोड़ा बहुत देख लें। तो मान्यवर, जब तक शिक्षा में अच्छे और योग्य लोग नहीं आयेंगे और उसको अपना कैरियर नहीं बनायेंगे उस वक्त तक आपकी जो शिक्षा है वह सफल नहीं हो सकती और हमारे जो विद्यार्थी हैं वे ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और यह तभी हो सकता है जब जो शिक्षक हों उन्हें अच्छी तनख्वाहें दी जायं। उनका समाज में एक स्तर हो। आज एक अध्यापक का समाज में कोई विशेष स्तर नहीं है। आज उसे कोई पूछता नहीं है। आज उसे एक मामूली सा अध्यापक समझ कर हर शख्स उससे नजर बचा लेता है, उसकी तरफ देखता नहीं। तो ऐसी हालत में कैसे अच्छे लोग आ सकते हैं और शिक्षा को अपना कैरियर बना सकते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा के लिये जो अध्यापक लिया जाय वह योग्य होना चाहिये, वह सिफारिश से नहीं लिया जाना चाहिये। वह कोशिशों से नहीं आना चाहिये। जब तक उनमें योग्यता नहीं होगी, जब तक उनकी जो शिक्षा देने की क्षमता है,वही ठीक नहीं होगी। उस वक्त तक उनके जो विद्यार्थी हैं वे कुछ नहीं सीख सकेंगे। सबसे पहले हमें अपनी प्राइमरी एजूकेशन को सुधारना होगा। अगर हमने उसको नहीं सुधारा तो नीचे के सारे दोष ऊपर तक आयेंगे। अगर बुनियाद ही टेढ़ी हुई तो इमारत तो टेढ़ी हो ही जायगी। इसके अतिरिक्त प्राइमरी शिक्षा को बहुत बड़ा रखा गया है। छोटे-छोटे बच्चे उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, न उसको याद ही कर पाते हैं। ऐसी सूरत में उसको छोटा किया जाय।

जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी है उनको हिन्दी में और जिनकी मातृभाषा उर्दू है या जो लोग उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उनको उर्दू में पढ़ने की सुविधा होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है और मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिन्दी के साथ उर्दू की शिक्षा भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनके लिये उर्दू की व्यवस्था होनी चाहिये। उसको भुलाया न जाय, उसको डिसकरेज न किया जाय।

मैं इस बात का भी हामी हूं कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। आज शिक्षा का स्तर इसलिये भी गिरता जा रहा है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। धार्मिक शिक्षा में मुसलमानों को इस्लाम की, हिन्दुओं को हिन्दू धर्म की, और सिखों को सिख धर्म की शिक्षा दी जाय, यह ऐसी होनी चाहिये जो सब मजहबों का निचोड़ हो। जैसे ईश्वर को सब मानते हैं, इसलिये ईश्वर से संबंधित कुछ बातें विद्यार्थियों को जरूर बतायी जानी चाहिये। आज हम धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं, उससे हम में बहुत से खोट पैदा हो रहे हैं, ईश्वर का डर सब के मन से जाता रहा है। इसलिये हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा जरूर मिलनी चाहिये।

हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट से मेरा विचार है कि तीसरी श्रेणी बिलकुल हटा दी जाय। तीसरी श्रेणी में सफल होने वाले विद्यार्थियों की दशा बहुत खराब है। उनको कोई पूछता नहीं है, इनफीरियरिटी काम्प्लेक्स उनमें पैदा हो जाता है। इससे तो वे फेल हो जायं और दूसरे साल अच्छे डिवीजन में पास हों तो देश के लिये कुछ काम के हो सकते हैं।

हमारा प्रदेश उद्योग धंधों में भी पिछड़ा हुआ है। हमें अपने प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगों को खोलना होगा। उसके लिये हमें टैक्नीकल हैंडस की जरूरत पड़ेगी। इसलिये टैक्नीकल ऐजूकेशन की ओर हमारी विशेष रुचि होनी चाहिये। और उच्च शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलनी चाहिये जो कि इस लायक हों, उनकी तादाद थोड़ी हो और इतनी अधिक भीड़भाड़ विश्वविद्यालयों में अच्छी नहीं है। केवल थोड़े विद्यार्थियों को जो सबसे योग्य हों उन्हीं को वहां दाखिला किया जाय। सब को उच्च शिक्षा में लाकर हमने सबको इसका अवसर दिया और इस तरह से जाहिर है कि उसका मयार गिर जायगा और वह गिर रहा है। आज स्तर इतना गिर गया है कि हाई स्कूल और इन्टर पास लोग एक साधारण प्रार्थना-पत्र भी नहीं लिख सकते, उसके हिज्जे गलत होंगे, मजमून गलत होगा और यहां तक कि बी० ए० पास और ग्रेजुएट्स का भी यही हाल है, वह अखबार नहीं पढ़ सकते, तार नहीं दे सकते। जब इतना स्तर गिर जाय तो ऐसी शिक्षा से क्या लाभ ?

*श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)---

अधिष्ठाता महोदय, हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक ऐसी कमेटी बना दें कि जो प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन के मयार की जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को दे। यह त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस का मैं समर्थन करता हूं और अपने विचार मैं आप के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि प्राइमरी एजूकेशन का ठीक प्रबन्ध न होगा, जब बच्चों की जड़ ही मजबूत न होगी तो वह आगे चल कर संसार में क्या करेंगे। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे अपनी बचपन की जिन्दगी याद आती है जब मैं अंग्रेजी शासन में यहां पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले पहल जब मैं यहां पढ़ने आया तो हमारे डाक्टर साहब जिन्होंने हमें इस तरफ रागिब किया उस वक्त की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं अपनी शिक्षा के बारे में बता दूं कि मैं अंग्रेजी हुकूमत में पला और अंग्रेज बना दिया गया; हालांकि हम गुलामी से बहुत दूर भागना चाहते थे। लेकिन मैं अंग्रेजों का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं असेम्बली में आ कर गरीब जनता की नुमाइन्दगी कर सका। मैं सेन्ट फ्रान्सिस हाई स्कूल, जो यहां मौजूद है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और जो मेरे प्रिन्सिपल और टीचर थे उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें शिक्षा देकर इस काबिल बनाया कि हम अंग्रेजी के चंगुल से निकल सके।

(इस समय २ बजकर ३७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

आज स्कूलों में एक-एक सेक्शन में ५०-६० लड़के रखे जाते हैं जब कि पहले २५-३० से ज्यादा नहीं रहते थे। आज टीचर इतने लड़कों को पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते और नतीजा उसका यह है कि पास लड़कों का प्रतिशत गिरता जाता है, कापियां भी सरसरी निगाह से जांची जाती हैं। इससे कोई लाभ बच्चों को नहीं होता। इसका प्रबन्ध किया जाय कि एक सेक्शन में २५-३० लड़कों से ज्यादा न रहें। जो किताबें मंजूर की जाती हैं वे भी अजीब किस्म की होती हैं। उनसे बजाय फायदे के नुकसान ही होता है।

उर्दू का जहां तक प्रश्न है लखनऊ के लोग तो त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मुसलमान भाई तो चाहते हैं कि उर्दू को दूसरा स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं तो इस हक में हूं कि उसे पहल स्थान दिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि हमारी सरकार उसको बिलकुल ही भूल जाय। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एजूकेशन में उर्दू को भी जिन्दा रखें।

अब मैं आपकी सेवा में इलाहाबादी का एक शेर अर्ज करता हूं :

"हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं,
जिन्हें पढ़ कर कि लड़के बाप को खब्ती समझते हैं॥

इस तरह की आज कल के बच्चों को तालीम दी जाती है। पहले जमाने में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो अगर किसी मास्टर को देख लेते थे तो हम जुर्रत नहीं करते थे कि उनके सामने आ जायं और अगर कोई गलती करते थे तो हमारे ऊपर बेंतें पड़ती थीं लेकिन आज के जो विद्यार्थी हैं बजाय छिपने के अपनी निगाहें उनसे टकराते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद वे मालिक हैं और मास्टर लोग उनके नौकर हैं। आज का डिसिप्लिन कैसा है :

"Expecallcetion of thoughts, power of observations minutely, development of memory, mind is wandering, instability all background will be cleared on a good path.

यूनिवर्सिटी में क्या होता है। वहां का जो रंग होता है वह और उनके जो प्रदर्शन इस कौंसिल हाउस के सामने होते हैं वे तो रोज देखने में आते ही हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा एक जो फारमूला है उसे माना जाय। वह इस प्रकार से है :

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"RTTRF—RW that is right thinking in the right sense plus right feeling in the right sense will lead towards right will"

जब तक आप बच्चों को ठीक तालीम नहीं देंगे तब तक हमारी आने वाली संतान हिन्दुस्तान को ऊंचा नहीं उठा सकती है और हमारा स्तर रोज ब रोज गिरता ही जायगा। जब तक नीचे की जड़ ही मजबूत नहीं होगी तब तक आप ऊपर वाली चीज को मजबूत नहीं बना सकते हैं। आपने जितने जमींदार लोग थे उनको तो खत्म कर दिया है, लेकिन पढ़ाई का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। बोर्ड के रिजल्ट को देखने से पता चलता है कि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा ४०–४५ प्रतिशत रहता है। अब आप एक तोफा सुन लें :

"ये तोफ़ये राय अम्मा है फरेब आइने हुकुमरानी,
गुलों से क्या पूछता है नादान मसायले फ़स्ले बागवानी।।

मैं चाहता हूं कि हमारे यहां पर पढ़ाई इस प्रकार की हो कि प्रदेश और देश में पढ़ने के बाद बेरोजगारी न हो। इसका कारण है कि हमारे देश में जो प्रेक्टिकल यानी पोलिटिकल टैक्निक है उसमें प्रेक्टिकल काम करने की बड़ी भारी कमी है। गार्जियन अपने वार्ड को हाई स्कूल बाद गरीबी के कारण उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती है। आजादी के बाद नौकरी भी न मिले तो लानत है। हम ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर सकते जो अपने बच्चों को ऊंचे ले जायें। आप बतायें कि फिर बच्चे क्या करें? अगर उनको प्रशिक्षण मिल जाय, कितना कठिन शब्द है जिसके उच्चारण में न मालूम मेरी जबान कितनी दफा पलटी, तो वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

शिक्षकों के आर्थिक स्तर को ठीक करना चाहिये जिससे बच्चों को पढ़ाई में वे रुचि लेने लगें। अच्छे नागरिक बनाने की सब की इच्छा है, अभिलाषा है लेकिन कौन अच्छे नागरिक बना पाता है? मंत्री जी, संस्कृत और वेदों का सहारा ले कर ऐसे लोग बनाइये जिन के समने अंग्रेज भी झुक सकें। संस्कृत को अच्छी जगह दीजिये और जो असेम्बली में चुन कर आते है, मुझ जैसे नालायक को भी हिन्दी पढ़ने की आदत पड़ जाय।

मेरे पूर्व वक्ता उर्दू के बारे में कह रहे थे। मैं भी उर्दू का बहुत प्रेमी हूं। हिन्दुस्तान का जो बटवारा हो गया है वह अगर एक हो जाता, भारत अखंड हो जाता तो अच्छा रहता। हम लोग गरीबी से लड़ाई लड़ें। फौज में सिपहसालार को हुक्म दिया जाता है कि मारो। क्यों मारो? क्योंकि जो गरीब झोपड़ियों में रहते हैं उनको ऊंचे उठाने की कोशिश की जाय। यह जो फील्ड मार्शल अयूब हुक्म देते हैं कि मार दो, और इधर जनरल चौधरी हुक्म देते हैं कि मार दो, क्यों न उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय? बेगुनाहों को मारने से क्या मिलता है?

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक हाई स्कूल की मांग करता हूं, चाहता हूं कि वहां बिजली जाय। क्या यह अच्छा विचार नहीं है? लेकिन मेरी कांस्टीट्यूंसी को अछूत कर दिया गया। हमारे नेहरू जी ने नहरें निकालीं और कहा आराम हराम है। शास्त्री जी ने शास्त्र निकाला, उससे मुकाबला किया। लेकिन गरीब के लिये कैसा शास्त्र निकाला? लूप निकाला जिससे हमारी संतान आगे के लिये बेबस हो जायगी और हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी और यहां की आबादी कम होती जायगी और हम चीन का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि लूप सिस्टम को उड़ा कर चीन को दिखा दिया जाय कि अगर हमारी तादाद ज्यादा होगी तभी वह मुहकी खायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने अन्य दोस्तों को बोलने का मौका देता हूं।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री राम किशोर जी को बधाई देता हूं इतना सुन्दर प्रस्ताव पेश करने के लिये, और वास्तव में उन्होंने देश की सेवा की है इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारे राज्य का ध्यान आकर्षित करके। यह बात सत्य है कि वर्तमान वायु-मंडल में हमारी प्राइमरी शिक्षा का स्तर गिर गया है। यदि इसके कारणों का हम अन्वेषण करें तो यह तथ्य हमारे सामने आता है और इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता कि आज इन्स्पेक्टिंग स्टाफ की लापरवाही की वजह से हमारी प्राइमरी एजूकेशन का स्तर गिर गया है। मुझे वह दिन याद है जब इंस्पेक्टिंग स्टाफ बड़ी जांफिशानी तथा तत्परता के साथ, लगन के साथ अलिफ दर्जे से लेकर दर्जा ४ तक इम्तिहान लेता था। वह स्कूलों के अन्दर जा कर तिमाही, छमाही तथा सालाना प्रगति को देखते थे। आज जो शिक्षा का प्रसार हुआ है उसके अनुपात से इंस्पेक्टिंग स्टाफ की संख्या तो बढ़ा दी गयी है, लेकिन आप देखें कि सब-डिप्टी इंस्पेक्टर महोदय साल में एक बार भी प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया करते हैं। प्राइमरी स्कूल प्रायः परिषद् के द्वारा संचालित होते हैं। परिषद् के अध्यक्ष का काम होता है कि वह उनके प्रबन्ध को देखें, टाट पट्टा देखें, बिल्डिंग देखें; लेकिन जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी बच्चे से पूछें कि वह जोड़, बाकी, गुणा अथवा भाग लगा सकता है अथवा नहीं। यहां दायित्व इंस्पेक्टिंग स्टाफ का ही है।

जहां तक इंस्पेक्टिंग स्टाफ के दायित्व का सवाल है यह भी सत्य है कि उनके मार्ग में बहुत सी बाधायें खड़ी कर दी गयी हैं। इन्सपेक्टिंग स्टाफ यदि साहस करके किसी मास्टर को इंगित करे कि वह कर्तव्य परायण नहीं है और उसे दंड देने की वह सिफारिश करे तो सदस्यों के पास सिफारिशें पहुंचती हैं जिसके कारण उस मास्टर को दंड नहीं दिया जा सकता और इस प्रकार वह इन्सपेक्टिंग स्टाफ की परवा नहीं करता है और उसके मन में जो भी आता है वह करता है। प्राइमरी एजूकेशन के स्तर को अगर आपको ऊंचा करना है तो इस्पेक्टिंग स्टाफ को कुछ अधिकार देने होंगे और उनको अपना कर्तव्य पालन करने के लिये जागरूक करना होगा और कम से कम साल में वह तीन मुआयने अवश्य करें और देखें कि जो कैरीकुलम है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जा रही है अथवा नहीं।

इसके अलावा एक कारण शिक्षा का स्तर गिरने का यह भी है कि हमारा दृष्टिकोण यह हो गया है कि हम क्वान्टिटी ज्यादा प्रोड्यूस करें, क्वालिटी की परवा नहीं करते हैं। टेंथ पास, इंटर पास मास्टर होते हैं लेकिन उनको सामान्य हिन्दी लिखना नहीं आता। उनको चिट्ठी तक लिखना नहीं आता है और अगर लिखवाते हैं तो कहना पड़ता है कि यह क्या लिख दिया? स्तर इतना गिर गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार क्वालिटी इतनी खराब हो गयी है कि उनको पी० सी० एस० में लेना मुश्किल हो गया है। इस अवस्था से हमको भाग पाना है। हमारा प्रयास होना चाहिये कि बालकों के अन्दर जो छिपी हुई पोटेंशियलिटीज हैं उनको विकसित करने के लिये साधन प्रस्तुत करें। राज्य की ओर से वह साधन तो प्रस्तुत होते हैं लेकिन दुर्भाग्य से वायुमंडल ऐसा खराब बन गया है कि हम उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज हम शिक्षा के प्रसार को देख कर प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि आज जो लड़का दर्जा ८ तक पढ़ लेता है वह अपने घर के कार्य से उदासीन हो जाता है, उसे करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता है। किसान का लड़का अगर वह है तो कुट्टी काटना, गोबर उठाना, चारा डालना वह अपनी शान के खिलाफ समझता है और बाप से कहता है कि यह काम तुम करो और और हम को दूध पिलाओ। वह सुबह ८ बजे पराठा खाकर घर से निकल दिन भर मटरगश्ती करता है, दुकानदारों को हैरान करता है, रेलमें बिला टिकट चलता है। इसके बाद नकल कर के किसी तरह से दसवां पास किया तो फिर यहां रगड़ लगाता है कि हमको सरकार की ओर से बी० टी०सी० की ट्रेनिंग के लिये नाम-जद करा दो। हम किसी को साफ-साफ कह नहीं सकते कि तुम्हारी मांग गलत है, हम इसको नहीं कर सकते। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब आप यह नियम बना चुके हैं कि

सेकेंड क्लास से कम नहीं लेंगे तो क्या औचित्य है यहां से थर्ड क्लास को नामजद करने का ? हां,कोई पौलिटिकल सफरर हो, बैकवर्ड हो, साधनहीन हो उसको आप कर दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज तो यह आम रिवाज हो गया है थर्ड क्लास लड़कों को यहां से पुश करने का।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है कि आज जो प्राइवेट संस्थायें हैं उनकी दशा से तमाम सदस्य और मंत्री जी अवगत हैं। शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जो झगड़े से खालो हो। जिसे कहीं जगह नहीं है वह सिफारिश कराके, थर्ड क्लास अनट्रेन्ड टीचर्स बन कर वहां पर भरती हो जाते हैं, भाई भतीजावाद और सिफारिश के नाम पर। जब वह स्वयं ट्रेन्ड नहीं हैं तो किसी को क्या पढ़ा सकते हैं। मेरा अगर वश चले तो मैं किसी शिक्षा संस्था में किसी अनट्रेन्ड आदमी को न रखूं। लेकिन खुदा गंजे को नाखून ही नहीं देता, मुझे वह अधिकार ही नहीं मिलेगा। आज वस्तु स्थिति यह है कि ये शिक्षा संस्थायें भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी हैं। मुझे यह कहने में गर्व है कि आज हमारे जी० आई० सीज० का स्टैन्डर्ड सबसे अच्छा है। होता यह है कि इन प्राइवेट संस्थाओं में रुपया ले ले कर लड़के भरती होते हैं। क्लर्कों को रिश्वत दे दे कर लम्बे लम्बे अनुदान प्राप्त कर लिये जाते है। उन अनुदानों का कोई हिसाब नहीं है और जो जी में आता है वह करते रहते हैं। दुर्भाग्य से एक रोग हो गया है। कुछ शिक्षा संस्थाओं ने अपनी तरक्की करने के लिये अपने यहां प्राइवेट प्राइमरी क्लासेज भी खोल दिये। यह संविधान के प्रतिकूल है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसको नोट कर लें। कैसे डी० आई० एस० ने उनको अनुमति दे दी? यह सब क्या तमाशा हो रहा है।

आज नकल करना तो एक सामान्य घटना हो गयी है। दुर्भाग्य से हमारे प्रशासन में इतना साहस नहीं रह गया है कि हम इस नकलबाजी को रोक सकें। आज व्यक्तिगत संस्थायें आमदनी का जरिया हो गयी हैं। खासतौर से प्राइवेट इंटरमीडिएट कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में आने का मतलब होता है १०–५ हजार रुपया सालाना की आमदनी। मैं यह नहीं कहता कि हर जगह यह हालत है, लेकिन सामान्यतया यही हालत होती है, १०–५ इसके अपवाद हो सकते हैं। तो श्रीमन्, जैसी यह स्थिति रही है उस पर नये ढंग से विचार करना होगा। जो पाठ्य क्रम की पुस्तकें हैं उनके अन्दर भी घोटाला है। प्रकाशक लोग लखनऊ में महीनों आकर पड़े रहते है और न जाने कहां कहां से सिफारिशें लाते है, कहां-कहां से कितना जरिया ढूंढ़ते है और इस तरह से अपनी पुस्तकों को मान्यता प्रदान करने के लिये सभी प्रकार के साधन उपयोग में लाते हैं। उन्हें साधन भी मिल जाते हैं लेकिन क्या किया जाय। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत सतर्क है, वे सब कुछ जानते है लेकिन पता नहीं वे कैसे उनके शिकार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी पाठ्य पुस्तकें राज्य द्वारा प्रकाशित हों और सारे प्रदेश के अन्दर यूनिफार्म तरीके से एक तरह की पाठ्य पुस्तकें हों। आखिर यह क्या खिलवाड़ है, क्या तमाशा है कि सारे प्रदेश के अन्दर विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हैं, यह स्थिति बदलनी चाहिये।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिये मैं आपको ५–७ सुझाव देना चाहता हूं, उन पर शिक्षा मंत्री को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। पहला सुझाव यह है कि किसी भी शिक्षा संस्था में एक भी अनट्रेन्ड टीचर काम न करने पावे। दूसरा सुझाव यह है कि आप क्वालिटी पर ज्यादा जोर दें, क्वान्टिटी पर जोर न दें। तीसरा सुझाव यह है कि जो प्राइवेट संस्थायें है उनको आप सरकारी बना लें। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इतना खर्चा हमारे पास नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी शिक्षा संस्था आज घाटे में चलती ही नहीं है, बल्कि बहुत नफे में चलती है, सरप्लस है, केवल साहस की जरूरत है उन कारणों को दूर करने की जरूरत है जो बाधक है उनको सरकारी करने में। चौथा सुझाव यह है

[श्री बद्री प्रसाद पालीवाल]

कि टेक्निकल शिक्षा पर जोर दें क्योंकि टेंथ और इंटर पास करने वाले सब बेकार हो गये। हमारे गांव में एक कहावत है कि आधा गांव पढ़ा तो "आधा गांव बिगड़ा और कहीं पूरा गांव पढ़ गया तो पूरा गांव ही बह गया।" आज हालत यह है कि गांवों में कृषि करने के लिये अच्छे शिल्पी नहीं उपलब्ध होते और अगर कहीं यही प्रवृति रही तो कृषि करने के लिये सिवा यान्त्रिक साधनों का इस्तेमाल करने के और कोई साधन काम नहीं देने का। आज समाज का सारा वायुमंडल ही इतना दूषित हो गया है कि आज का नवयुवक शारीरिक श्रम करने को घृणा की दृष्टि से देखता है। आज समाज के अन्दर ऐसी प्रवृत्ति पैदा करनी है कि आज का नवयुवक शारीरिक श्रम करने का अभ्यास डाले। पांचवा सुझाव है कि आप विज्ञान की शिक्षा पर जोर दें। इस विज्ञान के युग में विज्ञान की दिशा में प्रगति किये बिना संसार में किसी का काम नहीं चल सकता। इसके बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता इसलिये आवश्यक है कि विज्ञान की शिक्षा पर जोर दें, टेक्निकल शिक्षा पर जोर दें। दुर्भाग्य से आज हमारे यहां उच्च शिक्षा काफी है लेकिन टेक्निकल एजूकेशन देने के अन्दर बहुत की तरह हमारे देश कम ध्यान दिया गया है, आज हमें नवयुवकों को टेक्निकल शिक्षा की तरफ मोड़ना है तभी गांव की प्रगति हो सकती है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय राम किशोर त्रिपाठी जी ने सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज इस संकल्प के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज शिक्षा का स्तर जिस पैमाने पर हमारे यहां गिर रहा है वह चिन्ता का विषय है. शिक्षा का उद्देश्य अभी तक इन १८–२० वर्षों में भी तय नहीं हो पाया है कि वह क्या है? जब तक यह तय न हो पाये तो जिन लोगों को हम इस शिक्षा से पैदा करते हैं उनसे हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह हमारे विकास, प्लानिंग और माननीय गेंदा सिंह जी के समाजवाद के कार्य-क्रमों को पूरा कर सकेंगे? हूं मैं समझता कि यह कोरी कल्पना है और इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है।

शिक्षा का उद्देश्य तथा विकास का आज जो ढंग है उस पर विचार भी करने की आवश्यकता है। मेरी राय में शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक पैदा करना है और जो पैदा हों वे अनुशासित हों। अनुशासनहीनता अगर समाज में आ जाती है विद्यार्थियों के अन्दर, जिसका सरकार की ओर से हमेशा आरोप लगाया जाता है, तो शिक्षा का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। आज की शिक्षा नीरस और प्रेरणारहित है। इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मान्यवर, आजकल समाज में भावनात्मक एकता का बड़ा अभाव है। किसी खास मौके पर जैसे चीन की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई के समय जरूर कुछ दिन के लिये देश के अन्दर भावनात्मक एकता दिखाई दी थी, लेकिन उसमें कोई स्थायित्व नहीं था। लड़ाई खत्म होने के बाद वह टूटती हुई दिखाई देती है। इसके तह में जाने की आवश्यकता है। यह भावना कोरे शब्दों से लच्छेदार भाषणों के तथा रेडियो के प्रचार से पैदा नहीं की जा सकती है। इसके लिये शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भावनात्मक एकता भी आज कल की शिक्षा का एक अंग होनी चाहिये। आज जो हमारा संविधान है वह धर्म निरपेक्षता के आधार पर है उसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों को समान अधिकार है इसलिये शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिये कि भावनात्मक एकता विद्यार्थियों में आये ताकि हर मौके पर हर समय पर लोगों में एकता कायम रक्खी जा सके जो किसी भी मौके पर इस्तेमाल की जा सके। आज इसका अभाव हमारे देश में इन १८ वर्षों में भी है। मैं सरकार को चार्ज करता हूं कि यह खाई बढ़ी है। हिन्दू और मुसलमान का तफरका जितना सन् ४७–४८ में था उससे आज कहीं ज्यादा है। इसलिये भावनात्मक एकता भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये।

आज संसार विज्ञान के युग से गुजर रहा है। हमारा देश इससे बहुत ही पीछे है और देश में हमारा सूबा सबसे पीछे है। अगर आप उसका नम्बर देखें तो पता चलेगा कि दुनिया के नक्शे में हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के नक्शे में हमारा सूबा बहुत ही पीछे है। देश को आधुनिक बनाने के लिये भी जरूरी है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में प्राविधिक में तथा साइन्स की पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता को उंचा उठाना है। आज आप किसी दफ्तर में या किसी बाबू के पास चले जाइये, जो पढ़ा-लिखा है, कहीं भी रुपया दिये बिना काम नहीं होता है। देने वाले का और लेने वाले, दोनों का नैतिक स्तर गिरा हुआ है। उसका विकास करना बहुत आवश्यक है। इसलिये सरकार को इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है।

माननीय पालीवाल जी ने कहा, मैं इस बात का हामी हूं, कि पढ़ने की पुस्तकों को जो हर साल बदलने की प्रथा है वह खत्म होनी चाहिये। आज के १० साल पहले या पिछले दिनों में ६, ७ साल बाद जाकर कोई पाठ्य पुस्तक बदलती थी। एक लड़का उसी किताब में पढ़ लेता है और उसका छोटा भाई भी जब क्लास में आता था उसी किताब से पढ़ लेता था। पाठ्य पुस्तकों के लिखने और प्रकाशन की जिम्मेदारी जो प्राइवेट लोगों को दे रखी है जिससे वे शिक्षा मंत्रालय में आकर चक्कर काटते रहते हैं और उन कमेटियों के पास जाते हैं जो उन्हें मान्यता देती है यह भी समाप्त होना चाहिये। यह जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में ठेकेदारी अच्छी नहीं है।

हमारे देश में अच्छी पस्तकों का बहुत अभाव है। अच्छी पुस्तक शिक्षा के स्तर को सुधार सकती है और उसकी कुंजी है। लेकिन आज अच्छी पुस्तकों का अभाव बड़े पैमाने पर है। इसलिये भी सरकार को इस संकल्प पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

आज अलग अलग क्षेत्रों में अध्यापकों के अलग अलग वेतन क्रम हैं। मिर्जापुर में, ओवरा में और लोकोमोटिव में, बनारस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों के अध्यापकों को और हमारे सरकारी या दूसरे मान्यता-प्राप्त स्कूलों में, या स्थानीय निकायों के स्कूलों में जो वेतन-क्रम दिया जाता है उनमें बहुत अन्तर है। समान कार्य के लिये समान वेतन होना चाहिये। इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है। इससे भी शिक्षा के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

श्रीमन्, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहां प्राइमरी के मास्टरों की ट्रेनिंग पहले २ साल की हुआ करती थी जिसे घटाकर सरकार ने १ वर्ष कर दिया है। इस पर भी अभी तक गवर्नमेंट नामिनीज की केवल एक ही लिस्ट निकली है, दूसरी प्रकाशित नहीं हुई है। अगस्त आ गया है और मई जून में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। इस प्रकार १ वर्ष से भी घट कर यह ट्रेनिंग ९, १० महीने की ही रह जायगी। तो जहां २ वर्ष की ट्रेनिंग होती थी वहां ८, १० महीने की ट्रेनिंग लेकर अध्यापक हमारे बच्चों को क्या पढ़ा पायेंगे? उनकी ट्रेनिंग कम से कम २ वर्ष की होनी चाहिये। अगर सरकार यह अनुभव करती है कि ट्रेन्ड अध्यापक कम है तो और अधिक शिक्षालय खोलने चाहिये। आप भी स्थानीय निकायों के स्कूलों में हजारों अनट्रेन्ड अध्यापक काम कर रहे हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वे बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक एक मास्टर के क्लास में १००–१०० और ८०–८० बच्चे हैं। इसके ऊपर भी सरकार को विचार करके कोई उपाय निकालना चाहिये।

इन पिछले १५ साल में हमारे देश में २७ करोड़ के करीब आदमी निरक्षर हैं। इसकी तरफ प्रयास करना बहुत जरूरी है। निरक्षता को खत्म करने के लिये सरकार के मौजूदा प्रयास बहुत ही नाकाफी है। उसके प्रयास बोगस या कागज पर ही हैं। इसका नतीजा यह है कि हमारे देश में २० साल में बहुत कम शिक्षा बढ़ी है। जहां यह सिद्धान्त रखा गया था

[श्री ऊदल]

कि १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की जायगी, इस सिद्धान्त को भी सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि वह इस दिशा में फोर्स इस्तेमाल करे कानून के रूप में, ताकि सब बच्चे स्कूल जा सकें। सन् ५१-५२ में जहां ४२ प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे वहां आज ७७.८ प्रतिशत जाते हैं। ये पूरे हिन्दुस्तान की फीगर्स हैं। हालत बड़ी नाजुक है। सरकार स्त्री शिक्षा का बड़ा ढिंढोरा पीटती है। हमारे पूरब के जिलों में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जिसमें १४ जिले आते हैं, बनारस को छोड़ कर कहीं भी लड़कियों का डिग्री कालेज नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरकारी स्तर पर देहाती क्षेत्रों में लड़कियों के लिये जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खुलवायें। सरकार को लड़कियों की पढ़ाई पर भी समुचित ध्यान देना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। स्कूलों की इमारतों की हालत बहुत नाजुक है। कहीं छत नहीं है तो कहीं दीवार नहीं है। सारी की सारी इमारतें खराब हालत में हैं जिला परिषद् वाराणसी ने सरकार से ग्रान्ट के लिये लिखित प्रार्थना भी की, कई बार लिखकर भेजा, कि वहां की स्कूलों की इमारतों के लिये कुछ ग्रान्ट दी जाय, कुछ लाख रुपया दिया जाय, मगर वह स्वीकार नहीं हुई। मैं समझता हूं कि सभी जिलों में ऐसी हालत होगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं पुनः तहेदिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक ढंग से परिवर्तन करे और वेतनक्रम के बारे में कुछ करने की कृपा करे।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज श्री रामकिशोर जी त्रिपाठी ने जो संकल्प रखा है, निस्संदेह वह एक सामयिक संकल्प है। उसमें दो बातें चाही गई हैं कि किस तरह से शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और हमारे अध्यापकों की आर्थिक कठिनाई अच्छे ढंग से हल की जाय। इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों बातें आवश्यक और अच्छी हैं, लेकिन मेरा अपना विचार ऐसा है कि सरकार स्वयं ही इस ओर बहुत जागरूक है और प्रयत्नशील है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे इस तरफ सुधार हो रहा है।

अभी एक माननीय सदस्य ने स्त्री शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर कितनी प्रयत्नशील है इसका अन्दाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कक्षा १० तक कन्याओं की शिक्षा निःशुल्क कर रखी है। सरकार चाहती है कि अपने प्रान्त में जल्दी से जल्दी स्त्री-शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और उनकी तादाद भी ज्यादा बढ़े। आज तो स्त्री शिक्षा बहुत आसान हो गयी है। आप लोग किसी भी छोटी सी बिल्डिंग या मकान का प्रबन्ध कर लें और पढ़ने वाली लड़कियां वहां हों तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस तरह से भी बन सके गवर्नमेंट सहायता दे और उसे देखे और वहां पर लड़कियों के स्कूल के लिए अच्छा प्रबन्ध करे। मैं समझता हूं कि आज स्त्री शिक्षा संस्थाओं को चलाना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। इसी तरह से अभी एक प्रश्न एच० टी० सी० यानी बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में उठाया गया है। मैं पहले से ही, जिस समय मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष रहा उस समय तो एक ही साल का उसमें कोर्स था, इस राय का रहा हूं कि बी० टी० सी० की ट्रेनिंग की अवधि केवल एक साल की रहनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको दो साल में सिखाना आवश्यक हो। मैं समझता हूं कि इस समय तो एमर्जेन्सी के कारण सरकार ने अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष की की है, किन्तु यह वास्तव में हमेशा के लिए ही एक साल की रहनी चाहिए। ट्रेनिंग के समय में उन्हें कुछ बच्चों के सम्बन्ध में मोटी-मोटी बातें ही सीखनी होती हैं, जहां तक उसके पढ़ाने का प्रश्न है जब साल, दो साल बच्चों को पढ़ा लेगा, पढ़ाना तभी आएगा। बच्चा किस योग्यता का

है उसे किस तरह से रखना चाहिए यह सब ट्रेनिंग के समय में नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं कि सरकार ने बी० टी० सी० का कोर्स एक वर्ष का कर दिया है। इसके साथ-साथ प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स का जो वर्तमान वेतन है वह भी लगभग १०० हो गया रुपया है। मैं समझता हूं यह एक अच्छा कदम है और प्राइमरी शिक्षा की उन्नति के लिए और योग्य अध्यापकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक भी था।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं जिसे शायद सरकार पसन्द करे या न करे। मैं यह अनुभव करता हूं कि हाई स्कूल का रिजल्ट ४० या ४५ प्रतिशत रहता है और लगभग वही प्रतिशत इंटरमीडिएट परीक्षा का भी रहता है। यह अच्छा नहीं है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं आवश्यकता अनुभव करता हूं कि हाई स्कूल में ७० प्रतिशत और इन्टरमीडिएट की परीक्षा में ६० प्रतिशत से कम रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि बी० ए० पार्ट वन और टू में भी केवल २० —२२ प्रतिशत रिजल्ट रहा है। मेरा अनुमान है कि इन्टरमीडिएट बोर्ड और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने यह समझ रखा है कि अगर रिजल्ट को सख्त रखेंगे यानी लड़के कम पास होंगे तो इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। किन्तु यह भ्रम है, इसके बावजूद भी शिक्षा के स्तर में कोई उन्नति नहीं हुई है। इससे दो तरह का नुकसान है, एक तो गवर्नमेंट की ग्रान्ट का नुकसान होता है और दूसरे विद्यार्थियों के संरक्षकों को बहुत बड़ी हानि होती है। एक साल एक विषय में ४–६ नम्बर से फेल हो गए और दूसरे साल दूसरे विषय में दो चार नम्बर से फेल होकर साल का साल बर्बाद हो जाने से उनके जीवन में निराशा आती है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार बोर्ड और यूनिवर्सिटी में दखलन्दाजी करके, इस तरह का कदम उठाए कि जिससे जो रिजल्ट नीचे स्तर पर रहता है, न रहे। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से भी सरकार को परामर्श ले लेना चाहिए, उनसे पूछ लें कि क्या इस तरह का रिजल्ट रखने से शिक्षा स्तर में कोई उन्नति हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ अवश्य ध्यान दे। जहां तक साइंस की शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका रिजल्ट तो और भी शोचनीय दशा में है। मैंने यह भी देखा है कि एक स्कूल में करीब २५० बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उनमें से १५० बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल थे। मैंने कहा अजीब तमाशा है, एक तरफ सरकार कहती है कि अंग्रेजी का स्तर नीचा हो और दूसरी तरफ २५० में १५० लड़के अंग्रेजी में फेल कर दिए जाते हैं। इस विषय में मैं सरकार को तो दोष नहीं दूंगा, लेकिन सरकार को इसमें दखलन्दाजी अवश्य करनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार अवश्य इस दिशा में कार्यवाही करे और इसे यह कह कर न टाल दे कि बोर्ड स्वतन्त्र संस्था है और यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है तो हम क्या कर सकते हैं। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है, किन्तु जहां आवश्यकता होती है सरकार सहायता देती है, उन पर कंट्रोल रखती है और रखना भी चाहिए लेकिन फिर भी सरकार को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन्टरमीडिएट बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने रिकग्नीशन देने का बहुत ही सस्ता ढंग अपनाया हुआ है। कहीं-कहीं तो ऐसी जगह रिकग्नीशन दिए गए हैं जहां न अच्छा स्टाफ है, न विद्यार्थियों की ज्यादा तादाद है। जहां ऐसे रिकग्नीशन दिए जायं वहां कम से कम देखना तो चाहिए कि वहां कितने विद्यार्थियों की संख्या है, स्टाफ कैसा है, और सभी चीज ठीक हैं या नहीं।

साइन्स के नाम पर रुपया का बहुत अपव्यय हो रहा है। स्कूलों को सहायता दी जाती है साइन्स क्लासेज के लिए, बिल्डिंग वहां जरूर बन जाती है लेकिन कई जगह वहां बच्चे नहीं होते, साइन्स का सामान नहीं होता और जहां आवश्यकता होती है वहां गवर्नमेंट यह कह कर टाल देती है कि आप पहले बिल्डिंग बनाइए, सामान इकट्ठा कीजिए तब रुपया मिलेगा। अजीब बात है कि कहीं रुपए का दुरुपयोग हो, और कहीं आवश्यकता होने पर भी इस तरह से अड़ंगे

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

लगें और उनको निरुत्साहित किया जाय। इस समय बड़ी आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा साइन्स की कक्षाएं खुलें और अधिक से अधिक विद्यार्थी साइन्स पढ़ें। डाक्टरी और इंजीनियरिंग या फैक्टरियों में जहां साइन्टिस्टस् की आवश्यकता हो वहां हम उनको योग्य व्यक्ति दे सकें। उस ओर कोशिश कुछ हो रही है लेकिन यह देखना आवश्यक है कि जो रुपया हम लगा रहे हैं उसका दुरुपयोग न हो।

अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि जो लड़के थर्ड डिवीजन में पास होते हैं उनको न तो नौकरियों में लिया जाता है और आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनकी भरती नहीं होती। इस विषय में मेरा सुझाव है कि कम से कम नम्बर रख दिया जाय कि उससे नीचे पास नहीं किया जायगा। जो भी रहे ३३ के स्थान पर ३५, ४० जो भी वह रखा जाय लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि नम्बर कम होने की वजह से उनकी पढ़ाई का भी और नौकरी का भी रास्ता बन्द कर दिया जाय। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह होना चाहिए कि उनको जिस विषय में अभिरुचि हो, टेक्निकल शिक्षा में जैसे हमारे यहां आई० टी० आई० है, पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी संख्या अधिक बढ़ायी जाय जिससे वह लड़के, जो शिक्षा में नहीं चल पावें, उनको दूसरी तरफ ले जाव जहां जा कर वह कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें और कमाने लायक हो जावें।

अक्सर हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि बच्चे पढ़ने के बाद अपने घर का काम नहीं करते। जिस किसान के पास ३० या ४० बीघा जमीन है उसका लड़का हाई स्कूल या बी०ए० पास कर लेता है। मुझे कोई यह बता दे कि किस ढंग से वह खेती कर सकता है ? बैलों की पूंछ पकड़ कर सुबह से शाम तक उसे २–४ बीघा जमीन जोत कर कैसे सन्तोष हो सकता है ? जहां तक ट्रैक्टर की बात है, वह ट्रैक्टर तो १५, २० और २२ हजार रुपए में आ रहा है। २०, २५ बीघे वाला किसान क्या १०० बीघे वाला किसान भी इतना रुपया खर्च नहीं कर सकता। इसलिए जब तक कृषि के सम्बन्ध में इस तरह की चीज नहीं होती तब तक किसानों के विद्यार्थी कालेजों से निकल कर खेती में चले जायं यह सम्भव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि यह संकल्प अच्छा होते हुए भी असामयिक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के पहले और स्वतन्त्रता के बाद में भी हमारे यहां यह समस्या रही है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी आधारभूत समस्याओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही है। बहुत बार इसके लिए प्रयत्न किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि कैसी शिक्षा हमारे देश के जनजीवन के साथ समन्वय करे जो देश को उन्नति के पथ पर ले जाय। श्रीमन्, कई बार कमीशन भी बैठे और अभी हाल में २९ जून को केन्द्रीय शिक्षा आयोग ने, जो श्री कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, उसने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट ५ हजार शब्दों की हमारे सामने प्रस्तुत की है। हमारी प्राइमरी शिक्षा, हायर सेकेन्डरी शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और सभी प्रकार की शिक्षाओं और शिक्षा प्रणालियों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह हमारे युवकों में, हमारे बालकों में अनुशासन उत्पन्न करे, देश प्रेम उत्पन्न करे, सामाजिकता की भावना उत्पन्न करे और उसके बाद ही और बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिए।

श्रीमन्, कहते हुए बड़ा दुख होता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विभिन्न समय-समय पर जो शिक्षा सुधार के लिए कमीशन बैठे और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न सरकार की ओर से किए गए उनसे इस बात को कोई बल नहीं मिला बल्कि दिन ब दिन अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और इसके साथ-साथ लड़कों में नैतिकता की भावना भी बढ़ नहीं रही है। उनके अन्दर एक प्रकार से भौतिकता बढ़ती जा रही है। हमारे नवयुवक और नवयुवतियों के अन्दर भी देशप्रेम की भावना होनी चाहिए। देश को किस चीज की आवश्यकता है उसको ग्रहण

करें। देश को किस प्रकार उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं इसका विश्लेषण करें, यह बात उनके दिमाग में नहीं आती है। यह जरूर है कि चुस्त पैंट पहन कर और चुस्त सलवार पहनकर अपने अंग प्रत्यंग का प्रदर्शन करें और सड़क पर निकलें तो यह बात इससे साफ दिखाई देती है कि यह देश किस ओर जायगा। कोठारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है और छागला साहब ने भी कहा है कि हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है और बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन अगले बीस वर्ष के अन्दर होगा। यह मेरे विचार से बिलकुल खोखलापन है और इसमें कोई सत्यता नहीं है, इस से किसी प्रकार का परिवर्तन हो पायेगा। कारण यह है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया है। यदि हम अंग्रेजी शिक्षा पर बल देंगे तो निश्चित रूप से देश की उन्नति नहीं हो सकती। यह बात अलग है कि हम कुछ समय के लिए अपने बच्चों का सुधार कर लें, लेकिन आगे जो हमारी संतति और पीढ़ी दर पीढ़ी की जो उन्नति है, भारतवर्ष को जो वास्तविक उन्नति है उसका अंग्रेजी के द्वारा कोई सुधार नहीं हो सकता।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन आप के सामने कर दूं कि अंग्रेजी की दुहाई सभी लोग दिया करते हैं, पर श्रीमन्, अभी बरेली में फरीदपुर में एक शिक्षण शिविर लगा था जिस में ३० या ३५ फ्रांस के लड़के लड़कियां आए हुए थे। श्रीमन्, मुझे उन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो वहां यह जाहिर हुआ कि ३५ उन लड़के लड़कियों में से मुश्किल से दो लड़के ऐसे थे, उन सारी युवतियों और युवकों में से , जोकि अंग्रेजी को टूटे-फूटे तौर से बोल और समझ सकते थे। बाकी ३० या ३२ लड़के लड़कियां अंग्रेजी से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इंग्लैंड से १६ या १७ मील की दूरी पर फ्रांस स्थित है, वहां के बच्चे हमारे यहां शिक्षा ग्रहण करने आयें और उनको अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल न हो और हमारे भारतवर्ष की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार अंग्रेजी के पीछे दीवानों की तरह दौड़े और हमारे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा की ओर प्रेरित करने की कोशिश करे। जब फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, जापान के लोग, आस्ट्रिया, हंगरी और छोटे-छोटे राष्ट्रों के लोग अपनी अपनी भाषाओं की उन्नति कर सकते हैं, अपने राज्य की उन्नति उनके आधार पर कर सकते हैं, अपने बच्चों की उन्नति कर सकते हैं तो कोई कारण मुझे नहीं दीखता कि हिन्दुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, हिन्दुस्तान जैसा बड़ा राष्ट्र, जिसमें किसी बात की कमी नहीं, जिसकी राष्ट्र भाषा में किसी प्रकार का दोष नहीं, वह अपनी मातृ भाषा और अपनी राष्ट्र भाषा, हिन्दी के द्वारा अपने देश की उन्नति न कर सके। यह बात समझ में आने के योग्य नहीं है।

श्रीमन्, यह बात जरूर है कि कोठारी आयोग ने शिक्षकों की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया है। श्रीमन्, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। उन्होंने जो यह एक बात कही कि प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह १५० रुपए से कम नहीं होनी चाहिए यह बात निर्विवाद सत्य है और यहां भी इस बात को लोग मानेंगे कि यदि हम शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो जो हमारी बुनियाद है, नींव है, प्राइमरी एजूकेशन, उस को सुधारना होगा और उस के लिए हम को उन शिक्षकों का खयाल रखना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं प्राइमरी शिक्षा की ओर आप का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। प्राइमरी शिक्षा हम बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अभी ६ दर्जे से आगे निःशुल्क नहीं कर पाये हैं। चाहिए तो सरकार को यह था कि वह पंजाब सरकार की तरह और दूसरी सरकारों की तरह शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देती। हमारे यहां अनिवार्य शिक्षा पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। श्रीमन्, पांचवें दर्जे तक की शिक्षा देहातों में अनिवार्य रूप से लागू नहीं की गयी। नतीजा यह है कि जब हमारे शिक्षा प्रसार सप्ताह मनाये जाते हैं देहातों में तो उन में संख्या को बढ़ाने की बात की जाती है और लड़कों को ला कर रजिस्टर में उन के नाम लिख लिए जाते हैं लेकिन वास्तव में वे बाद में आते नहीं और अगर आते भी हैं तो केवल शिक्षा प्रसार सप्ताह तक ही आते हैं या फिर दूसरे दिन से ही वे आना बन्द कर देते हैं। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि हम ने अभी वहां पर कम्पलसरी एजूकेशन को पूरी तरह लागू नहीं किया है।

[श्री हरिशकुमार गंगवार]

श्रीमन्, कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि हम बीस वर्ष के अन्दर १२ रुपए से ५४ रुपए तक शिक्षा पर खर्च करें। श्रीमन, उत्तर प्रदेश में तो ५ रुपया खर्च होता है। हमको तो १२ रुपए तक पहुंचने में भी बहुत समय लग जायगा। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह तो सरकार के लिए एक कलंक का विषय है कि शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की बात तो बहुत दूर, इस बीस साल के अन्दर देश में अब भी लोग अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगाने वालों को छोड़ कर जो केवल हस्ताक्षर कर लेते हैं, उन समेत पढ़े लिखे लोगों की तादाद केवल १७ प्रतिशत है। तो २० साल के अन्दर यह कितना रुपया खर्च करेंगे कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे, यह समझ में आने वाली बात नहीं है जबकि प्रदेश के अन्दर २० साल बाद भी अंगूठा लगाने वाले ८३ परसेन्ट व्यक्ति मौजूद हैं। शिक्षा प्रसार प्रौढ़ों में नहीं होता। लालटेनों के लिए तेल चला जाता है, मास्टर लग जाते हों, लेकिन मन्त्री जी जाकर स्वयं देखें तो पता चलेगा कि शिक्षा कहीं नहीं है, चेकिंग नहीं है, उनके ऊपर अंकुश नहीं है। जितनी प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाएं खोली गयी हैं उनमें कोई जाता नहीं—न पढ़ाने के लिए, न पढ़ने के लिए। मैंने केरल, बम्बई और दूसरे प्रदेशों के आंकड़े इकट्ठे किए थे जिनसे स्पष्ट है कि उन स्थानों पर हमारे यहां से ज्यादा शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है और प्रौढ़ शिक्षार्थी वहां हमारे यहां से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग आज भी अंगूठा लगा रहे हैं—देहात में ही नहीं, शहरों में भी यही स्थिति है। इन सब उदाहरणों से आगे २० सालों में आप क्या करेंगे वह भी जाहिर हो जाता है कि जो अब तक किया है वही आगे करेंगे।

प्राइमरी एजूकेशन में परिवर्तन करके जो उनको जिला परिषदों और ब्लाकों को दिया है इससे काफी वाद-विवाद उत्पन्न हो गया है, आपस में झगड़ा सा पैदा हो गया है, इसके कारण प्राइमरी एजूकेशन वास्तव में ठीक तरह से चल नहीं पाती। श्रीमन्, अध्यापकों के तबादलों का अधिकार भी अध्यक्ष को और ब्लाक प्रमुखों को दे दिया। बाहर का तबादला भी वह कर लेते हैं और अध्यक्ष महोदय को सूचना दे देते हैं। कभी अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि बिना आज्ञा के कर लिया, कभी कहते हैं कि तुम कर लो, हम दस्तखत कर देंगे। इस प्रकार से एक विचित्र स्थिति हो गयी है। एस० डी० आई० और डी० आई० की पोजीशन बड़ी खराब हो गयी है, अनुशासन के नाम पर कुछ नहीं कर पाते। एक ही उदाहरण दूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल था, उसके एक टीचर ने कुछ खिलाफ कानून काम किया। एस० डी० आई० ने कहा कि १० रुपया जुर्माना होना चाहिए और घर से काफी दूर तबादला कर देना चाहिए। डी० आई० ने कहा कि सजा कम है, अपराध ज्यादा है, फिर भी एस० डी० आई० ने यही रिपोर्ट की है तो उसी के अनुसार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने जुर्माना बिल्कुल माफ कर दिया और तबादला बिल्कुल घर के करीब में कर दिया। इस प्रकार से बीसियों प्रकार की शिक्षा के प्रशासन में कमियां आ गयी हैं, नीचे के स्तर पर बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। मन्त्री जी तबादलों के सम्बन्ध में, ब्लाक लेविल के तबादलों के सम्बन्ध में, अप्वाइन्टमेंट के सम्बन्ध में देखें।

बरेली में बी० टी० सी० का चुनाव हुआ। इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल सेकेन्ड डिवीजन पास रह गए और २३ हाई स्कूल, थर्ड डिवीजन जिनको कोई तजुर्बा नहीं था, उनको ले लिया गया और इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल सेकेन्ड डिवीजन और साइन्स स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में भी नहीं रखे गये। इसी तरह से शाहजहांपुर में हुआ। इसी तरह से अप्वाइन्टमेंट की बात है, वह ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं आप थर्ड डिवीजन को उड़ा देते और फर्स्ट और और सेकेन्ड डिवीजन ही रखते, जिससे हमारे टीचर्स को और पढ़ने वाले बच्चों को भी मेहनत का मौका मिले। ४५ प्रतिशत से कम अंकों में उत्तीर्ण न किया जावे। और उनके अन्दर अधिक योग्यता बढ़े। इस प्रकार फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास ही रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री मुरलीधर कुरील—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प आज सदन के सम्मुख पेश हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसको जब हम देखते हैं तो अपने भविष्य को अन्धकार में पाते हैं। हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है और इस समय में जब हम अपने देश का नव निर्माण कर रहे हैं, तो उस नव निर्माण में हमें अच्छे किस्म के टेक्नीशियन्स चाहिए, अच्छे प्रशासक चाहिए, अच्छे सैनिक चाहिए और यह सब हमको तब ही मिलेंगे जब अच्छे विद्यार्थी हमारे स्कूलों से निकलें। आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा की गिरावट की वजह से अच्छे विद्यार्थी नहीं निकल रहे हैं। पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी आकर दफ्तरों में कार्य करते हैं उनके अन्दर भ्रष्टाचार की भावना निहित रहती है और नैतिकता की गिरावट रहती है। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इसीसे उनके अन्दर योग्यता आएगी। आज से ही जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो २० वर्ष बाद ऐसी पुश्त आएगी जो भारत के नवनिर्माण में वास्तविक रूप में सहायक हो सकेगी। अगर अभी से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पता नहीं देश के भविष्य का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल बोर्ड तथा जिला बोर्ड द्वारा प्राइमरी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, उस शिक्षा का स्तर भी दिनोदिन इतना गिरता जा रहा है कि हमारी रुचि बच्चों को वहां पढ़ाने की कम होती जा रही है। प्राइमरी स्कूलों के स्थान पर आज जो नरसरी और मान्टेसरी स्कूल्स खुल रहे हैं हम उनमें अपने बच्चों को भेजने लगे हैं, यद्यपि वह काफी खर्चीली पड़ती है। इन नरसरी स्कूलों में जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चों की देखभाल का जो तरीका है वह बहुत अच्छा है। आज जितने बच्चे इन नर्सरी और मांटेसरी स्कूलों में जा रहे हैं इससे स्पष्ट इस बात का पता चलता है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा का स्तर कितना गिरता चला जा रहा है और हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूलों में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। इस तरह की भावना जब लोगों के मन में घर कर जाय और लोगों की रुचि उस तरफ से हट जाय तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस मुल्क का क्या भविष्य होगा। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी को सोचना होगा कि इसके लिये वे कैसी व्यवस्था करें कि लोगों की रुचि उस तरफ बढ़े और एक ही शिक्षा के लिये जो दो प्रकार की पद्धतियां चलने लगी हैं वे न चलें। यह ठीक है कि जो लोग थोड़े साधन सम्पन्न हैं वे अपने बच्चों को नर्सरी स्कूलों में भेजकर उनको शिक्षा दिलवा देंगे लेकिन ऐसे लोग कितने फीसदी हैं। आज जो इस तरह की शिक्षा अपने लोगों को दिलवा पायेंगे। अब जो सामान्य व्यक्ति है जिनका कि बहुमत हमारे मुल्क में है उनके बच्चे अगर कमजोर रहेंगे तो या वे अच्छी आदतों के नहीं बन पायेंगे तो हमारे बहुमत के बच्चे पिछड़ जायेंगे तो यह मुल्क संभलेगा नहीं। इसलिये आवश्यक है कि सामान्य तरीके की शिक्षा जिसमें नैतिकता भी हो और उच्च शिक्षा के लिये अच्छे लड़के निकाल सकें इसलिये प्राइमरी शिक्षा को ही बढ़ाना होगा, ठीक करना होगा तभी अच्छी शिक्षा हो पायेगी।

उसके बाद हम जूनियर हाई स्कूल की तरफ आते हैं और हाई स्कूल की तरफ आते हैं। वहां भी हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है और जो पैसे वाले लोग हैं, साधन सम्पन्न लोग हैं वह उन जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं वे तो जूनियर कैम्ब्रिज या सीनियर कैम्ब्रिज या इस तरह के जो इंगलिश पैटर्न से चलने वाले होते हैं उनमें अपने बच्चों को भेजना पसन्द करते हैं। इस तरह से जब आप देखें तो उससे भविष्य अच्छा नहीं जान पड़ता है। इसके साथ ही साथ टेक्निकल शिक्षा की तरफ भी यदि हम जाते हैं तो हमने टेक्निकल शिक्षा के लिये स्कूल खोल रक्खे हैं चाहे वे आई० टी० आई० हों, पालिटेक्निक हों या इसके समकक्ष अन्य शिक्षण संस्थायें हों। इधर ६–७ साल के बाद जो लड़के निकलते हैं उनमें अधिकतर यह देखा जाता है कि टेक्निकल शिक्षा तो वे ले लेते हैं लेकिन उस शिक्षा में उतना उनको स्थान मिल नहीं पाता है और घूम फिर कर वे क्लर्की के लिये स्थान ढूंढने लगते हैं। सरकार को देखना चाहिये कि टेक्निकल शिक्षा देते समय वह देखे कि टेक्निकल शिक्षा के लिये

[श्री मुरलीधर कुरील]

हमारे मुल्क में कितने विद्यार्थियों की जरूरत है और उसी अनुपात में स्कूलों में उनकी भर्ती होनी चाहिये और उनके निकलने के बाद उनको टेक्निकल काम भी मिलना चाहिये चाहे वह मिल में हो, कारखाने में हो या व्यक्तिगत काम करना चाहते हों तो ऐसे कामों के लिये उनको सुविधा मिलनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरह से आज हाई स्कूल, इंटरमीडियेट पास करने के बाद लड़के नौकरी के लिये छोटी सी क्लर्की के लिये घूमने लगते हैं उसी प्रकार इनकी भी भरमार हो जायेगी और वह टेक्निकल शिक्षा बेकार हो जायेगी और उसी क्लर्की में वह भी घूमने लगेंगे। इससे समय भी बरबाद होगा, पैसा भी बरबाद होगा और मुल्क का कोई लाभ नहीं होगा। मैंने देखा कि जो टेक्निकल शिक्षा ले करके लड़के निकलते हैं वह किसी काम के लिये कारखाने जाते हैं तो वहां कारखाने के मालिक या मैनेजर उनको रखना पसन्द नहीं करते हैं बल्कि बाहर से जो अनट्रेन्ड लोग हैं उनको रखकर उनको नौकरी देना अधिक पसन्द करते हैं। इसका पता लगाना चाहिये कि ऐसा क्यों है कि जो ट्रेन्ड हो कर निकलते हैं उनको वे रखना पसन्द नहीं करते। अनट्रेन्ड को अपने कारखाने में नौकरी देकर उनसे काम लेना पसन्द करते हैं। उसी को ट्रेनिंग देकर उसको नौकरी देते हैं और ट्रेन्ड को नहीं रखते हैं।

सरकार को, कारखाने के मालिकों, मैनेजरों और प्रबन्ध समितियों पर दबाव डालना चाहिये कि वे इस तरह के लड़कों को स्थान दें, तभी टेक्निकल शिक्षा सार्थक होगी अन्यथा वे लोग भी बेकार हो जायेंगे।

आज से २५ साल पहले, यद्यपि हमारे मुल्क में बेसिक शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा नहीं थी, लेकिन उस समय जो भाषा व गणित का ज्ञान होता था वह बहुत ज्यादा होता था और आजकल के हाई स्कूल से ज्यादा होता था। उसे इतना ज्ञान हो जाता था कि अगर वह आगे न भी पढ़े तो रोज मर्रा के काम आसानी से कर सकता था। जो आज कल का हाई स्कूल पास भी नहीं कर सकता है। पुराने मिडिल पास को हाई स्कूल पढ़ाने के लिये बैठा दीजिये, आसानी से अच्छी प्रकार से पढ़ा ले जायेगा लेकिन आज का बी० ए० पास भाषा और गणित की शिक्षा आसानी से नहीं दे सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संकल्प आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संकल्प को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये और ऐसी समिति इस पर विचार करने के लिये बैठानी चाहिये जो व्यापक रूप से इस प्रश्न पर विचार करके अपने सुझाव दे कि प्राइमरी और टेक्निकल शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि आगे की पुश्त देश के संचालन में अच्छी प्रकार से हिस्सा ले सके और देश के मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो सकें।

(कुंवर तेजभानसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी किसी दल का नेता खड़ा होता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हमें अफसोस है कि आपके दरबार में हमें बार-बार इस प्रकार का ऐतराज करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बार आपको मौका मिलेगा।

*कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

प्रत्येक देश की जनता की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक उन्नति का भविष्य शिक्षा पर ही निर्भर करता है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देश की शिक्षा इस समय आपसी तनातनी और दलगत खिंचाव में बरबाद हो रही है। अगर आप अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की उन्नति चाहते हैं, और प्रदेश की जनता को वास्तविक रूप से उसका साझीदार बनाना चाहते हैं तो सरकार दलगत नीति को इन संस्थाओं से समाप्त कर दे। उसके लिये जिला स्तर की स्वतंत्र कमेटी बनाये और उनको शिक्षा संचालन का काम दे, तभी शिक्षा की उन्नति हो सकती है। इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हर स्कूल और कालेज में आजकल दलबन्दी है और लोग विद्यार्थियों को और मास्टरों को बरबाद कर रहे हैं। अगर आप विद्यार्थियों का नैतिक स्तर और चरित्र ऊंचा करना चाहते हैं, उनको विद्वान और योग्य बनाना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग से दलबन्दी को समाप्त कीजिये। लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री लोग ही उस दलबन्दी में पड़ जाते हैं और खुशामदी मास्टरों को तरक्की मिलती है, योग्य व्यक्ति को नहीं। वहां बिद्वानों की भरती नहीं होती, वहां इस हिसाब से नियुक्ति होती है कि इस कांग्रेस का कौन गुलाम है, कौन इसका कितना पिट्ठू है, कौन इनका भक्त है। कोई कितना ही देशभक्त हो या कांग्रेस के मूल सिद्धान्तों का मानने वाला हो उसकी बात नहीं सुनी जाती लेकिन जो पिट्ठू होते हैं उनको ही प्रश्रय दिया जाता है। कौन किसके पक्ष में जा रहा है, कौन सरकार के पक्ष में उसके पिट्ठुओं के पक्ष में जा रहा है यह देखकर ही मास्टरों को ट्रेनिंग का अवसर दिया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है और उन्नति दी जाती है। जब गुरुओं को ही शिक्षा विभाग में गुलाम और पिट्ठू बना कर काम लिया जायगा तो फिर बिद्यार्थियों को या शिक्षा की कैसे उन्नति हो सकती है? यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में शिक्षा का उत्थान हो, उसका स्तर उठे और विद्वान और देशभक्त विद्यार्थियों को पैदा करने वाली आपकी यह संस्थाएं हों तो आप इन शिक्षा संस्थाओं का पूरा प्रबन्ध और नियंत्रण धुरन्धर देशभक्तों के हाथ में दें और प्रदेश के स्तर से ले कर जिला स्तर तक एक-एक कमेटी जाने माने विद्वानों और शिक्षाविदों की स्थापित करें, वह कमेटियां सरकार के अनुशासन में रहे लेकिन सरकार से शिक्षा बिभाग का और कोई सम्बन्ध न हो। सरकार केवल इतना ही देखे कि वह कमेटियां निष्पक्ष भाव से काम कर रही हैं या नहीं, सरकार निरीक्षण कर सकती है लेकिन पूरा प्रबन्ध इन विद्वान और निष्पक्ष कमेटी के लोगों के हाथ में रहे जो मास्टरों और बिद्यार्थियों के हित में काम करें। तभी देश का और प्रदेश का कल्याण हो सकता है और अगर ऐसा न किया गया तो सब कुछ रसातल में चला जायगा।

प्रतापगढ़ हमारा एक छोटा सा जिला है वहां के अध्यक्ष के कृत्यों पर हम विचार करते हैं तो बहुत दुःख होता है, हमारे यहां जिला परिषद् के एक चेयरमैन हैं और दो एक मेम्बर हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा वह चेयरमैन साहब के खास पिट्ठू और सलाहकार हैं। उनके कमरे में जो मास्टरनियां जाती हैं और रात भर सोती हैं, उनकी नियुक्ति होती है और उन्हीं को स्थान दिये जाते हैं। इससे मेरी अन्तरात्मा बहुत दुखी होती है और इस तरह से प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग में बड़ा अन्धेर हो रहा है। ऐसे-ऐसे टीचर हैं जो महीने में १–२ बार स्कूल जाते हैं और वेतन पाते हैं। इस तरह से बच्चों की क्या शिक्षा हो सकती है। इसी तरह से जो विद्यार्थी मैनेजिंग कमेटियों पर गलत ढंग से अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं या सिफारिश ले जाते हैं और जो खुशामदी और पिट्ठुओं के आश्रित होते हैं उनके लड़कों को ही पहले बजीफा दिया जाता है, उन्हीं की पहले फीस माफ की जाती है। धनवानों को यह मिल जाते हैं और गरीब बेचारे रह जाते हैं। यह कार्य निष्पक्ष लोगों के हाथ में जब तक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग एक खिलवाड़ और एक तमाशा बना हुआ है। शिक्षा के नाम पर यदि सरकार और कांग्रेस अपनी फौज तैयार करना चाहती है या पिट्ठुओं की सेना बनाना चाहती है तो कम से कम शिक्षा के नाम पर ऐसा न कीजिये और उनकी भरती आप अलग से करें। अगर प्रदेश में और देश में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, यहां के जनमानस की उन्नति करना है, देश को किसी योग्य बनाना है, अपने बच्चों का चरित्र बल उठाना है और अध्यापकों के स्टैन्डर्ड को उठाना है तो आप निष्पक्ष भाव से प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर विद्वानों, धुरन्धरों और शिक्षाविदों की समितियां बनायें उसके सुपुर्द यह काम करें तभी देश का और शिक्षा का भविष्य उज्वल हो सकता है।

[कुंवर तेजभानसिंह]

मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं और वह यह है कि यह शिक्षा विभाग, मैनेजिंग कमेटियों, ट्रस्टों, व्यापारियों और दूसरे लोगों की सम्पत्ति बना हुआ है। उनसे इस कार्य को सरकार अपने हाथ में ले। तभी वास्तविक शिक्षा का कल्याण हो सकता है। लोग गरीब हैं और पढ़ने में विद्वान हैं पर धनाभाव के कारण ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यदि वास्तव में हमारी सरकार गरीबों के बच्चों के साथ भी कोई सहानुभूति रखती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा घोषित करे और साथ ही साथ उसमें से अंग्रेजी को बिल्कुल हटा दे। नहीं तो बच्चों की तरक्की नहीं होगी और देश भी उन्नत नहीं कर पायेगा। शिक्षा की उन्नति के लिये यह अभी आवश्यक है कि दलगत संस्थाओं से शिक्षा विभाग को बिल्कुल अलग किया जाय। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सरकार पर बड़ा कलंक लगेगा। आज शिक्षा विभाग को इस सरकार ने अपनी सेना बना रखी है। दूसरे मास्टरों की तनख्वाह इतनी कम है कि उससे उनको उदर की पूर्ति नहीं होती है। वे बच्चों को घेर कर बैठ जाते हैं और उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहां तक कि उनसे चन्दे तक वसूल करते हैं।

जहां तक जिला परिषद् के मास्टरों का सम्बन्ध है, चेयरमैन के जो दलाल और पिट्ठू होते हैं, वे स्कूलों में कभी जायं या न जायं लेकिन उनकी तनख्वाह पहले घर पहुंच जाती है और जो पिट्ठू और दलाल नहीं हैं वे जिले में एक कोने से दूसरे कोने में भेज दिये जाते हैं। यदि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो जैसा मैंने निवेदन किया विद्वानों की एक समिति नियुक्त की जाय जो जिले में शिक्षा के प्रबन्ध को देखे अन्यथा प्रदेश की शिक्षा अन्धकार में है।

यह देश गांधी जी का देश है, जिन्होंने यह बतलाया था कि सबसे पहला कर्तव्य यह है कि प्रदेश और देश के बालकों का चरित्र उंचा उठे, नशे बाजी से हमारी जनता दूर हो। लेकिन होता क्या है जो मास्टर चेयरमैन साहब के या नेताओं के पिट्ठू हैं लड़कों को वर्गलाते हैं और उन्हें बीड़ी और सिग्रेट पिलाते हैं और इस प्रकार से उनसे मिलजुल कर, चाहे वे कितने ही अवगुण करें, पढ़ने लिखने में कितने ही कोताही करें, उन्हें बिगाड़ते हैं। उनके चरित्र की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जब इलेक्शन आता है तो जिला परिषद् के जितने अध्यापक होते हैं और जितने विद्यार्थी होते हैं या उन स्कूलों के मास्टर और बच्चे जो कांग्रेस मैनेजिंग कमेटी के अन्तर्गत हैं, उनके दौरे बनते हैं और वे इलेक्शन में इनका प्रोपेगन्डा करते हैं। वे मास्टर जो अपनी ड्यूटी न करके लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप बच्चों का चरित्रबल सुधारते हैं, उनको नशीली आदतों से बचाते हैं, उनके चरित्र को उंचा करते हैं तब तो देश का कल्याण हो सकता है और अगर यह करना चाहते हैं तो सत्ताधारी दल यह करे कि शिक्षा विभाग को सरकार और जिला परिषद् से अलग करके सीधे विद्वानों के सुपुर्द करे तभी विद्यार्थियों का और देश का कल्याण हो सकता है। बस यही मुझे कहना था। सरकार इस पर अमल करे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है इसकी बाबत सदन में दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन इसके जो शब्द हैं मैं समझता हूं कि वह हमारी सरकार को भी स्वीकर नहीं होंगे क्योंकि इस प्रस्ताव से ऐसा प्रतीत होता है कि गोया शिक्षा की नीति को बदलने के लिये यास्तर को ऊंचा करने के लिये नहीं है और इसलिये इस सदन की राय में इस प्रस्तव के अनुसार एक समिति तैयार होनी चाहिये जो सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करे कि शिक्षा में किस तरह से उन्नति की जाय। हम जानते हैं कि कितनी ही रिपोर्ट तैयार हो चुकी जिन म शिक्षा की क्या नीति होनी चाहिये वह निर्धारित है और सुधार मौजूद हैं। इसलिये यह प्रस्ताव सिर्फ इतना

अगर होता कि इस सदन की राय में इस राज्य में प्राइमरी और हायर शिक्षा स्तर को ऊंचा करने की अति आवश्यकता है तो शायद मैं समझता कि हूं ठीक होता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

जो माननीय सदस्य अपनी तरफ से कह रहे हैं, मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि इसकी भावना यही है कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाय और किस तरह सुधारा जाय सरकार इस सम्बन्ध में एक कमेटी मुकर्रर कर दे इसमें कोई ऐसी भावना नहीं है जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

हमारी जो शिक्षा नीति है वह बड़ी ही असंतोषजनक है । अभी इलाहाबाद में एजूकेशन स्टैन्डिंग कमेटी हुई थी उसमें जो कुछ त्रुटियां प्राइमरी ऐजूकेशन की हैं वे सभी शिक्षा मंत्री के सामने रखी गई थीं । जो कुछ खराब बातें हैं वे सब सरकार के सामने आयीं, सरकार भलीभांति जानती है कि हमारी प्राइमरी ऐजूकेशन संतोषजनक नहीं है, इसमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है । ऐजूकेशन कमेटी ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि समय आ गया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय प्राइमरी से हाई स्कूल स्टेज तक । अगर यह प्रस्ताव यहां होता कि समय आ गया है कि सरकार को प्राइमरी ऐजूकेशन से हायर ऐजूकेशन तक राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ताकि स्कूलों का इन्तजाम तथा शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा करने के लिये सरकार में शक्ति हो, तो मेरी राय में यह बिल ठीक होता । जैसा कि हमारा सेकेन्ड्री ऐजूकेशन का तजुर्बा है वह बताता है कि ब जों १ से ५ तक पढ़कर जो विद्यार्थी आते हैं उनको कुछ भी शिक्षा नहीं मिलती है अगर सर्टिफिकेट यूंही मिलने के बाद छठे दर्जे में नाम लिखते हैं तो वे क्लास में चल नहीं सकते ।

हमारी केन्द्रीय सरकार ने सारे भारतवर्ष में ५३ केन्द्रीय हाई स्कूल कायम किये हैं । सडाउन में केन्द्रीय हाई स्कूल खास कर सिपाहियों के बालकों के लिये स्थापित किया है । उस कूल में शिक्षा छठी क्लास से शुरू होती है । उस स्कूल के संचालक का अनुभव है कि जो विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों से ५वां पास करके आते हैं वह कतई इस योग्य नहीं होते कि छठी दर्जे में भरती किये जायं । इसलिये केन्द्र में श्री छागला साहब को मैंने लिखा उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पहली जुलाई से वहां १ से ५वां क्लास तक शिक्षा भी वहां शुरू कर दी जाय । इसके मानी यह है कि सरकार भी अनुभव करती है कि हमारी प्राइमरी ऐजूकेशन की दशा बड़ी शोचनीय है । मेरी राय में जूनियर हाई स्कूलों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने यहां पहली से ५वीं तक भी शिक्षा दे सकें जिस से शिक्षा का स्तर उंचा हो सके ।

मनुष्य और पशु में एक भेद यह है कि मनुष्य शिक्षा के जरिये अपने कर्तव्य का पालन करते हैं । आचरण को ऊंचा कर देश की रक्षा और सेवा करने को तैयार किये जाते हैं । लेकिन आज विद्यार्थियों में हो क्या रहा है ? गुरुओं पर प्रहार करना, नकलबा जी करना, स्ट्राइक करना । क्या विद्यार्थियों के लिये यह उचित है कि वे अब स्ट्राइक करने वालों के साथ स्वयं स्ट्राइक करें ? इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज शिक्षालयों में बागी तैयार हो रहे हैं । हमारे बीच में ऐसे युवक मौजूद हैं जो बड़े-बड़े साइन्टिस्ट हो सकते हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा का स्तर दिन व दिन गिरता जा रहा है प्राइमरी सेकेन्डरी स्कूल तथा हाई स्कूल की शिक्षा में जब तक सरकार नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकेगा । केवल किताब पढ़ने से डिग्री हासिल करने से स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है । जब हम लोग छोटे क्लासेज में पढ़ते थे तो हमारे सामने उद्देश्य यह होता था कि आचरण हमारा अच्छा हो, सदाचार की अच्छी पुस्तकें पढें । आज भी स्कूलों और कालेजों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि विद्यार्थियों का आचरण अच्छा हो सके और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके और विद्यार्थियों का जीवन सफल हो । सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों में नैतिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करे, चाहे वह धार्मिक शिक्षा के रूप में हो

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

या किसी भी रूप में हो। महात्मा गांधी जी के वाक्यों और विचारों का एक संकलन आर्ट आफ लिविंग" पुस्तक में हिंगोरानी ने तैयार किया है उसमें जितनी भी सदाचार सम्बन्धी "बातें हैं वे दी हुई ह। महात्मा गांधी के वचनों का जो संकलन हिंगो रानी और आचार्य कृपलानी जी ने किया है, ऐसी पुस्तक जब स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ायी जायगी तभी हमारे विद्यार्थियों का आचरण अच्छा हो सकता है और वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। केवल ऐसी वैसी किताबें पढ़ने से और इम्तहान पास कर लेने से उनका आचरण अच्छा नहीं हो सकता।

दोपहर के बाद जनसंघ के एक नेता अंग्रेजी की बाबत कह रहे थे। उनसे मैं क्या कहू लेकिन आप लोगों से मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश की आजादी कायम रखना चाहते हैं अगर आप अपने देश में साइंटिफिक बातों का अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप अन्य देशों से भीख मांगने जाना चाहते हैं, और अगर आप अन्य देशों का सामना करना चाहते हैं तो अंग्रेजी हमारी पाठ्यशालाओं में एक विषय जरूर रखना होगा। अंग्रेजी वह भाषा है....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सुन तो लीजिये (व्यवधान) यह बहुत ही महत्व की व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी आदमी के बीच में बोलते समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय सदस्य ने कहा है कि विदेश से भीख मांगने के लिये अंग्रेजी का पढ़ना जरूरी है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या माननीय सदस्य का ऐसा कहना संसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी स्पीच के अन्दर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं बैठ तो रहा ही हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

यह मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी में यहां भाषण होना चाहिये बल्कि यह कह रहा हूं कि एक भाषा जो विदेशी भाषा के रूप में सीखना है उसमें अंग्रेजी सीखना लाजिमी है, इसलिये कि यह सारे संसार से सम्पर्क रखने वाली भाषा है। जैसे पुराने जमाने में लैटिन भाषा रही है, कभी फ्रेंच रही है, उसी तरह से अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका सारी दुनिया भर से किसी न किसी प्रकार से सम्पर्क है। मैं यही विचार व्यक्त कर रहा था कि हमारी एक भाषा अंग्रेजी भी रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके जरिये से हम सारे संसार के विज्ञान के क्षेत्र में सम्पर्क बनाये रख सकते हैं। असंख्य पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में भरी पड़ी हैं, क्या आप उनको समुद्र में फेंक देंगे या अग्नि में जला देंगे?

सारे संसार के जो शास्त्र हैं, सारे संसार के जो विज्ञान हैं वे अंग्रेजी भाषा के अन्दर विद्यमान हैं। उन सबका अनुवाद आप अपनी भाषा हिन्दी में करा लें, आप अंग्रेजी की अवहेलना भले ही करें। वह समय अभी बहुत दूर है। संसार भर में प्रचार है। जब तक हमारे यहां यह बात न हो जाय जो सारे संसार में है तब तक हमें अंग्रेजी भाषा को रखना होगा। अब वह समय नहीं है जब हम यह कहते थे कि जो समुद्र पार गया वह भ्रष्ट हो गया। आज बिना सारे संसार से संबंध रखे हमारा काम नहीं चल सकता है। आज जो हमारा इतना संसर्ग अमरीका और दूसरे देशों से हो गया है वह इसीलिये कि हमने एक ऐसी भाषा ग्रहण कर ली थी जिसके द्वारा हम उनसे बात कर सकते थे। यह मुमकिन नहीं है कि हर देश की भाषा को हम सीख सकें इसीलिये अपना काम चलाने के लिये अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई जारी रखनी होगी।

आज जो वातावरण है उसको देखते हुये इस बात में शक नहीं है कि हमारी वर्तमान शिक्षा सन्तोषजनक नहीं है, इसकी परिपाटी को बदलना होगा तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है, वरना जो वाकयात आज हम देख रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि आपको कुछ दिनों बाद, डिक्टेटरशिप स्वीकार करना होगा जो डंडे के जोर से स्ट्राइक रोकेगा और ब्लैकमार्केट को खत्म करेगा और शिक्षा के स्तर को ऐसा बनायेगा जिससे हर एक विद्यार्थी का एक मात्र ध्येय यह होगा कि हम देश की सेवा करेंगे। यह तभी हो सकता है जब हमारी शिक्षा के स्तर को सरकार ऊपर उठाये और यह सरकार ही कर सकती है।

*श्री क्षेमचन्द--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी के प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। प्रस्ताव इतना सामयिक और इतना उचित है कि इसके सम्बन्ध में जितने भी विचार इस सदन में इस पक्ष या उस पक्ष से व्यक्त किये गये हैं सभी में इस बात की ध्वनि स्पष्ट होती है कि आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षकों की दशा खराब है और साथ ही साथ जो अगली पीढ़ी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये आने वाली है उसका भी पतन हो रहा है। आज शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती है और न हम ऐसी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं जो देश और राष्ट्र की मर्यादा को समझते हुये मानवता के नाम पर अच्छे-अच्छे काम कर सकें।

शिक्षा मनुष्य-जीवन को उन्नत बनाने में सहायक होती है। शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है और ऐसी शिक्षा को अगर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय तो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलना असम्भव हो जायगा। आज चारों ओर यह दृष्टिगोचर होता है कि जिन शिक्षकों से यह आशा की जाती है कि वे उत्तम शिक्षा देकर उत्तम नागरिकों का निर्माण करें वे शिक्षक आज उपेक्षा का शिकार बनने के कारण अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों से हम आशा करते हैं कि वे राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिये आगे बढ़ें वे आज फैशन परस्ती की ओर आगे बढ़ कर अपने समय और धन को नष्ट कर रहे हैं और जहां अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिये नहीं करते हैं और अनर्गल बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव सामयिक ही नहीं बल्कि अत्यन्त आवश्यक है और सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सवाल है, स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है और जो साधन सम्पन्न लोग हैं वे अपने बच्चों को नर्सरी शिक्षा में भेज देते हैं। नर्सरी शिक्षा प्री-प्राइमरी शिक्षा कहलाती है, प्रारम्भिक शिक्षा से पूर्व की यह शिक्षा है। यहां से बच्चे तैयार होकर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इन दोनों में इतना विभेद है कि प्राइमरी शिक्षा के लिये सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

न तो बैठने का प्रबन्ध कर पाती है और न इमारत इत्यादि का ही प्रबन्ध कर पाती है और ऐसी साज-सज्जा होती है जिससे नर्सरी में पढ़े हुये बच्चे का वहां मन नहीं लग सकता। सरकार की इसमें पूर्ण उपेक्षा है। जब तक यह ठीक नहीं होगी देश की उन्नति नहीं हो सकती है।

इसी तरह जूनियर हाई स्कूलों का सवाल है। पहले वर्नाक्यूलर फाइनल एग्जामिनेशन होता था और चक्रवर्ती की अर्थमेटिक पढ़ाई जाती थी और यहां से बालक पूर्ण होकर निकलता था। मिडिल पास आदमी हाई स्कूल वाले से अच्छा होता था। लेकिन आज इनका स्तर इतना गिरा दिया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हाई स्कूल का विद्यार्थी आज एक ऐप्लीकेशन भी ठीक तरह से नहीं लिख सकता है। एक-एक पैरा में उसकी १०/१० गलती निकलती हैं। यह क्या हो रहा है? हम कहां जा रहे हैं? इसी को सरकार को सोचना है और इसीलिये यह प्रस्ताव लाया गया है।

मान्यवर, निरीक्षण करने के काम की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिये सरकार ने डायरेक्टर आफ एजूकेशन रखा है और जिलों में डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स तथा सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स रख छोड़े हैं। अगर वह अपने निरीक्षण में सख्ती करते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? यह देखने की बात है। एक सदस्य ने बताया कि एक इन्सपेक्टर ने किसी शिक्षा संस्था की जांच करनी चाही क्योंकि जो उसको ग्रान्ट दी गई थी उसका अपव्यय हुआ था, कुछ खुराफात हुई थी जिससे जांच होना जरूरी था। लेकिन उस स्कूल के संचालक कांग्रेसी थे और उनके कारण उस इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया। मुख्य मंत्री से शिकायत की गई और उन्होंने विचार किया। उस इन्सपेक्टर के केवल चार महीने रिटायरमेंट के रह गये थे उसका तबादला मथुरा से आजमगढ़ कर दिया गया। यह क्या बात है? प्राइवेट संस्थाओं पर क्या कंट्रोल रह सकता है? जिनमें नाना प्रकार की खुराफातें होती हैं। इनकी बुरी हालत है जितना इनके बारे में कहा जाय वह कम है।

टीचरों के जितने वेतन पर दस्तखत कराते हैं उससे आधा उनको देते हैं इससे कम भी देते हैं। इसके खिलाफ कोई अधिकारी कुछ करता है तो उसका अनियमित ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह एक तरह की दुकानदारी हो गई है और सरकार संरक्षक बन गई है। क्योंकि जब प्रभावकारी आदमी की सिफारिश सरकारी पक्ष के पास पहुंच जाती है तो उसकी तमाम कमजोरियों के बावजूद उसे मुक्त कर दिया जाता है और बेचारे अधिकारी को मार दिया जाता है जो उनके भ्रष्टाचार की जांच करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह बात मैंने कई बार कही है और आज भी कहता हूं कि शासन हमेशा सम्बन्धों से ऊपर हुआ करता है, जिस शासन में सम्बन्धों का निर्वहन हो जाता है, जहां उनको देखा जाता है और नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार जोरों से पनपता है और शासन व्यवस्था चौपट हो जाती है। और जहां यह हालत हो वहां की शिक्षा के बारे में क्या कहा जाए।

मान्यवर, बहुत से परीक्षण हमारी सरकार करती है। कभी कहती है कि पांचवें दर्जे से अंग्रेजी होगी, कभी कहती है कि अंग्रेजी ऐच्छिक होगी और कभी कहती है कि तीसरे दर्जे से हो जाएगी। कभी जनरल और कभी कामन बनाना चाहती है और कभी कम्पलसरी कर देना चाहती है। क्या अंग्रेजी ऐसा आवश्यक विषय है कि बिना उसके देश का काम नहीं चल सकता। मैं मानता हूं कि जिनकी रुचि हो वह अंग्रेजी अवश्य पढ़ें। अंग्रेजी उस समय हमारे देश में आई, जिस समय अंग्रेजों ने हम पर व्यापक अधिकार रखा और हम पर अपना शासन लादा। यह हमारे दासत्व के समय में आई और दासत्व की निशानी को हम आज अब तक बंदरिया की तरह अपने छाती से चिपटाये हुये हैं। अंग्रेजी जो इस स्तर पर पहुंची है, उसका कारण यह है कि सरकार ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कर दिया था। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हमारा हिन्दी भाषी प्रदेश है। और हमारे यहां हिन्दी की हालत यह है कि यदि कोई चीज

हिन्दी में लिखी जाए तो वह सही नहीं लिखी जा सकती है। यह हमें देखना होगा कि इस दिशा में हमारा देश किधर जा रहा है। यह परीक्षण बन्द होना चाहिये। पाठ्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिये और जो पुस्तकें हैं वह हर साल नहीं बदलनी चाहिये, इससे अभिभावकों पर बड़ा बुरा आर्थिक बोझ पड़ता है। आज अभिभावकों को चौथे पांचवें के छात्र के लिये भी ढेर-ढेर सी पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं जो हर साल बदल जाया करती हैं और वे उनके भाइयों-बहिनों के काम में नहीं आ पाती हैं। इस प्रथा के पीछे भी केवल अप्रोच की बात है। जो प्रकाशक हैं, वे मंत्रियों के पास खुशामद करते हैं, उनकी लालच में आकर मंत्री लोग पाठ्य-पुस्तकों को हर साल बदला करते हैं। क्या इससे हम देश का भला कर सकते हैं। हमें सम्पूर्ण प्रदेश के लिये एक प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिये और उसे उस समय तक चलायें जब तक कोई विशेष स्थिति न आ जाए। मैं, मान्यवर हिन्दी के विषय में एक उदाहरण सदन के सामने देना चाहता हूं। एक केन्द्रीय मंत्री ने हिन्दी में श्री लखपतराम शर्मा को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्हें 'प्रिय शर्म जी' लिख कर सम्बोधित किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार की हिन्दी लिखी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

सेन्ट्रल मिनिस्टर्स की बातें यहां नहीं कही जा सकतीं, स्टेट मिनिस्टर्स की बात यहां कही जायं।

श्री खेमचन्द–

मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार के आदर्शों से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की दशा बहुत दयनीय है। उनको ५०, ६०, ७०, ८० रुपये तक मिलते हैं, भला वे लोग कैसे इसमें गुजारा कर सकते हैं जब आज महंगाई की यह दशा है और राष्ट्र निर्माण करने वाले की यह दशा है। महामहिम राष्ट्रपति के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस मनाना आरम्भ कर दिया गया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समारोह मात्र करने से शिक्षकों की दशा ऊंची उठ सकती है? मैं कहता हूं कि गरीब मास्टरों के साथ शासन सत्ता में बैठे हुये लोग आज खिलवाड़ कर रहे हैं और इस खिलवाड़ करने से उनकी दशा नहीं संभल सकती। इंगलैण्ड का मैं एक दृष्टान्त मास्टरों के आदर का आपके सम्मुख रखता हूं। किंग एडवर्ड ने एक हैडमास्टर साहब से पूछा कि "Cant you respect the king?" हैड मास्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि "Sceptor is respected, not the king, I am the king maker." राजदंड के सामने ही झुका जाता है, राजा के सामने नहीं, शिक्षक तो राजा का बनाने वाला होता है। राजा को गुरु के सामने झुकना चाहिये। यह आदर्श जिस देश के शिक्षक का होता है वहीं शिक्षक इस प्रकार गर्व से बात करता है। यहां का शिक्षक गर्व से बात नहीं कर सकता। जब शिक्षक बालकों, बालकों के अभिभावकों के सामने झुकता है, जिनको शिक्षा देकर मंत्री पद पर सुशोभित करता है उनके सामने दीनता से झुकता है उस देश और उस प्रदेश के शिक्षक की क्या दशा हो सकती है इसका सहज अनुमान किया जा सकता है और इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। माननीय मंत्री जी गम्भीरता से सोचें और वे गम्भीरता पूर्वक हर विषय पर विचार करते हैं।

मैं उनको इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने कन्याओं के लिये हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। यह सराहनीय बात है और सराहनीय बात की सराहना करनी ही चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ उन शिक्षकों का भी ध्यान रखें जिनके बल पर इस राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण हो रहा है। इस आधार पर यह प्रस्ताव अत्यन्त सामयिक है, परमावश्यक है और इसकी महत्ता को समझना चाहिये। जितने माननीय सदस्य बोले हैं सबने इस प्रस्ताव की महत्ता को स्वीकार किया है और कुछ सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक समिति का गठन करे जो ऐसे व्यक्तियों की हो जो अपनी रिपोर्ट मुंह देख कर न लिखें बल्कि निष्पक्षता के आधार पर रिपोर्ट लिखकर सरकार को दें ताकि शिक्षा की उन्नति हो, प्रदेश और देश के लिये अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। इन भावनाओं के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया है उन्होंने निश्चय रूप से एक बड़ी सेवा इस सदन को की है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का इस सदन को अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, इस संकल्प के महत्व के विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती। शिक्षा किसी प्रदेश और देश में सब से आवश्यक है। शिक्षा को हाइएस्ट प्रायरिटी सारे खर्चों पर मिलनी चाहिये यह भी परमावश्यक है। यद्यपि मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है पिछले दिनों कि जो कटौती का हैमर पहले गिरा है वह शिक्षा पर ही गिरा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हाइयस्ट प्रायोरिटी शिक्षा को नहीं दी जा सकी है हालांकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। शिक्षा के चार स्टेज हैं। प्रि-प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेन्डरी और उसके बाद डिग्री। प्रस्तावक महोदय ने बताया कि उनका आशय प्राइमरी और इन्टरमीडियेट स्टेज में वह चाहते हैं कि इस तरह का आयोग गठित हो और वह कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार की ओर से एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था जिसकी रिपोर्ट साल डेढ़ साल से सरकार के विचाराधीन है। श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, वह उसके चेयरमैन थे। उसमें शिक्षा विशेषज्ञ थे और मुझ जैसा जाहिल आदमी भी उसमें था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। हम आशा करते थे कि मंत्रिमंडल शीघ्र ही विचार कर के इस सदन में उसको कार्यान्वित करेगा किन्तु अभी तक वह नहीं हो सका है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसमें जिन सुझावों को दिया गया है उन पर मंत्रिमंडल जितनी जल्दी विचार करके निर्णय कर ले तो शायद शिक्षा की प्रगति करने में वह सहायक सिद्ध हो।

मान्यवर, जहां तक बहुत सारी बातों का सम्बन्ध है प्रि-प्राइमरी स्टेज पर सरकार की ओर से जो दिशा मिली है वह करीब-करीब नगण्य है। उसमें बहुत आंशिक रूप में सरकार सहायता देती है। मेरी ऐसी आस्था है कि प्रि-प्राइमरी स्टेज से शिक्षा की नींव रखी जाती है। जिस बच्चे की नींव सुदृढ़ होती है उस स्टेज पर उसका प्रभाव आगे भी रहता है। अगर बच्चे की नींव अच्छी पड़ती है तो वह आगे चल कर अच्छा प्रासाद बनता है और उसका जीवन ही शिक्षा जगत में विकसित होता है। अगर नींव कमजोर हो जायगी तो आगे नींव भी खराब होगी। इसलिये इस स्टेज पर शिक्षा का सारा भार सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश में वह सन्तोषजनक नहीं है। प्राइमरी विद्यालयों के पास भवन भी नहीं हैं और उनके शिक्षकों की बड़ी दयनीय दशा है। इसके लिये आवश्यकता है कि इसमें सुधार हो। इन्टरमीडिएट एजुकेशन का स्टेज ६ से १२ दर्जे तक होता है। राधाकृष्ण कमेटी ने इस पर विचार किया है और बड़े मूलभूत सुझाव उसने दिये हैं। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उसका एग्जामिने-शन सिस्टम एकदम दोषपूर्ण है। उसमें आज बच्चे का असेसमेंट सही रूप में नहीं हो पाता है। उसके लिये हमको आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।

यह हमारी बदकिस्मती है किहम शिक्षा को उचित स्थान ही नहीं देते हैं। मैं अमेरिका या रूस की बात नहीं करता कि वहां पर किस प्रकार से होड़ लगी थी। रूस ने जिस समय कोई नया यन्त्र चन्द्रमा की ओर छोड़ा था और जिसको नया चन्द्रमा का नाम दिया गया था उस समय अमेरिका में शोक की लहर छा गई थी। वहां पर रूस की इस सफलता पर वीक आफ नेशनल मॉर्निंग मनाया गया था। वहां पर उच्चस्तरीय वैज्ञानिकों की एक समिति का गठन सरकार ने किया था और वह इसलिये कि उसमें इस बात की विवेचना की जाय। कि हमारी जो साइंस की शिक्षा है उसमें कहां दोष है जिस के कारण हमारी प्रगति इतनी नहीं हो पाती जितनी रशा की हो गयी है। तो यह सदा परिपक्व देशों की परिपाटी है और उसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी शिक्षा में बड़ा आमूल परिवर्तन किया। आज हम दूसरे देशों से कितना पीछे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, फिर भी हमें इतना उत्साह पैदा नहीं होता। कदाचित् परिस्थितियों ने लोगों को बिवश कर दिया है।

मान्यवर, विस्तार में न जाते हुये मैंने एक इग्जामिनेशन की बात कही। दुर्भाग्य से मैं यहां नहीं था, लेकिन कुछ मित्रों ने एक डाइरेक्ट एजूकेशनल सिस्टम की बात के बारे में कहा। एक जनरल बात कही कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई मैनेजर हो तो उसके लिये एक हजार रुपये महीने की आमदनी अलग से हो सकती है । जिस जिले से वह आते होंगे वहां के मैनेजर संभव है इतने सौभाग्यशाली अथवा दुर्भाग्यशाली रहे हों और संभव है उन को इस प्रकार की आमदनी हो, लेकिन उस मिसाल से सारे शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र को कंडम करना मैं समझता हूं अनुचित है, अन्याय है । जब सरकार उस दायित्व को अपने ऊपर आर्थिक कारणों से नहीं ले सकी तो प्राइवेट क्षेत्र ने उस का भार अपने ऊपर लिया और उस को निभाया भी है । जिन व्यक्तियों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स स्थापित किये हैं यदि वे शिक्षा के इस भार को न लेते तो हम शिक्षा की प्रगति में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में और भी पीछे होते ।

मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष एफीशियेन्सी ग्रान्ट देने की बात निकाली है । वह उन को दी जायगी जिन विद्यालयों की सर्वांगीण उन्नति हुई है । मैं समझता हूं कि इस स्कीम को आगे बढ़ाना है और इतना आगे बढ़ाना है कि इस के अनुसार प्राइवेट विद्यालयों का वर्गीकरण होना चाहिये । जो बहुत अच्छे विद्यालय हों उन से विभिन्न स्तर पर डीलिंग होनी चाहिये और जो द्वितीय श्रेणी के विद्यालय हों उन से विभिन्न स्तर पर डीलिंग होनी चाहिये । मैं बरेली की बात कहता हूं । वहां जो लड़के और लड़कियों के विद्यालय हैं प्राइवेट उन का स्तर सरकारी विद्यालयों के मुकाबिले में, अनुशासन के मामले में, शिक्षा के मामले में कहीं अधिक अच्छा है और वे शिक्षा की आवश्यकता को अधिक अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसे अच्छे विद्यालय होंगे और उन के ऊपर हम इस बड़े दायित्व को डाल सकते हैं । अमरीका में तो सिस्टम यह है कि वहां किसी सरकारी कमेटी के द्वारा विद्यालयों को रिकग्निशन नहीं मिला करता । वहां रिकग्निशन देने वाली एजूकेशनल एजेन्सीज हैं । वह अपने स्टैन्डर्ड के द्वारा उन विद्यालयों का मूल्यांकन करती हैं और अगर उन विद्यालयों को उन के द्वारा रिकग्निशन प्राप्त हो जाता है तो वहां के निकले हुये विद्यार्थी प्राइवेट सर्विस में और दूसरे स्थानों में उसी प्रकार लिये जाते हैं जिस प्रकार अच्छे से अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी लिये जाते हैं । यह हमारी भी आवश्यकता है। जिस तरह से इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट के अंदर एक कमेटी कायम है, जिस का मैं चेयरमैन हूं, उस में एक ठप्पा लगाने का सिस्टम है। उस का एक प्रोसेस है । सब कुछ होता है, लेकिन वह कागजों की फाइल देखने से ही उस विद्यालय की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता । उस के लिये जो आवश्यक है वह किया जाना चाहिये । यदि हम एक ऐसा सिस्टम इवाल्व कर सकें जिस की ओर उस समिति की रिपोर्ट में संकेत किया गया है, जिस के द्वारा शिक्षा विशेषज्ञों की टीम इन विद्यालयों को जा कर देखें और उन का वर्गीकरण करे, तो हो सकता है कि उस से शिक्षा को एक दिशा मिले । आज हम शिक्षा को कोई दिशा देने में समर्थ नहीं हुये हैं। हमारे जिलों में जो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं वे केवल पोस्टमैन का काम करते हैं । वह विद्यालय में जा कर भी वहां की कोई प्रगति नहीं करा पाते ।

शिक्षा में करप्शन की बात आयी है । करप्शन बहुत ज्यादा है । इसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं । मैंने कई बार इसका जिक्र सदन में किया और व्यक्तिगत रूप में किया है । यह इस कदर बढ़ गया है कि वह एक हक बन चुका है । आज शिक्षा में जो अनुदान सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का मिलता है उसमें ५ से १० परसेंट रिश्वत एक रूल बन चुका है । उसको जांचना कोई कठिन काम नहीं है । इलाहाबाद में जो एक केन्द्र है वहां एक मेला लगा रहता है अनुदान लेने वालों का । शिक्षा मंत्री जी जायं, वह गुप्त रूप से किसी अपने अधिकारी को भेज सकते हैं । अगर विद्यालय के मैनेजर के रूप में जायं तो उनकी भेंट हो जायगी उन व्यक्तियों से जो खुली हुई रिश्वत लेते हैं और बिना लिये हुये अनुदान होता नहीं है । १० परसेंट अनुदान तक रूल बन चुका है । इसके लिये कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा । अगर शिक्षा में भी पी० डब्ल्यू० डी० की भांति यह चीज प्रवेश कर गयी तो उचित न होगा, इसलिये पी० डब्ल्यू० डी०

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

की प्रवृत्ति यहां न आवें तो उचित ही है। अनुदान में १० प्रतिशत देने के बाद उन मैनेजमेन्ट्स को भी अवश्य करप्शन करना होगा, कुछ इस तरह से ऐडजस्टमेंट्स करने होंगे जो स्वयं एक करप्शन बन जाते हैं। अगर इस तरह का करप्शन शिक्षा में स्थान कर गया तो बड़े दुख और खतरे की बात है।

जहां मैंने राधाकृष्ण कमेटी का जिक्र किया, इसी वर्ष एक एजूकेशन कमीशन केन्द्रीय सरकार की ओर से स्थापित हुआ जिसने सारे देश में घूम कर सारे प्रदेशों में शिक्षा के विशेषज्ञों से बात कर के मनन और चिन्तन किया है। उसकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह पहले आ चुकी है। ये दोनों रिपोर्ट्स हमारा मार्ग प्रदर्शन करने को काफी हैं। अगर फिर भी आवश्यकता रह जाय तो कोई शिक्षा संगठन का गठन हो। लेकिन आवश्यकता है कि जो रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं उनका कार्यान्वयन हो, जरूर हो।

आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है तो शिक्षकों को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। शिक्षकों की महिमा और गरिमा, उनकी एजूकेशन, संस्कृति का गान गाने से ही केवल वे संतुष्ट नहीं हो सकते। उनकी समस्याओं का इस सदन में भी कई बार जिक्र किया गया कि प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स और सरकारी कर्मचारियों की पैरिटी के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं और यथासंभव जो उनके बीच में गल्फ है उसको हम पाटने की कोशिश करेंगे। मैं दो मिनट और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

दो मिनट समय बढ़ाया जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मुझे भी बोलने का मौका दे दीजियेगा उसके बाद।

श्री उपाध्यक्ष---

आगे जारी रहेगा अगले दिन।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

राज कर्मचारियों, अधिकारियों को जो वेतन मिलता था उसमें और प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स के टीचर्स के वेतन में डिस्पैरिटी घटने के बजाय और कई गुना बढ़ गयी, उसका परसेंटेज पहले से दूना, तिगुना हो गया। तो इस प्रकार से जो सरकार का आश्वासन था उसके विपरीत बात हुई। या तो उनकी तनख्वाह न बढ़ायी जाती और यदि सरकार के साधन इजाजत नहीं देते थे तो सरकार को कमिट नहीं करना चाहिये था। इसका अवश्यम्भावी परिणाम होगा कि जिस सिद्धान्त को हम कमिट कर चुके हैं, हमें आगे चलकर उसके अनुसार एडेड इंस्टीट्यूशन्स के अध्यापकों की तनख्वाह भी उतनी ही बढ़ानी होगी। मैंने कुछ पत्र देखे थे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी भी दी है उसके द्वारा कि ३१ अगस्त तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गयीं तो वह प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से, जो स्वयं शिक्षक रहे हैं और शिक्षकों से सहानुभूति रखते हैं, प्रार्थना करूंगा कि वह पूर्व इसके कि वह एक एजीटेशन के रूप में आवे, उस तक इन्तजार न करें। मैंने कल भी निवेदन किया था, दुर्भाग्य से उस वक्त शिक्षा मंत्री जी नहीं थे। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों को यहां सदन में माना जा चुका है उसको ध्यान में रखते हुये इस डिस्पेरिटी को नैरो डाऊन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, और सोमवार, १ अगस्त, १९६६, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, १ अगस्त, १९६६, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा।
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ जुलाई, १९६६।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए पीछे पृष्ठ २८१ पर)

माह जून, १९६६, में हुई औसत वर्षा का विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम	औसत वर्षा				योग	सामान्य वर्षा	अन्तर
		प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चौथा सप्ताह			
		(मिली मीटर में)						
१	देहरादून	१.६	३.१	२३८.७	४९७.१	७४०.५०	१८०.८	+५५९.६०
२	सहारनपुर	शून्य	३४.७	३४.२	१३८.१	१७७.००	८९.२	+८७.८०
३	मुजफ्फरनगर	,,	शून्य	२६.५५	१४८.४	१७४.९५	६९.६	+१०५.३५
४	बुलन्दशहर	,,	२०.३	२५.०	८६.१	१३१.४०	६९.३	+४५.३०
५	मेरठ	,,	१०.२	३३.६	११३.९	१५७.७०	७०.१	+८७.६०
६	अलीगढ़	,,	७.९	१३.५	२८.०१	८९.४१	६४.८	+२४.६१
७	मथुरा	,,	५.७९	४.६२	७८.६४	८९.०५	४१.९	+४७.१५
८	आगरा	,,	,,	४४.७	७०.९	,,	५०.९	..
९	मैनपुरी	,,	६.२	३५.५	११७.६	१५९.३०	५५.९	+१०३.४०
१०	एटा	,,	१५.८	१७.३	८६.५	११९.६	५७.०	+६२.७
११	बरेली	,,	शून्य	२८.०१	..	..	१२५.४	..
१२	बिजनौर	,,	,,	३.३	१४९.७	१५३.०	१०७.३	+४५.७
१३	बदायूं	,,	५.५	६.७	११९.२	१२४.४०	७५.५	+४८.९०
१४	मुरादाबाद	,,	शून्य	११.७७	१३२.२९	१४३.३६	१०२.२	+४१.१६
१५	पीलीभीत	,,	,,	१८.१	१४२.४	१६०.५०	१५२.४	+८.१०
१६	शाहजहांपुर	,,	,,	१४.४	१९२.४८	२०६.८८	११९.७	+८७.१८
१७	रामपुर	,,	,,	१२.४	२७९.६	२९२.०	—	—

१८	फर्रुखाबाद	..	..	,,	१.३	३५.२	१६७.७	२०४.२०	६५.२	+१३६.००
१९	इटावा	..	..	,,	६.६	४५.८	१४१.०	१९३.४	५४.३	+१३९.१
२०	कानपुर	..	..	,,	३.३	३३.७	१३१.९	१६८.९०	६४.९	+१०४.००
२१	फतेहपुर	..	..	,,	४.२	१४.१	शून्य	१८.३	७०.४	-५२.१
२२	इलाहाबाद	..	..	,,	१.१	३३.३६	११८.१	१५२.५६	८०.७०	+७१.८६
२३	बांदा	..	..	,,	८.८	६३.१	१२१.८	१९३.७०	७३.३	+१२०.४०
२४	हमीरपुर	..	..	,,	९.५	३१.००	१०२.३	१४२.८०	६९.६	+७३.२०
२५	झांसी	..	..	,,	७.३	५४.९२	१०८.२८	१७०.५०	७३.३	+९७.२०
२६	जालौन	..	..	,,	०.८	७३.३	१०९.७	१८८.८०	६४.५	+१२४.३०
२७	वाराणसी	..	..	शून्य	शून्य	२१.५	८०.०	१०१.५०	८६.६	+१३.९०
२८	मिर्जापुर	..	..	,,	०.९५	१३१.९	१०७.७२	२४०.५७	१०४.५	+१३६.०७
२९	जौनपुर	..	..	,,	शून्य	५७.७	१३७.७	१९५.४०	८७.३	+१०८.१०
३०	गाजीपुर	..	..	,,	७.१३	१८.२	१०१.५	१२६.८३	११९.६	+७.२३
३१	बलिया	..	..	,,	१४.३	३३.२	७०.६०	११८.१०	११०.६	+७.५०
३२	गोरखपुर	..	..	,,	३८.५	६९.५	१०२.०	२१०.५०	१६७.३	+४३.२०
३३	बस्ती	..	..	,,	२२.३	६१.८	७४.२८	१५८.३८	१६३.००	-४.६२
३४	आजमगढ़	..	..	,,	१५.८	१६.२	७९.२	१११.२०	१०७.६०	+३.६०
३५	देवरिया	..	..	,,	५०.४	७७.००	१३९.०४	२६६.४४	१३९.१	+१०७.३४
३६	नैनीताल	..	..	,,	४.३	५२.९७	१९१.५५	२४८.८२	१९०.०	+५८.४२
३७	अल्मोड़ा	..	..	९.१०	६.२	४५.२	६४.८	११८.३०	१४३.८	-२५.५०
३८	गढ़वाल	..	..	शून्य	शून्य	१८२.८	२२०.६	४०३.४	१३२.३	+२७१.१
३९	टेहरी गढ़वाल	..	..	,,	,,	१२७.३	३००.३	४२७.६	*	*
४०	लखनऊ	..	..	,,	०.८३	२८.९	२१०.६	२४०.६६	८६.८	+१५३.५३
४१	उन्नाव	..	..	,,	१.१	२३.८	१६६.२	१९४.१	६७.८	+१२६.३०
४२	राय बरेली	..	..	,,	शून्य	३४.८	११४.९	१४९.७	८०.५	+६९.२
४३	सीतापुर	..	..	,,	२.८	५४.३२	१७२.५	२२९.६२	१०८.५	+१२१.१२
४४	हरदोई	..	..	,,	शून्य	४०.८	१९२.५	२३३.३	८३.५	+१४९.८
४५	खीरी	..	..	,,	,,	३१.९	१४९.५	१८१.४०	१३९.५	+५१.९

क्रम-सं०	जिले का नाम	औसत वर्षा				योग	सामान्य वर्षा	अन्तर
		प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चौथा सप्ताह			
४६	फैजाबाद ..	.. ,,	,,	२७.६९	७८.७३	१०६.४२	१०६.५	−०.८
४७	गोंडा ..	.. ,,	,,	७२.७६	८५.९	१५८.६६	१३८.९	+१९.७६
४८	बहराइच ..	.. ,,	०.९	२.५८	७४.१	७७.५८	१४९.७	−७२.१२
४९	सुल्तानपुर ..	.. ,,	शून्य	२७.०७	१३२.७१	१५९.७८	८७.३	+७२.४८
५०	प्रतापगढ़ ..	.. ,,	,,	४५.४	२१२.५	२५७.९०	८२.२	+१७५.७
५१	बाराबंकी ..	.. ,,	,,	२५.३	२२८.३५	२५३.६५	९८.४	+१५५.२५
५२	उत्तरकाशी ..	.. ६.५	२९.०	८४.०	२४७.७	३६७.२०	*	*
५३	पिथौरागढ़ ..	.. ,,	,,	..	..	..	..	..
५४	चमोली ..	.. ३.१	५.०	६८.९	१२९.४	२०६.४	*	*

*सामान्य औसत वर्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ २८१ पर)

माह जुलाई, १९६६ के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में हुई औसत वर्षा का विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम		पहले सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मिलीमीटर में)	दूसरे सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मिलीमीटर में)	तीसरे सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मिलीमीटर में)
१	देहरादून	..	२३.५	३१.५	..
२	सहारनपुर	..	४८.६	०.७	२९.८
३	मुजफ्फरनगर	..	५.९५	३.५५	५०.०५
४	बुलन्दशहर	..	..	१.५	७५.०५
५	मेरठ	..	४.८	०.२	१४.१
६	अलीगढ़	..	०.८	१.१	..
७	मथुरा	..	३.२९	५.१	२१.८४
८	आगरा	..	१४.४	..	..
९	मैनपुरी	..	१.२	४.६	१७.१
१०	एटा	..	०.५	०.७	..
११	बरेली	..	१७.२	..	..
१२	बिजनौर	..	२२.२	..	..
१३	बदायूं	..	१७.२	२.४	१५.०
१४	मुरादाबाद	..	९.५३	०.५	२१.४१
१५	शाहजहांपुर	..	४०.१	१.४२	१८.६
१६	पीलीभीत	..	४५.६	..	७७.४
१७	रामपुर	..	२३.६४	२.६१	११.६६
१८	फर्रुखाबाद	..	१८.९	०.३	१४.४
१९	इटावा	..	७.५	१६.९	५.३
२०	कानपुर	..	४९.९	०.३	२७.६
२१	फतेहपुर	..	६९.४	..	१५.२
२२	इलाहाबाद	..	२९.७८	..	३७.८
२३	बांदा	..	६७.०	५.१	१८.१९
२४	हमीरपुर	..	४९.४	१७.८	१०४.६
२५	झांसी	..	२४.२	२.८	१६.७८
२६	जालौन	..	९.७	१६.७	४८.५
२७	वाराणसी	..	२७.७	०.८	५६.७

क्रम-सं०	जिले का नाम		पहले सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मि० मी० में)	दूसरे सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मि० मी० में)	तीसरे सप्ताह में हुई औसत वर्षा (मि० मी० में)
२८	मिर्जापुर	..	२२.७२	१.८५	४१.६
२९	जौनपुर	..	१०८.२	८.७	१६.४
३०	गाजीपुर	..	४७.१	०.१	४२.९
३१	बलिया	..	११३.६	१८.१३	..
३२	गोरखपुर	..	१२०.७	३५.१	३८.९
३३	बस्ती	..	५०.७	३१.९	३३.४
३४	आजमगढ़	..	८४.७	७.८	१८.८
३५	देवरिया	..	१०७.६७	३५.८१	..
३६	नैनीताल	..	..	१५.२	..
३७	अल्मोड़ा	..	२४.०	६.३	४४.१
३८	गढ़वाल	..	२१.१	१०.०५	२२५.६
३९	टेहरी गढ़वाल	..	११.७	१३.७	..
४०	लखनऊ	..	५८.६	..	१६.९
४१	उन्नाव	..	१०३.४	..	२७.२
४२	राय बरेली	..	५७.०	..	३०.३०
४३	सीतापुर	..	५२.६	५२.८	१०.४
४४	हरदोई	..	७५.६५	..	२५.३
४५	खीरी	..	३७.१	..	९.२
४६	फैजाबाद	..	७०.३५	०.४	४०.८७
४७	गोंडा	..	१६.५	२२.६	७३.९
४८	बहराइच	..	२५.७	८.३	४५.१
४९	सुल्तानपुर	..	९०.८	१६.८७	५२.७३
५०	प्रतापगढ़	..	६५.४	१.०	३२.३
५१	बाराबंकी	..	६३.६	०.३	१५.७६
५२	उत्तरकाशी	..	३७.२	४.७५	८०.२५
५३	पिथौरागढ़	..	३५.९	..	..
५४	चमोली	..	२३.३	१८.४	४४४.७

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८१ पर)

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

जिला	संख्या	जिला	संख्या
१—देहरादून ..	६२	२८—मिर्जापुर ..	२६१
२—सहारनपुर ..	८६	२९—जौनपुर ..	१२७
३—मुजफ्फरनगर ..	३६	३०—गाजीपुर ..	३४
४—बुलन्दशहर ..	२६	३१—बलिया ..	३८
५—मेरठ ..	१४९	३२—गोरखपुर ..	८०
६—अलीगढ़ ..	९४	३३—बस्ती ..	३०
७—मथुरा ..	५२	३४—आजमगढ़ ..	४९४
८—आगरा ..	शून्य	३५—देवरिया ..	२०६
९—मैनपुरी ..	*	३६—अल्मोड़ा ..	३४३
१०—एटा ..	१४	३७—नैनीताल ..	१८२
११—बरेली ..	शून्य	३८—गढ़वाल ..	२९९
१२—बिजनौर ..	४६	३९—टेहरी गढ़वाल ..	२६६
१३—बदायूं ..	३१	४०—लखनऊ ..	..
१४—मुरादाबाद ..	३०१	४१—उन्नाव ..	१०
१५—शाहजहांपुर ..	शून्य	४२—राय बरेली ..	३२
१६—पीलीभीत ..	४५	४३—सीतापुर ..	शून्य
१७—रामपुर ..	५९	४४—हरदोई ..	शून्य
१८—फर्रुखाबाद ..	शून्य	४५—खीरी ..	८
१९—इटावा ..	२०	४६—फैजाबाद ..	शून्य
२०—कानपुर ..	४३३	४७—गोंडा ..	३९
२१—फतेहपुर ..	६	४८—बहराइच ..	३८
२२—इलाहाबाद ..	२७८	४९—सुल्तानपुर ..	११
२३—बांदा ..	७२	५०—प्रतापगढ़ ..	१४४
२४—हमीरपुर ..	६	५१—बाराबंकी ..	३१
२५ झांसी ..	३७	५२—उत्तरकाशी ..	७५
२६—जालौन ..	१५	५३—पिथौरागढ़ ..	१४५
२७—वाराणसी ..	३२७	५४—चमोली	*

*सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ २८७ पर)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२, में आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १७, १९६२, की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२, जिसे आगे मूल प्रधिनियम कहा गया है, क धारा २ में खण्ड (छ) के अन्त में आये हुये सेमीकोलन के ठीक पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"और इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, उच्चतर डिप्लोमा, इन्टरमीडियेट डिप्लोमा अथवा डिप्लोमोत्तर (पोस्ट डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए दिया गया डिप्लोमा भी है ।"

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) खण्ड (५) में शब्द "उद्योग, वित्त और विद्युत" के स्थान पर शब्द "उद्योग और विद्युत्" रख दिये जायं;

(२) खण्ड (८) में शब्द "वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय" के स्थान पर शब्द "तत्समय प्राविधिक शिक्षा का कार्य करने वाले मंत्रालय" रख दिये जायें;

(३) खंण्ड (१३) में शब्द "ईस्टर्न कमाण्ड का एक प्रतिनिधि" के स्थ न पर शब्द " के ऐसे कमाण्ड का एक प्रतिनिधि जिसका मुख्यालय राज्य में हो" रख दिये जायं;

(४) खण्ड १५ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१५) किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट या अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि जिसमें अभियंत्रण या प्रोद्योग का संकाय हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, किन्तु यदि ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या पांच से अधिक हो जाय तो नियमों द्वारा नियत रीति से आवर्तन द्वारा केवल पांच विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे;"

धारा ६ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"६ (१) उपधारा (३) और (४) और धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) धारा ४ के खण्ड (१) से (४), (६), (९) और (२४) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः उन दिनांकों से तीन वर्ष होगा जब उनकी नियुक्ति गजट में विज्ञापित की जाय ;

(ख) धारा ४ के खण्ड (७), (१४) तथा (१५) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल वह होगा जो नियमों द्वारा नियत किया जाय ।

(२) धारा ४ के खण्ड (५), (८) तथा (१०) से (१३) में उल्लिखित सदस्य, समय-समय पर, समुचित प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(३) पदेन सदस्यों तथा उपधारा (२) में उल्लिखित सदस्यों से भिन्न, कोई सदस्य किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो परिषद् के सचिव को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है ।

(४) जब कोई सदस्य उस पद पर न रह जाय, जिसके कारण से वह सदस्यता के लिये पात्र हुआ हो अथवा जिस हैसियत से वह सदस्यता के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, वह पद धारी न रह जायगा ।"

धारा १३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) में—

"(१) खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षा फल को रोक लेना, या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसे वह—

(क) परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का; या

(ख) संस्था अथवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना अथवा तथ्य छिपाने का; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरुपण का; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का ; या

(ङ) परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का;

दोषी पाये ।"

(२) खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१-अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासन-हीनता का दोषी पाये; और

(३) उपखण्ड (२) में, प्रथम पंक्ति में शब्द "जो" के स्थान पर शब्द "जिसे वह" रख दिया जाय और तृतीय पंक्ति में शब्द "पाया जाय" के स्थान पर शब्द "पाये" रख दिया जाय ।

धारा १४ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) उपधारा (१) और (२) में किसी वाद के होते हुये भी राज्य सरकार किसी भी आपाती दशा में जिसके कारण उसकी राय में तात्कालिक

कार्यवाही करना आवश्यक हो, परिषद् को पहले अभिदिष्ट किये बिना इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से संगत ऐसे कोई निदेश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे ।"

धारा १८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में शब्द "एक पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यचर्य्या समिति" के स्थान पर शब्द "पाठ्यक्रम समितियों" रख दिये जायें ।

धारा १९ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

परिषद् द्वारा समितियों को प्रतिनिधान और अभिदेश

(१) परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति किसी समिति को, इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनें अधिकारों के प्रयोग, कर्त्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपयुक्त समिति को अभिलिखित कर सकती है, और जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाय तो परिषद उस पर निर्णय लेने के पूर्व, प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी ।"

धारा २१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २१ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अधिनियम संख्या ४५, १८६०

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

"(२) केन्द्र के किसी अभीक्षक या अभीक्षक पर उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि में, आक्रमण, या आपराधिक बल प्रयोग करने को लोक-सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना समझा जायगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८६ के अधीन दण्डनीय होगा और वह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुए भी, संज्ञेय अपराध होगा ।"

धारा २२ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(क) धारा (४) के खण्ड (७) (१४) और (१५) में उल्लिखित सदस्यों के आवर्तन की रीति और उनकी पदावधि"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२, के अधिनियमित किये जाने के समय से, उसकी कार्य-प्रणाली में कुछ कठिनाइयां राज्य सरकार की जानकारी में आयी हैं। प्रारम्भ में बोर्ड का सम्बन्ध मुख्यतया डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों और प्रमाण-पत्र स्तर के कुछ पाठ्यक्रमों से ही था। अभी हाल ही में, भारत सरकार ने यह सलाह दी है कि बोर्ड को कला में भी उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए परीक्षायें लेनी चाहिए। यह भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले राष्ट्रीय डिप्लोमा के समान एक उच्चतर डिप्लोमा है जो प्रवर सेवाओं में सेवायोजन के लिए किसी डिग्री के समकक्ष है। चूंकि इस बात का सन्देह था कि उच्चतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम मूल अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं या नहीं, यह इष्टकर समझा गया है कि धारा २ के खण्ड (छ) में दी गयी "डिप्लोमा" की परिभाषा में संशोधन किया जाय।

२—यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा १९ में संशोधन करके बोर्ड के कृत्यों तथा अधिकारों का प्रतिनिधान करने के अधिकार की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जाय।

३—बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन तथा राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में अभी हाल में की गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप धारा २१ में भी उसी प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

४—इस अवसर का उपयोग अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में अन्य कार्यविधि सम्बन्धी शाब्दिक तथा आनुषंगिक संशोधन करने के लिए भी किया गया है।

५—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

नत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ २८८ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६

ऐसे औद्योगिक उपक्रमों से जिन्हें बेरोजगारी रोकने, अथवा उसके प्रति सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाना आवश्यक समझा जाय, सम्बद्ध औद्योगिक सम्बन्धों, वित्तीय आभारों तथा समनुरूप अन्य विषयों के बारे में सीमित अवधि तक राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२—जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "उद्योग" का तात्पर्य सेवायोजकों के किसी कारबार, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या आजीविका से है और इसके अन्तर्गत कर्मकार की कोई आजीविका, सेवा, सेवायोजन, हस्तशिल्प, या औद्योगिक व्यवसाय, अथवा उप-व्यवसाय भी है, और शब्द "औद्योगिक" का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा,

(ख) "सहायता उपक्रम" का तात्पर्य किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है, जिसके सम्बन्ध में धारा ३ के अधीन कोई घोषणा लागू हो।

सहायता उपक्रम होने की घोषणा।

३—(१) यदि राज्य सरकार का किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में—

(क) जिसे किसी विधि या अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाय अथवा जो या जिसका प्रबन्ध अर्जित किया जाय अथवा अन्यथा ले लिया जाय, और जिसे उस सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाय या चलाने का प्रस्ताव हो, या,

(ख) जिसे राज्य सरकार द्वारा, कोई ऋण, अग्रिम धनराशि अथवा अनुदान दिया गया हो, अथवा, जिसके ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति दी गयी हो,

यह समाधान हो जाय कि बेरोजगारी को रोकने अथवा उसके प्रति सहायता की व्यवस्था करने के उपायस्वरूप उस उपक्रम को चलाये रखने अथवा उसे फिर से चलाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है, तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वह उपक्रम, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, सहायता उपक्रम होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा एक वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिये प्रभावी होगी जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा के प्रवर्तन को और आगे की अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष और कुल चार वर्षों से अधिक न होगी, बढ़ा सकती है।

धारा ३ के अधीन घोषणा के परिणाम।

४—(१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि धारा ३ में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी सहायता उपक्रम के सम्बन्ध में यह निदेश दे सकती है कि—

(क) अनुसूची में निर्दिष्ट सभी अधिनियमितियां या कोई अधिनियमिति लागू न होगी अथवा ऐसे अनुकूलनों के साथ चाहे, वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, लागू होगी जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाये,

(ख) उस दिनांक के जब से उपक्रम, सहायता उपक्रम घोषित किया गया हो ठीक पूर्व, किसी भी विधि के अधीन प्रवृत्त सभी या किन्हीं संविदाओं सम्पत्ति हस्तान्तरण, अनुबन्ध, समझौते, अभिनिर्णय, स्टैंडिंग आर्डरों या अन्य संलेख का जिसमें उपक्रम एक पक्ष हो अथवा जो उपक्रम पर लागू हों, प्रवर्तन निलम्बित कर दिया जायगा, अथवा उनके अधीन उक्त दिनांक के पूर्व प्रोदभावी या उत्पन्न होने वाले सभी या कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, तथा दायित्व ऐसे परिष्कारों के साथ तथा ऐसी रीति से जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाय, निर्धारित किये जावेंगे और प्रवर्तनीय होंगे।

(२) किसी अन्य विधि, अनुबन्ध अथवा संलेख में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रभावी होगी, और उपधारा (१) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट और ऐसी विज्ञप्ति द्वारा निलम्बित या परिष्कृत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के लिये कोई उपचार, विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार निलम्बित अथवा परिष्कृत कर दिया जायगा और उसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी कार्यवाहियां तदनुसार संस्थगित रहेगी अथवा ऐसे परिष्कार के अधीन रहते हुए जारी रहेगी, किन्तु विज्ञप्ति के प्रभावी न रहने पर इस प्रकार निलम्बित या परिष्कृत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, आधार या दायित्व पुनर्जीवित अथवा अपने अपरिष्कृत रूप में पुनर्जीवित हो जायेंगे और प्रवर्तनीय होंगे और तत्पश्चात् उपर्युक्त सभी कार्यवाहियां उसी उपक्रम से जारी की जायेंगी जिससे वे स्थगित की गयी थीं और किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के लिये कालावधि की गणना करने में वह अवधि कर दी जायगी, जिसमें उक्त अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व या उसके प्रवर्तन के लिये उपचार निलम्बित कर दिया गया था।

उद्देश्य और कारण

पिछले करीब एक साल में अनेक औद्योगिक उपक्रम बन्द हो गये हैं और कुछ अन्य उपक्रमों के भी बन्द हो जाने की आशंका है। औद्योगिक इकाइयों के इतनी बड़ी संख्या में बन्द हो जाने या आगे चल कर बन्द हो जाने की सम्भावना से राज्य के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त उससे औद्योगिक मजदूरों में बेरोजगारी तथा असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है जिसके कारण उनमें बेचैनी फैल गयी है। अतः इस अभिप्राय से कि ऐसे उपक्रम सरकार द्वारा अथवा उनकी ओर से अथवा सरकार द्वारा दी गई उचित वित्तीय सहायता से चलाये जा सकें, यह आवश्यक है कि सरकार को दायित्वों का भुगतान मुल्तवी करने तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार श्रम सम्बन्धी कानून के उपबन्धों को निलम्बित करने का अधिकार हो। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बनारसी दास,
श्रम मंत्री।

प्रेस ट्रस्ट

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८४ एल० ए०—१९६६—८७६।